विषय-सूची

॥ ओ३म् ॥

(सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र)

वर्ष ३२ } जौलाई १९५७. आषाढ़ २०१४ वि०, दयानन्दाब्द १३३ { अङ्क ५

वैदिक प्रार्थना

अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवेदिवे ।
यशसं वीरवत्तमम् ॥ ऋ० १।१।१।३॥

व्याख्यान-हे महादातः, ईश्वर ! आपकी कृपा से स्तुति करने वाला मनुष्य "रयिम्" उस विद्यादि धन तथा सुवर्णादि धन को अवश्य प्राप्त होता है कि जो धन प्रतिदिन "पोषमेव" महापुष्टि करने और सत्कीर्ति को बढ़ाने वाला तथा जिससे विद्या, शौर्य्य, धैर्य्य, चातुर्य, बल, पराक्रम और दृढांग, धर्मात्मा, न्याययुक्त अत्यन्त वीर पुरुष प्राप्त हों, वैसे सुवर्ण रत्नादि तथा चक्रवर्ती राज्य और विज्ञान रूप धन को प्राप्त होऊं तथा आपकी कृपा से सदैव धर्मात्मा होके अत्यन्त सुखी रहूँ ॥

हिन्दी रक्षा सत्याग्रह

हिन्दी रक्षा आन्दोलन के सर्वाधिकारी श्रीयुत पूज्य स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने ५ अन्य महात्माओंके साथ ३० मई५७ को सद्भावनायात्रा का आरम्भ किया था। उन्होंने ७ जून तक ३ बार यह यात्रा की। दो बार पञ्जाब राज्य के मुख्य मन्त्री श्रीयुत प्रताप सिंह कैरों से उनकी भेंट हुई। उन्होंने हिन्दी को पंजाबी के साथ समान स्तर पर रखने के लिए अपनी ७ मांगों की स्वीकृति पर बल दिया और उनका औचित्य प्रतिपादित किया। दो बार अपने उद्देश्य में असफल रहने और संघर्ष की सम्भावना को टालने के हेतु उन्होंने तीसरी बार पुनः यात्रा की; परन्तु खेद है कि स्वामी जी महाराज के चंडीगढ़ पहुँचने से पूर्व ही मुख्य मन्त्री महोदय कुल्लू चले गए। इस बार राज्य के सचिवालय के मुख्य सेक्रेटरी तथा वित्त मन्त्री के साथ भेंट हुई; मांगों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श भी हुआ। परन्तु इस यात्रा का परिणाम भी कुछ न निकला। इसी बीच एक जत्था आर्य जगत् के विद्वान् तथा प्रतिष्ठित संन्यासी श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी के नेतृत्व में सद्भावना यात्रा पर ही चंडीगढ़ पहुंचा। इस जत्थे के साथ उच्च पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस तथा उनसे प्रोत्साहित सफेद पोश गुण्डों ने अमानुषिक अत्याचार किया। शान्त सत्याग्रहियों को सड़क पर लात घूसे मारते हुए घसीटा गया। एक सत्याग्रही अधिक चोट लगने से बेहोश हो गया और दूसरे के मुंह से खून बहने लगा। सद्भावना यात्रा की सरकार पर उस प्रतिक्रिया को देखकर अन्त में श्री स्वामी जी को सद्भावना यात्रा को सत्याग्रह में परिणत करने के लिए विवश हो जाना पड़ा। १० जून से सत्याग्रह प्रारम्भ हो चुका है। इन पंक्तियों को लिखते समय तक श्रीयुत स्वामी रामेश्वरानन्द जी श्रीयुत आचार्य रामदेव जी तथा श्रीयुत वीरेन्द्र जी सम्पादक प्रताप जालंधर के नेतृत्व में सत्याग्रही जत्थे जा चुके हैं और यह क्रम जारी है।

राज्य सरकार ने सत्याग्रहियों को बलात् पकड़ और लारी में बिठा चंडीगढ़ से बाहर जङ्गलों में छोड़ देने की नीति अपनाई हुई है।

श्री स्वामी आत्मानन्द जी तथा उनके ४ सम्मानित साथियों को तीनों बार उनके आश्रम यमुनानगर में और एक साथी श्री आनन्द स्वामी जी महाराज को देहली के आर्यसमाज हनुमान रोड में छोड़ा गया, दूसरे जत्थे को घरौंडा में, तीसरे को पटियाला के आस पास निविड़ जङ्गल में। सद्भावना यात्रा के महानुभावों और सत्याग्रही वीरों एवं उनके नेताओं के साथ पुलिस का व्यवहार बहुत ही निन्दनीय रहा। इस व्यवहार में स्पष्टतः उन्हें डराने और पीड़ित करने की दुर्भावना काम कर रही है जिससे वे हतोत्साहित हो जाँय। कहा जाता है कि श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज और उनके साथियों को चिलचिलाती धूप और भयङ्कर गर्मी में सचिवालय के बाहर सड़क पर बिठाया गया और जिस समय उनका रक्त चाप बढ़ा हुआ था और वे सो रहे थे, रात के ११ बजे उन्हें जबरदस्ती जगाकर ३ बजे तक जगाए रखा गया और उसके बाद बलात मोटर में बिठाकर यमुनानगर पहुंचाया गया। दूसरे जत्थे के सर्वाधिकारी श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी तथा उनके सत्याग्रहियों के साथ पुलिस ने बड़ा अभद्र और अमानुषिक व्यवहार किया। सत्याग्रहियों को न केवल पुलिस ने अपमानित ही किया अपितु उन्हें निर्दयता पूर्वक पीटने में सफेद पोश गुण्डो की भी सहायता ली। शान्त सत्याग्रही वीर बलात घसीटे जाकर लारियों में बिठाए गए। ब्र० विजय पाल शास्त्री को निर्दयता पूर्वक पीटने के बाद ७-८ पुलीस के गुर्गे उनकी छाती पर बैठ गए जिसके फल स्वरूप वे ४

घन्टे तक बेहोश रहे और उसी बेहोशी की अवस्था में उन्हें बिना चिकित्सा और उपचार के लिए लारी में डाल कर बाहर ले गए।

तीसरे जत्थे को आर्यसमाज चंडीगढ़ के बाहर सचिवालय पहुंचने से पूर्व ही पकड़कर और लारी में बिठाकर पटियाला के आसपास सुदूर जङ्गल में रात को छोड़ा गया जहां न केवल सांप, बिच्छुओं और हिंस्र जन्तुओं का ही भय था अपितु भूख-प्यास मिटाने का भी कोई साधन उपलब्ध न था। इतना ही नहीं, वह क्षेत्र सत्याग्रह के घोर विरोधियों का गढ़ था जहां सत्याग्रहियों की जान भी अरक्षित समझी जा सकती थी। दमन का यह चक्र बड़े वेग के साथ चल रहा है। सचिवालय के सामने राज्य सरकार की नाक के नीचे पुलीस के अत्याचारों का होना लोकप्रिय और सभ्य कही जाने वाली गवर्नमेन्ट के लिए बहुत बड़ा कलंक है। दमन की प्रचण्डता से आन्दोलन का तापमान भी बढ़ता है इस बात की कैरों सरकार उपेक्षा करती प्रतीत होती है। इन सब अत्याचारों के होते हुए भी सत्याग्रहियों का शान्त, उत्साहमय एवं अहिंसात्मक बने रहना सत्याग्रह की उच्चता के मर्म को समझने वाले आर्य वीरों का ही काम हो सकता है जो स्वयं कष्ट और बलिदान के मार्ग को चुन कर सत्य की प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए क्रोध, ईर्ष्या और बदले की भावना से ऊपर उठकर विरोधी के हृदय परिवर्तन के जटिल कार्य में अग्रसर होते हैं। ज्यों २ दमन बढ़ेगा त्यों २ हमारे उद्देश्य की पवित्रता और सफलता असंदिग्ध बनती जायगी।

आर्य समाज की मांग बहुत सरल और स्पष्ट है। पंजाबके हिंदू पंजाबीको सहीअर्थमें भाषा नहीं अपितु बोली मानते हैं। पंजाबी बोली को साहित्य की दृष्टि से भाषा का दर्जा कभी प्राप्त नहीं रहा इसीलिए वे मातृ भाषा के रूप में हिन्दी भाषा को ही अपनाते रहे हैं, भले ही उनकी बोली पंजाबी रही हो, क्योंकि उनका समस्त धार्मिक और सांस्कृतिक साहित्य हिंदीमें है। रीजनल भाषायोजनाके अनुसार जालंधर डिवीजन में जहां हिन्दुओं की संख्या ४५ प्रतिशत है पहली श्रेणी से मैट्रिक तक सब विद्यार्थियों को चाहे वे सिख हों या हिन्दू, चाहे पढ़ना चाहें या नहीं; पंजाबी भाषा का पढ़ना अनिवार्य होगा। परन्तु यदि हिन्दी के माध्यम से पढ़ने वाले प्रत्येक क्लास में १० वा समस्त स्कूल में ४० विद्यार्थी हों तो प्राइमरी क्लास तक हिन्दी के माध्यम की व्यवस्था की जायगी। यदि न हों तो नहीं। इसी भांति हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र में प्रारंभ से लेकर मैट्रिक तक की शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगी परन्तु प्राइमरी की अन्तिम श्रेणी से आगे मैट्रिक तक पंजाबी का पढ़ना अनिवार्य होगा। इस प्रकार बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा से अंकित होने वाले सांस्कृतिक संस्कारों से वंचित रह जायंगे। बच्चे की शिक्षा का मातृ भाषा में होना सर्व सम्मत सिद्धान्त है परन्तु बोली को मातृ भाषा कहना और मानना जिसका कोई साहित्य न हो और उसे बलात बच्चों के गले उतारना कहां का न्याय है? बच्चों की शिक्षा के माध्यम को बलात् लादना तात्कालिक राजनैतिक सुविधा की दृष्टि से भले ही ग्राह्य माना जाय विधान सम्मत मौलिक अधिकारों तथा सांस्कृतिक दृष्टि से कभी ग्राह्य नहीं हो सकता। सभ्य समाज में शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार माता-पिताओं वा संरक्षकों को ही प्राप्त होता है। इस मौलिक अधिकार को उनसे छीन लेना बहुत बड़ा सांस्कृतिक अत्याचार है। आर्यसमाज इस अत्याचार के निराकरण और राज्य के योगक्षेम के लिए ही इस परीक्षण में उतरने के लिए विवश हुआ है। आर्य समाज के इस पग के पीछे न कोई राजनैतिक स्वार्थ है और न किसी वर्ग, भाषा एवं लिपि के विरोध की भावना है। इस भाषा योजना के पुरस्कर्त्ताओं की पंजाब राज्य में शान्ति स्थापना की सद्भावना पर सन्देह नहीं किया जा सकता, परन्तु यह भी सत्य है कि यह योजना स्वयं अशान्ति का प्रबल एवं प्रत्यक्ष कारण बन गई है। सरकार

को वचस्व की रक्षा के भाव को एक ओर रखकर शान्त हृदय से देश का दूरवर्त्ती हित देखना चाहिए। आर्य समाज के लक्ष्य से देश का हित कभी ओझल नहीं हो सकता, जिसने सर्व प्रथम देश भक्ति का पाठ पढ़ाया और स्वराज्य का मार्ग परिष्कृत किया हो। दुःख इसी बात का है कि आज उसी आर्य समाज को राजनीतिज्ञों की विवेकहीनता के कारण बलिदान के मार्ग में से गुजरना पड़ रहा है और स्वार्थी तथा सङ्कीर्ण लोगों द्वारा उस पर राजनैतिक स्वार्थपरता के अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं।

राज्य आर्यसमाज से देश हित के लिए बड़े से बड़े त्याग की मांग कर सकता है। वह इसके लिए सदैव उद्यत रहा है और रहेगा; परन्तु उसे दबाकर किसी बुराई के साथ समझौता करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। आर्यसमाज समझदार लोगों का वर्ग है। पिछले १० वर्ष में अनेक ऐसे अवसर आए जबकि अनेक बवंडर उठ खड़े होते, परन्तु अब जबकि पानी के सिर से उतरने का अवसर उपस्थित हो गया तो आर्यसमाज को अनिच्छा पूर्वक यह पग उठाना पड़ा। पञ्जाब में सच्चर फार्मूले के अतिरिक्त पेप्सू नामक एक और भाषा फार्मूला प्रचलित है जिसके अनुसार उस क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को प्रारम्भ से लेकर मैट्रिक तक अनिवार्यत: पञ्जाबी भाषा के ही माध्यम से शिक्षा प्राप्त करनी होगी। क्या इस घोरअत्याचार के विरुद्ध मोर्चा लगाना बवंडर खड़ा करना है? इस विवाद का यही हल सम्भव प्रतीत होता है कि शिक्षा के माध्यम की अनिवार्य्यता उठा दी जाय प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक को उसके लिए स्वयं शिक्षा का माध्यम चुनने की स्वतन्त्रता हो। और विद्यार्थी को शिक्षा पाने की सुविधा हो। इस अनिवार्य्यता के हटा दिए जाने से पंजाबी की उन्नति ही होगी, सहयोगी 'हिन्दुस्तान टाइम्स' ने अपने एक लेख में निम्न प्रकार सही स्थिति रखी है:—

'यदि दोनों पक्ष व्यावहारिक दूरदर्शिता का आश्रय लें और अपना हठ छोड़ दें तो सरलता से ऐसा हल ढूंढा जा सकता है जो सबको मान्य हो। यदि दोनों भाषाओं के समर्थक यह स्वीकार करते हैं कि पंजाब में हिन्दी और पञ्जाबी फूले फले तो सरकारी प्रशासन व्यवस्था के लिए पञ्जाब को द्विभाषी प्रांत घोषित किया जा सकता है और जैसी कि भारतके संविधानमें अनुमति है प्रत्येकको खुली छुट्टी दी जा सकती है कि वह जिस भाषा में चाहे शिक्षा प्राप्त करे। चूँकि इस बात पर आपत्ति है कि हिन्दी या पञ्जाबी को द्वितीय भाषा के रूप में अनिवार्य्यत: पढ़ाया जाय इसलिए उसे भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि इससे कोई भी घाटे में न रहेगा। जिन लोगों को पञ्जाब में रहना है और वहां काम करना है वे परिस्थितियों की विवशता को अनुभव करेंगे और बहुत कम लोग हैं जो हिन्दी या पञ्जाबी पढ़े बिना अपना काम चला सकेंगे।

बीच बिचाव करवाने वालों के प्रयत्न के बावजूद पञ्जाब की भाषा समस्या हल न हुई। क्या यह इसलिए कि इस प्रश्न को शैक्षणिक अथवा सामाजिक दृष्टि से देखने के बजाए राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता है? ऐसा है तो यह आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि पेप्सू फार्मूला और रिजनल फार्मूला दोनों ही राजनीतिक दबाव का परिणाम है। जो लोग उन्हें स्वीकार कर चुके हैं वह इस प्रश्न पर पुन: विचार करने को तैयार नहीं और जिन्होंने अपने ऊपर हिन्दी रक्षा का दायित्त्व लिया है वे दूसरों द्वारा किए गए फैसलों के पाबंद नहीं। स्वामियों का यह कहना है कि सच्चर फार्मूला लागू न होता यदि पञ्जाब सरकार और अकालियों की ओर से उसे यह विश्वास न दिलाया जाता कि इससे राज्य की सभी सांप्रदायिक समस्याएं हल हो जाएंगी उनके शब्दों में यह फार्मूला कभी विधान सभा के सामने नहीं रखा गया न हिन्दू समाज ने

कभी इसे स्वीकार किया है।

बड़ा प्रश्न यह है कि पञ्जाबी को पञ्जाब की क्षेत्रीय भाषा माना जाए या न। पञ्जाबी के समर्थकों का कहना है कि मानी जानी चाहिए किन्तु हिन्दी के समर्थक यह अनुभव करते हैं कि पञ्जाबी भाषी क्षेत्र में भी पञ्जाबी की पढ़ाई जबरी नहीं होनी चाहिए। स्थिति इसलिए अधिक पेचीदा हो गई है कि हिन्दी पञ्जाब के एक भाग की नित्य-प्रति की भाषा होने के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा भी है। चूंकि साम्प्रदायिक और वर्गीय भावनाएँ भड़क उठी हैं इसलिए अब भाषा सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था को कायम रखना सम्भव न होगा। यह खेदजनक है किन्तु है ठीक कि पंजाबी भाषी क्षेत्र के बहुत से हिन्दू अपने बच्चों को हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दिलवाना चाहते हैं जबकि उनकी मातृ भाषा अथवा बोलने की भाषा पंजाबी है। स्वतन्त्रता से पूर्व भी हिन्दू बच्चे हिन्दी, उर्दू अथवा दोनों भाषाएं तो पढ़ते थे किन्तु पंजाबी से कोई सम्बन्ध न रखते थे। यद्यपि आर्य समाज एक सार्वजनिक आन्दोलन है और जनता की सहानुभूति पर आश्रित है, उसने कभी अपने उद्देश्यों अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए जबरदस्ती से काम नहीं लिया।

बल्कि वह सदा हिन्दी के प्रोत्साहन का प्रयत्न करता रहा और उसने ऐसे कई स्कूल जारी किये जहाँ उर्दू के स्थान पर हिन्दी शिक्षा का माध्यम थी। यद्यपि उर्दू अदालती भाषा थी और निम्न स्तर पर प्रशासन की, तथापि हिन्दी आन्दोलन की सफलता का प्रमाण यह है कि पंजाबीभाषी हिन्दुओंको हिन्दी के प्रति सदा श्रद्धा रही है। पंजाबी के समर्थक यदि तथ्यों पर आधारित और स्थायी हल चाहते हैं तो उन्हें इस तथ्य की अवहेलना न करनी चाहिए। जिन लोगों ने हिन्दी आन्दोलन शुरू किया है उन्हें भी समझना चाहिए कि जब तक उनके बच्चे दोनों भाषायें न पढ़ेंगे वह घाटे में रहेंगे। इसलिए समस्या का हल यह नहीं कि दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े रहें बल्कि अपनी सूझ-बूझ का प्रमाण दे कर हल निकालें।"

यह बात उत्साह वर्द्धक है कि यह आन्दोलन हिन्दुओं के सभी वर्गों–सनातन धर्मियों, जैनियों–आदि २ की सहानुभूति और सहयोग प्राप्त करता जा रहा है। उनके जत्थे भी सत्याग्रह के लिये आने लगे हैं। वह समय दूर नहीं जबकि समझदार सिक्ख भाई भी आर्य समाज के आन्दोलन के औचित्य को प्रकाश्य रूप में प्रकट करने और उसमें भाग लेने लगें। हर्ष है कि देश के जिम्मेवार प्रेस का इस आन्दोलन को समर्थन प्राप्त है।

इस आन्दोलन का विरोध राज्य के अतिरिक्त मुख्य रूप से सिखों के एक वर्ग की ओर से हो रहा है। उन्होंने हिन्दी रक्षा समिति के मुकाबले में एक पंजाबी रक्षा समिति की स्थापना की हुई है। परन्तु दुःख है कि उसके जिम्मेवार लोग विरोध की लहर में इतनी बुरी तरह बहते हुये देख पड़ते हैं कि उन्हें सही या गलत, उचित वा अनुचित का विवेक भी नहीं रह गया है। लोक सभा के उपाध्यक्ष श्रीयुत सरदार हुक्मसिंह पंजाबी भाषा की हिमायत करते २ यहां तक कह गये कि गुरुमुखी लिपि वेदों के आविर्भाव से पूर्व भी पंजाब में विद्यमान थी। उनकी इस अनुपम रिसर्च पर रिसर्च स्कालर्स मुग्ध और जन सामान्य आश्चर्य चकित थे। समाचार पत्रों में उनका खंडन छप गया है कि उनके भाषण की रिपोर्ट गलत अङ्कित की गई है। इस आन्दोलन के विरुद्ध इस वर्ग की ओर से न जाने कितनी अनर्गल बातें सुनने को मिलेंगी, जिनसे जन सामान्य का मनोरंजन तो होगा पर वह बहक न सकेगा।

आर्य समाज के अनेक सदस्यों का देश के विविध राजनैतिक दलों के साथ सम्बन्ध है। अनेक सदस्य उन दलों के सदस्य, अधिकारी वा कार्य कर्त्ता हैं। इस आन्दोलन से उनकी निष्ठा के परखने का अवसर उपस्थित हो गया है। कांग्रेस ने

कांग्रेस जनों को आदेश दिया है कि वे इस आन्दोलन से पृथक् रहें। ऐसी स्थिति में आर्य समाज के कांग्रेसी सदस्यों के सामने एक समस्या का उपस्थित हो जाना स्वाभाविक है। ऐसे भाई सम्मान पूर्णसमाधान केलिये अपने प्रभाव और व्यक्तित्व को काममें ला सकते हैं। चाहे उन्हें कांग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद करना पड़े परन्तु आर्य समाज के इस आन्दोलन का वे विरोध नहीं कर सकते।

जो राजनैतिक दल इस आन्दोलन को नैतिक सहायता दे रहे हैं, आर्य समाज उनकी सहायता का आदर करता है। पंजाब की विधान सभा के जिन सदस्यों ने सत्याग्रहियों के प्रति होने वाले पुलिस के अमानुषिक व्यवहार का विरोध किया काम रोको प्रस्ताव रखे और भवन से विरोध स्वरूप बहिर्गमन किया, उन लोगों ने अपने कर्त्तव्य पालन से आर्य जनों के हृदयों में घर कर लिया है वैसे इस आन्दोलन के लिये आर्य समाज का तथा किसी भी राजनैतिक दल का एकाकार हो जाना बड़ा घातक सिद्ध होगा। इस दिशा में विशेष सावधान और जागरूक रहने की आवश्यकता है। आर्य समाज एक क्षण के लिए भी इस आन्दोलन को राजनैतिक आन्दोलन में परिणत होना सहन न करेगा। उस अवस्था में इसकी पवित्रता और उपादेयता नष्ट हो जायगी।

आर्य समाज पंजाब की समस्या को अपनी समष्टिगत समस्या मानता है। पंजाब में इस आन्दोलन के प्रारम्भ होने के समय से ही आर्य जनों की यह मांग थी कि इसे समस्त आर्य जगत का आन्दोलन बनाकर समस्या के हल का यत्न किया जाय। पंजाब की हिन्दी रक्षा समिति पर्याप्त सक्षम थी और है परन्तु जिस आन्दोलन का समस्त आर्य जगत पर प्रभाव पड़ता हो, उसका सार्वदेशिक रूप न किया जाना अचिन्त्य है। फलतः सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने आर्य जगत की मांग और भावना का आदर करते हुए (देखें १६-६-५७ की अन्तरंग सभा का निश्चय) इस आन्दोलन को उग्र एवं सार्वदेशिक रूप देने तथा उसका मार्ग प्रदर्शन करने का निश्चय करके श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त के नेतृत्व में १७ महानुभावों की 'सार्वदेशिक भाषा स्वातंत्र्य समिति' नामक एक समिति नियुक्त करदी है। सार्वदेशिक सभा के इस निश्चय से इस आन्दोलन को समूचे आर्य जगत् का सहयोग प्राप्त हो गया है और इस आन्दोलन की सफलता ही आर्य जगत की मुख्यतम प्रगति बन गई है। प्रचार तथा धन जन संग्रह का कार्य द्रुतगति से आरम्भ हो गया है। इस निश्चय के फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र भी इस आन्दोलन की गति विधि के प्रति विशेष जागरूक हो गये प्रतीत होते हैं। अब उनके सामने यह स्थिति स्पष्ट हो गई कि या तो वे आन्दोलन का मुकाबला करें या समस्या का शीघ्र से शीघ्र हल करें। अब उन्हें आन्दोलन की उपेक्षा करना दूभर हो गया है। सत्याग्रह की सफलता के लिये अन्यान्य बातों के अतिरिक्त आवश्यक बात यह है कि हमारा कदम एक साथ उठे, अपने नेतृत्व में पूर्ण निष्ठा रखें और संघर्ष या समझौते के विषय में वैयक्तिक उत्तरदायित्व लेने से बचें। पंजाब से बाहर के जत्थे कब और कहां जाएं इसका निर्णय सत्याग्रह शिविराध्यक्ष के हाथ में रहना चाहिए। सार्वदेशिक सभा ने प्रदेशीय सभाओं को विस्तृत निर्देश भेज दिये हैं जो उनके द्वारा समाजों में प्रचारित किये जायंगे। प्रत्येक प्रकार का धन यथा संभव बैंक ड्राफ्ट द्वारा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा में आना चाहिए। यहां से आवश्यकतानुसार हिन्दी रक्षा समितियों को धन दे दिया जाता है:—

आर्य समाज ने अपनी नौका समुद्र में डाल दी है। तूफानों एवं बवंडरों से उसका मार्ग अवरुद्ध हो रहा है परन्तु निश्चय ही वह अपनी मांगों के औचित्य में विश्वास रखता, सत्याग्रह की शिष्ट मर्यादा का प्राण पण से पालन करता हुआ उन पर

विजयी होगा और नाव किनारे पर जा लगेगी।

जीवित समाजों को अपने अस्तित्व का अनुभव कराने एवं श्रेष्ठता और वरिष्ठता का परिचय देने के लिये त्याग और बलिदान के मार्ग में से गुजरना ही पड़ता है। यदि आर्य समाज इसमें से गुजरने के लिये विवश हो गया है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है?

शान्ति

परमात्मा व्यक्ति विशेष नहीं है। वह एक महान् निराकार चेतन सत्ता है जो समस्त विश्व में ओत प्रोत है। कोई देश वा जाति विशेष यह दावा नहीं कर सकती कि परमात्मा केवल उसका है। परमात्मा सबका है और सब ही परमात्मा के हैं। हम सब एक ही परिवार के सदस्य और उसके बच्चे हैं। सब धर्मों का स्रोत वही प्रभु है। यदि हम इस सच्चाई को ठीक २ समझलें तो शान्ति की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठा लेवें।

वेद शिक्षा देते हैं कि धर्म्म का अर्थ जीवन है। यह अनुभव है। प्रतिदिन के जीवन के व्यवहार में आने और लाने योग्य वस्तु है। रीति रिवाजों और अनुष्ठानों का नाम जैसा कि हम भूल से समझ बैठे हैं धर्म्म नहीं है। विशेष प्रकार के विश्वास सिद्धान्त या मत का रूप ले लेते हैं और लोग प्रायः उन्हें ही सत्य का सार समझ बैठते हैं। इस प्रकार वे सिद्धान्त हमारी कोई विशेष सहायता नहीं करते। धर्म्म का सार जीवन से, अनुभव से और जीवन को पवित्र बनाने से ही प्राप्त होता है। जब हम सचाई से धर्म्म तत्व को प्राप्त करने के यत्न में लगे होते हैं तब सचमुच शान्ति के राज मार्ग पर चलते होते हैं। जितनी आध्यात्मिक प्रेरणा शान्ति में है उतनी शायद ही अन्य किसी वस्तु में हो। सच्चे आनन्द और सच्ची पवित्रता का ही दूसरा नाम 'शान्ति' है।

हम आर्य लोग शान्ति के विशेष रूपसे इच्छुक रहे हैं। हम शान्ति पाठ के द्वारा अपनी भावना को प्रकट करते हैं। हमारी प्रार्थना, उपासना हमारे उपदेश, प्रवचन, शंका समाधान और शास्त्रार्थ शान्ति! शान्ति!! शान्ति!!! के पाठ के साथ समाप्त होते हैं। शान्ति की यह भावना हमारी परम्परा में व्याप्त है। परन्तु यह भावना तब ही पूरी हो सकती है जब हम अपने सिद्धान्तों को काम में लाएँ, अपने आदर्शों को सच्चे अर्थ में चरितार्थ करें तथा दूसरे लोगों के साथ हमारा व्यवहार श्रेष्ठ हो। अध्यात्म जीवन के लिए सबसे पहली आवश्यक वस्तु 'साम' (शान्ति) होती है। पूर्ण और किसी प्रकार की मिलावट रहित शान्ति का ही दूसरा नाम 'मोक्ष' है।

आज संसार को सबसे अधिक आवश्यकता 'शान्ति' की ही है। केवल शान्ति का उपदेश देते रहने से शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती विशेषतः जब कि हमारे विचार और आचार में चोड़ी खाई हो। बाहरी शान्ति के लिए सबसे पहले भीतरी शान्ति आवश्यक होती है। मन की शान्ति धार्मिक जीवन व्यतीत करने से प्राप्त होती है।

सत्य, ईमानदारी और प्रेम के व्यवहार से हममें बाहरी शान्ति उपलब्ध करने की योग्यता आती है तभी दूसरों के साथ हमारे व्यवहार शुद्ध होते हैं। व्यक्तियों के समान राष्ट्रों को भी शान्ति के लिए योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हाथ में तलवार लेकर शान्ति के लिए काम नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है अविश्वास और सन्देह। ये दोनों शान्ति के परम शत्रु होते हैं। शान्तिके लिए प्रयत्न करने का पेशा बनाने से भी काम नहीं चलता। इस यत्न के साथ पूर्ण आचारिक तपस्या और नियन्त्रण होना चाहिए जो बदले, प्रतिहिंसा, शोषण और दोहन की दुर्भावनाओं को साफ करदे।

वास्तविक जीवन में हम प्रायः एक दूसरे से अनुचित लाभ उठाते हैं। हम ईर्ष्या, लोभ और अभिमान से अपने सच्चे आइने को मैला कर देते हैं। हम पक्के आत्म प्रपंची बन गए हैं। हम न केवल दूसरों को ही अपितु अपने को भी बहुत धोखा देते हैं। जब तक हम इस लबादे को उतार कर फेंक नहीं देते और सत्य तथा विनम्रता का व्यवहार नहीं करते तबतक सच्ची शान्ति की कोई आशा नहीं हो सकती। मक्कारी मौजूदा दुनिया का सबसे बड़ा पाप है और जब इसके साथ अभिमान जुड़ जाता है तब यह गजब ढा देती है।

इस बात से निषेध नहीं किया सकता कि आज हम संतप्त संसार में रहते हैं विरोध और अविश्वास के भाव प्रबल हैं। इस सब के होते हुए भी हम सब का कर्त्तव्य है कि पारस्परिक सद्भाव को पैदा करें।

श्रीयुत ला० सांईदास जी

डी० ए० वी० कालेज लाहोर के ख्यात नामा प्रिन्सिपल श्रीयुत ला० साईंदास जी का निधन आर्य समाज की एक महान क्षति है। श्री लाला जी ने निस्वार्थ एवं प्रशंसनीय सेवाओं का उत्तम रिकार्ड कायम किया था जिससे वर्तमान और आनेवाली सन्तति प्रकाश ग्रहण करेगी। जिन आर्य पुरुषों ने अपने जीवन का लक्ष्य ऋषि ऋण से उऋण होना बनाया उनमें श्री लालाजी का स्थान उच्च है।

परमात्मा से प्रार्थना है कि वह श्रीयुत लाला जी की आत्मा को सद् गति तथा उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों को इस दुःख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें।

श्री शिवस्वामी जी का वियोग

(निधन तिथि २१-६-५७)

श्रीयुत शिव स्वामी जी (भूत पूर्व पं० शिवशर्मा जी) महोपदेशक की मृत्यु का समाचार देते हुए दुःख होता है। श्री स्वामी जी के निधन से आर्य समाज के एक पुराने महारथी सफल उपदेशक, आर्य सिद्धान्तों के मर्मज्ञ और शास्त्रार्थ प्रवीण महानुभाव का स्थान रिक्त हो गया है। श्री स्वामी जी का समस्त जीवन आर्य समाज के अर्पण रहा। उन्होंने अपनी लेखनी और वाणी से उसकी अनवरत उल्लेखनीय सेवा की। आर्य समाज संभल (मुरादाबाद) और आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश दोनों ही उनकी ज्वलन्त सेवाओं से उपकृत रहे। आर्य समाज के पुराने कार्य कर्त्ताओं का शीघ्रता से एक एक करके हमसे वियुक्त हो जाना और उनके स्थानों की पूर्ति की संभावनाओं का धूमिल देख पड़ना चिन्ता का विषय है:—

परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें।

—रघुनाथप्रसाद पाठक

Memorandum submitted to the Governor Punjab

on behalf of Arya Pratinidhi Sabha Punjab and Arya Pradeshik Pratinidhi Sabha Punjab.

Shri C. P. N. singh,
Governor Punjab,
Chandigarh,
Sir,

On behalf of the Arya Pratinidhi Sabha Punjab and the Arya Pradeshik Pratinidhi Sabha Punjab, representing all the Arya Samajes in Punjab, Pepsu, Himachal Pradesh, Delhi, Jammu and Kashmir, we beg to submit the following for your favourable consideration:—

1. The Regional formula evolved for the re-organisation of the two States of Punjab and Pepsu has received a mixed reception. The most criticised aspect of this formula is the one dealing with language. The Arya Samaj is vitally interested in this problem and would, therefore, like to draw your kind attention to the harm that the linguistic aspect of this formula is likely to do to the cause of education and cultural advancement to the new state.

2. According to this scheme the Sachar Formula will be enforced in the territory of the present Punjab, and the Pepsu Formula in the territory of the present Pepsu State. In our opinion two sets of rules in the same region will create many difficulties and complications for the students as well as their parents. It is, therefore, requested that only one formula should apply to the entire State.

3. It has been laid down in the Regional Formula that in the Punjabi Region all administrative work up to the district level and below will be carried on in Punjabi written in Gurmukhi script. In our opinion this is a negation of the fundamental rights granted by the Constitution. Every citizen of this country has a right to carry on his or her work in the National language. Any restrictions on the use of Hindi in official work even at the district level or below are thoroughly unjustified.

4. It was laid down in the Sacher Formula that Hindi will replace English and punjabi will replace Urdu at all levels of administration. There is no reason why this aspect of the Formula should be brushed aside when other parts thereof are proposed to be implemented by the Government.

5. It is a generally accepted educational principle that parents should decide the medium of instruction of their children. The same principle should apply on the new State of Punjab also.

6. According to the Sacher Formula, the teaching of Punjabi in Gurmukhi script from the 4th class to the 10th is compulsory. In our opinion, this compulsion is mostly responsible for the present communal tension in the Punjab. We are not at all opposed to Punjabi. We heartily support its development as one of the regional languages. But we are opposed to any compulsion being exercised by the authorities for

the teaching of any language. Our Leaders, like the Rashtarpati, the Prime Minister, the Home Minister and others have repeatedly declared that they do not want to force any language on anybody. Therefore, the compulsory teaching of Punjabi is against all such declarations and will create unnecessary bitterness amongst the two communities. In our opinion, it should be left to institutions when to start the teaching of the second language.

7. Hindi and Punjabi are so inter-linked and inter-connected that teaching of both the languages is bound to create difficulties for the students in the Lower classes. Many words have the same origin while the pronunciations differ. For the students at a very young age, this will create confusion and would lead to retard their progress.

8. The Arya Samaj, under the inspiring leadership of its founder Maharishi Swami Dayanand Saraswati, has for the last 75 years been agitating for the recognition and adoption of Hindi as the National language of India. The Arya Samaj feels a legitimate pride in this great desideratum having been achieved. It cannot, therefore, accept any inferior status for Hindi in the New Punjab State. The Arya Samaj has no political axe to grind. It is interested in this issue only as it affects our culture so vitally. As the Arya Samaj does not want to make any political capital out of this language controversy, it should like to suggest the following seven-point solution of this problem:—

1. There should be one language formula in the whole State of new Punjab.

2. The medium of instruction in the educational institutions should be left entirely to the choice of parents.

3. There should be no compulsion for the teaching of any of the two languages as a second language at any particular stage.

4. Hindi should replace English at all levels of administration.

5. All Government notifications at the destrict level or below should be bi-lingual.

6. Applications be allowed to be submitted in any language and the reply should also be in the same language.

7. Office records up to the district level and below should be in both the scripts.

The Arya Samaj will always welcome a peaceful solution of this problem. we would therefore, request you to please use your good offices for the acceptance of our demands, so that Arya Samaj may be able to play its rightful part in the reconstruction of the New Punjab.

Your faithfully,

Sd/-Suraj Bhan M.L C. President
A. P. P. Sabha, Punjab.
Sd/- Rala Ram M. L A.,
Principal.
Sd/- Jagdev Singh,
Shastri Sidhanti.
Sd/- Bhagwan Dass Principal.
Sd/- Virendra, Mantri Arya
Pratinidhi Sabha Punjab.

❀

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब और आर्य प्रादेशिक सभा पंजाब
का
पंजाब के गवर्नर को सर्वप्रथम संयुक्त आवेदन पत्र
(हिन्दी अनुवाद)

श्रीयुत सी० पी० ऐन सिंह
गवर्नर पंजाब
चंडीगढ़

श्रीमान् जी,

पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश, देहली, जम्मू और काशमीर के समस्त आर्य समाजों का प्रतिनिधित्व करने वाली आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब और आर्य प्रादेशिक सभा पंजाब की ओर से हम आपके सहानुभूति पूर्ण विचार के लिए निम्नांकित आवेदन पत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं:—

१—पंजाब और पेप्सू के दो राज्यों के पुनर्निर्माण के लिए निर्मित रीजनल फार्मूले को स्पष्ट समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। इस फार्मूले का अत्यन्त आलोच्य पहलू भाषा से सम्बद्ध है जो आर्यसमाज के लिए एक मौलिक प्रश्न है। अतः हम उस हानि की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जो फार्मूले के भाषा विषयक भाग से नए राज्य के शैक्षणिक सांस्कृतिक और प्रशासनिक हित को हो सकती है।

२—इस योजना के अनुसार वर्तमान पंजाब के क्षेत्र में सच्चर फार्मूला और वर्तमान पेप्सू राज्य के क्षेत्र में पेप्सू फार्मूला लागू किया जायेगा। हमारी सम्मति में एक ही क्षेत्र में दो प्रकार के नियमों से विद्यार्थियों और उनके माता पिताओं के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। अतः निवेदन है कि समस्त राज्य में एक ही फार्मूला व्यवहृत होना चाहिए।

३—रीजनल फार्मूले में यह व्यवस्था की गई है कि पंजाबी क्षेत्र में जिला स्तर और उसके नीचे का समस्त प्रशासनिक कार्य गुरुमुखी लिपि में लिखित पंजाबी भाषा में होगा। हमारी सम्मति में यह संविधान में स्वीकृत मौलिक अधिकारों का अपहरण है। इस देश के प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि वह अपना कार्य राष्ट्र भाषा में करे जिला स्तर और उसके नीचे के सरकारी काम में भी हिन्दी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना नितान्त अनुचित है।

४—सच्चर फार्मूले में यह वर्णित है कि शासन के समस्त स्तरों पर अंग्रेजी का स्थान हिन्दी और उर्दू का स्थान पंजाबी लेगी। ऐसी अवस्था में फार्मूले के इस अंश का एक ओर उठाकर रख दिया जाना जबकि अन्य अंश क्रियान्वित होने वाले हों, नितान्त अनुचित है।

५—शिक्षा का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि माता पिताओं को अपने बच्चों की शिक्षा का माध्यम स्वयं निश्चित करना चाहिए। यही सिद्धान्त पंजाब के नए राज्य में भी व्यवहृत होना चाहिए।

६—सच्चर फार्मूले के अनुसार चौथी श्रेणी से दसवीं श्रेणी तक गुरुमुखी लिपि में पंजाबी अनिवार्य्य है। हमारी सम्मतिमें पंजाबमें व्याप्त वर्तमान साम्प्रदायिक वैमनस्य का मुख्यतम कारण यही अनिवार्यता है। हमारा पंजाबीसे जराभी विरोध नहीं है। हम एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में हृदय से इसकी उन्नति के समर्थक हैं। परन्तु हम इस बात के विरुद्ध हैं कि राज्य किसी भाषा के शिक्षण के लिए लोगों को विवश करे। राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री गृहमन्त्री सरीखे हमारे नेताओं ने बार २ यह घोषणा की है कि वे किसी भाषा को किसी व्यक्ति पर बलात् लादना नहीं चाहते। अतः पंजाबी का बलात् शिक्षण उन सब घोषणाओं के विरुद्ध है। इससे तो हिन्दुओं और सिक्खों में अनावश्यक कटुता उत्पन्न

होगी। हमारी सम्मति में यह संस्थाओं पर छोड़ देना चाहिए कि वह दूसरी भाषा का शिक्षण कब प्रारम्भ करें।

७—हिन्दी और पंजाबी आपस में इतनी मिली जुली हैं कि छोटी क्लासों में दोनों भाषाओं के शिक्षण के कारण विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना होगा। बहुत से शब्दों का मूल एक ही है परन्तु उच्चारण में विभिन्नता है। इससे बच्चे बड़े भ्रम में पड़ जायेंगे और उनकी उन्नति कुंठित हो जायगी।

८—आर्यसमाज अपने प्रवर्त्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती के प्रेरणामय नेतृत्व में पिछले ७५ वर्ष से हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए आन्दोलन करता रहा है। इस अभिलषित वस्तु की प्राप्ति पर आर्य समाज उचित रीति से अभिमान करता है। अतः पञ्जाब के नए राज्य में हिन्दी का घटिया दर्जा आर्य समाज को ग्राह्य नहीं हो सकता। आर्यसमाज को किसी राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति नहीं करनी है। भाषा के इस प्रश्न का हमारी संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है इसी दृष्टि से आर्य समाज इस प्रश्न से सम्बद्ध है और इसके सम्यक समाधान के लिए निम्नाङ्कित सप्त सूत्री उपाय प्रस्तुत करता है:—

(१) समस्त नए पञ्जाब राज्य में एक ही भाषा योजना लागू होनी चाहिए।

(२) शिक्षा संस्थाओं में बच्चों की शिक्षा के माध्यम का चुनाव सर्वथा माता पिताओं की इच्छा पर छोड़ दिया जाय।

(३) किसी भी विशेष स्तर पर दोनों भाषाओं में से किसी एक का द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना अनिवार्य्य न होना चाहिए।

(४) शासन के प्रत्येक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का स्थान हिन्दी को दिया जाना चाहिए।

(५) जिले के स्तर या उसके नीचे की सब सरकारी सूचनाएँ और निर्देश दोनों भाषाओं में होने चाहिएँ।

(६) किसी भी भाषा में प्रार्थना पत्र देने की आज्ञा होनी चाहिए। उनके उत्तर भी उसी भाषा में होने चाहिएं।

(७) जिले स्तर तथा उसके नीचे के सरकारी कागजात दोनों लिपियों में होने चाहियें।

आर्य समाज सदैव इस समस्या के शान्तिपूर्ण उपायों के द्वारा समाधान का स्वागत करेगा। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप इन मांगों की स्वीकृति के लिए अपने प्रभाव को कार्य्य में लाएं, जिससे आर्य समाज नए पंजाब के पुनर्निर्माण में अपना उचित योग देने में समर्थ हो सके।

निवेदकः—

१—सूरजभान एम० एल० सी प्रधान आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब
२—रलाराम एम० एल० ए० प्रिंसिपल
३—जगदेव सिंह शास्त्री सिद्धान्ती
४—भगवानदास प्रिंसिपल
५—वीरेन्द्र मन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब

॥ ओ३म् ॥

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली

का

उनचासवां वार्षिक वृत्तान्त

[१-३-५६ से २८-२-५७ तक]

निर्माण व्यवस्था

इस वर्ष इस सभा में गत वर्ष की तरह १५ प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभाएं सम्मिलित रहीं। वर्ष के अन्त में यह सभा निम्न प्रकार ७९ सदस्यों का समुदाय थी :—

१—प्रान्तीय सभाओं के प्रतिनिधि सदस्य	४४
२—भूतपूर्व प्रधान	३
३—प्रतिष्ठित	५
४—आजीवन	२६
५-समाजों के जहां प्रदेशीय सभा नहीं हैं)	१
	७९

अधिकारी तथा अन्तरङ्ग सदस्य

कार्य विवरणान्तर्गत वर्ष में सभा के निम्नलिखित अधिकारी और अन्तरंग सदस्य रहे :—

अधिकारी

१-प्रधान-श्रीयुत पं०इन्द्रजी विद्यावाचस्पति एम.पी.
२-उपप्रधान-१ श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज
३—,, २ ,, बाबू पूर्णचन्द जी एडवोकेट
४—,, ३ श्रीमती माता लक्ष्मी देवी जी
५—मन्त्री-श्रीयुत लाला रामगोपाल जी शालवाले
६-उपमन्त्री १ श्रीयुत शिवचन्द्र जी
७— २ ,, देवराज जी एम० ए०
८-कोषाध्यक्ष श्रीयुत ला० बालमुकन्द जी
९-पुस्तकाध्यक्ष ,, पं० धर्मवीर जी वेदालंकार

अन्तरङ्ग सदस्य

१—श्रीयुत पं० विजयशंकर जी (बम्बई)
२— ,, ,, यशपाल सिद्धान्तालङ्कार (पंजाब)
३— ,, लाला चरणदास जी एडवोकेट (पंजाब)

सम्बद्ध प्रान्तीय सभाएं

१—आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश
२—आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब
३—आर्य प्रतिनिधि सभा बिहार
४—आर्य प्रतिनिधि सभा बंगाल व आसाम
५—आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान
६—आर्य प्रतिनिधि सभा मध्यभारत
७—आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश
८—आर्य प्रतिनिधि सभा हैदराबाद
९—आर्य प्रतिनिधि सभा सिन्ध
१०—आर्य प्रतिनिधि सभा बम्बई
११—आर्य प्रतिनिधि सभा पूर्वीय अफ्रीका
१२—आर्य प्रति०सभा नैटाल दक्षिण अफ्रीका
१३—आर्य सभा मौरीशस
१४—आर्य प्रतिनिधि सभा फिजी
१५—आर्य प्रतिनिधि सभा सुरीनाम डचगायना

४—श्री मिहिर चन्द्र जी [बंगाल]
५— ,, डो० डो० पुरी [पूर्वीय अफ्रीका]
६— ,, प्रो० इन्द्रदेव सिंह जी [मध्यप्रदेश]
७ – ,, डा० महावीरसिंह जी [मध्यभारत]
८— ,, वेड़हाराम जी वैद्य [सिन्ध]
९— ,, भगवतीप्रसाद जी [राजस्थान]
१०– ,, पं० वासुदेव जी [विहार]
११– ,, आचार्य विश्वश्रवाः जी } उत्तर प्रदेश
१२– ,, बा० कालीचरण जी
१३– ,, प्रो० रामसिंह जी एम० ए० (आजीवन सदस्यों के प्रतिनिधि)
१४– ,, नारायण जी [मदरास]
१५– ,, स्वामी ध्रुवानन्द जी सरस्वती
१६– ,, पं० भीमसेन जी विद्यालङ्कार

सभा के नियमों का संशोधन

२६-४-५६ के नैमित्तिक अधिवेशन में नियमावली की संशोधित धारा ११ के सम्बन्ध में ३४ सभासदों के प्रतिवेदन पर विचार होकर इस धारा का निम्ननिखित भाग निकाल दिया गया :—

"इस सभा के प्रधान एवं प्रधान मन्त्री का निर्वाचन प्रदेशीय सभाओं के प्रतिनिधि सभासदों अथवा भूतपूर्व प्रधानों और प्रधान मन्त्रियों में से ही हो सकेगा।"

आर्य समाज उपनियम संशोधन

२७-१-५७ की अन्तरंग सभा में आर्य समाज के उपनियमों का संशोधन अन्तिम रूप से हुआ और २० वीं धारा तक संशोधन कार्य हुआ।

प्रचार कार्य

श्रीयुत पं० सत्यपाल जी स्नातक ने इस वर्ष ३१-१०-५६ तक दक्षिण भारत और्गेनाइजर तथा उपदेशक के रूप में कार्य किया और उनका मुख्य स्थान मैसूर रहा। सरकारी सर्विस में चले जाने के कारण त्याग पत्र देकर १-११-५६ से सभा की सेवा से मुक्त हुए। २७-१-५७ की अन्तरंग सभा में नियमित रूप से उनका त्याग पत्र स्वीकृत हुआ।

सभा के दक्षिण भारतके दूसरे उपदेशक श्रीयुत पं० मदनमोहन जी विद्यासागर की सेवाएं जो उपदेशक विद्यालय हैदराबादके अर्पण थी२६-४-५६ की अन्तरंग के निश्चयानुसार १-५-५६ से समाप्त की गई।

२७-१-५७ की अन्तरंग के निश्चयानुसार श्रीयुत आर्यमूर्ति जी जो आर्य प्रतिनिधि सभा कर्नाटक के उत्साही मन्त्री हैं, वैतनिक उपदेशक नियत हुए।

श्रीयुत पं० सत्यपालजी का कार्य

१—इस वर्ष उन्होंने मैसूर, बंगलौर, बल्लगुंगल, हिपिड़क, उडपी, कराकल, मंगलौर, हासन, गोरी विदनूर, पश्चिम वाहिनी, कल्लड़ी, चित्रदुर्ग, तुमकूर, कालीकट, रामनगरम, कोलार नामक १६ स्थानों पर प्रचार किया।

२—हासन, पश्चिम वाहिनी, कल्लड़ी, कोलार नामक चार नये स्थानों पर प्रचार हुआ।

३—३२ व्याख्यान दिये।

४—४३ यज्ञ व विविध वैदिक संस्कार कराये गये।

५—चित्र दुर्ग में नवीन समाज स्थापित हुआ।

६—गोकरुणा निधि और आर्योद्देश्य रत्न-माला कन्नड़ में प्रकाशित हुई।

७- ४ ईसाइयों की शुद्धि हुई।

आर्य प्रतिनिधि सभा कर्नाटक

८—आर्य प्रतिनिधि सभा कर्नाटक का विधान बनवा कर और उसके अनुसार निर्वाचनादि कराके उसका कार्य विधिवत् प्रारम्भ कराया गया और उसके कार्यालय की समुचित व्यवस्था की गई। प्रसन्नता है यह सभा धीरे २ उन्नति कर रही है।

इस सभा से सम्बद्ध समाजों का विवरण इस प्रकार है :—

नाम समाज	स्थापना
१ - आर्यसमाज मैसूर, देवराज मुहल्ला	१९२८
२— ,, विश्वेश्वर पुरम् बंगलौर	१९३०
३— ,, १ यूनियन स्ट्रीट, बंगलोर छावनी	१९३८
४— ,, रामपुरम, बंगलौर	१९४३
५— ,, मंगलौर (दक्षिण कनारा) संन्यासी गुड्डा	१९१४
६— ,, कारकल (दक्षिण कनारा)	१९३६
७— ,, हिरियडक (दक्षिण कनारा)	१९३४
८— ,, तीर्थ हल्ली (दक्षिण कनारा)	१९२७
९— ,, उडुपी (दक्षिण कनारा)	१९४०
१०— ,, गोरी विदनूर जिला बंगलौर	१९४९

राज्य पुनर्गठन और दक्षिण भारत प्रचार

भाषा के आधार पर हुए राज्यों के पुनर्गठन से प्रांतीय सभाओं के संगठन और कार्य क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करने के लिए प्रांतीय समाजों की सम्मतियां मंगाई गई जिन पर ७-१०-५६ को अन्तरंग सभा में विचार हुआ। इस पुनर्गठन का प्रभाव मध्य-भारत, बम्बई और सर्वाधिक आर्य-प्रतिनिधि सभा हैदराबाद पर पड़ा है। आर्य-प्रतिनिधि-सभा हैदराबाद का सुझाव था कि जनवरी ५७ में हैदराबाद नगर में हैदराबाद राज्य तथा दक्षिण के अन्य प्रान्तों के विशेष आर्य प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन किया जाय जिसमें समस्त दक्षिण प्रदेश के लिए एक आर्य-प्रतिनिधि बनानेपर विचार किया जाय, उक्त सम्मेलन में सार्वदेशिक सभा के अधिकारी भी सम्मिलित हों, और सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग इस सम्मेलन के निश्चय पर विचार करके ही अपना निर्णय करे। अन्तरंग सभा ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। १६-१-५७ को सभा प्रधान श्रीयुत पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति जी की अध्यक्षता में हैदराबाद नगर में उक्त सम्मेलन हुआ जिसमें आर्य-प्रतिनिधि सभा कर्नाटक, आर्य समाज मद्रास (सेन्ट्रल) तथा त्रिप्लीकेन के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त आर्य-प्रतिनिधि सभा हैदराबाद के १६ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। सभा प्रधान ने सार्वदेशिक सभा की नीति स्पष्ट की कि सम्प्रति राज्य पुनर्गठन के अनुसार प्रान्तीय सभाओं का पुनर्गठन अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक प्रतिनिधि सभा ने कन्नड़ क्षेत्रों का कार्य संभाल लिया है दक्षिण के जिन भागों में प्रतिनिधि सभा नहीं है वहां सार्वदेशिक सभा प्रचार का प्रबंध स्वयं करेगी और हैदराबाद सभा का नाम बदल कर उसका कार्यक्षेत्र निर्धारित किया जाय।

सम्मेलन ने आर्य-प्रतिनिधि-सभा हैदराबाद का नाम (आर्य-प्रतिनिधि-सभा मध्य दक्षिण) रखने तथा उसका कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार निर्धारित करने का सुझाव दिया:—

१—पूर्व कर्नाटक के ३ जिले—बीदर, रायचूर गुलबर्गा (ये मैसूर राज्य में चले गए हैं)

२—महाराष्ट्र के ५ जिले—औरंगाबाद, परभणी, नान्देड़, उस्मानाबाद तथा बीड (ये जिले बम्बई राज्य में चले गए हैं)

३—तिलंगाना आंध्र के २१ जिले—

२७-१-५७ की अन्तरंग सभा ने इन सुझावों को स्वीकार करके दक्षिण के ऐसे भागों में जहां प्रतिनिधि सभाएं नहीं हैं प्रचारादि की व्यवस्था करने के लिए एक उपसमिति नियुक्त करने का सभा प्रधान को अधिकार दिया है। यह उपसमिति नियुक्त हो गई है जिसकी नियमित स्वीकृति अन्तरंग सभा से लेनी है।

नैपाल प्रचार

१५ नवम्बर ५६ तक सभा की १५०) मासिक की सहायता से आर्य प्रतिनिधि सभा बिहार के द्वारा नैपाल में प्रचार का नियमित कार्य हुआ। शरद्-ऋतु में विशेष कार्य न हो सकने तथा कार्य का निरीक्षण करके तदनुसार कार्य की प्रगति को बढ़ाने की योजना बनाकर क्रियान्वित करने के उद्देश्य से यह सहायता बंद करदी गई। १५ नवम्बर तक

श्रीयुत पं० रामदेव जी शास्त्री द्वारा जो कार्य हुआ उसका विवरण इस प्रकार है :—

मौखिक प्रचार

काठमांडू, वीरगंज, प्यूठान, त्रिपुटेश्वर, डिग्गी, भक्तपुर, भीमसेन थान, नरदेवी, भीमफेरी, घड़िहरदा, जनकपुर, जलेश्वर, सिरहा, माढी, खिरौना, भाटपार, रानी, लुम्बिनी, शिवगढ़, बढ़नी बाजार, तुलसीपुर नौतनवा आदि स्थानों पर प्रचार हुआ।

आर्य प्रतिनिधि सभा नैपाल की स्थापना

१६मार्च १९५६ को अमर हुतात्मा श्री शुक्रराज शास्त्री के घर पर आर्य-प्रतिनिधि-सभा नैपाल की स्थापना की गई जिसके प्रधान श्रीयुत प्रोफेसर गोदत्तमान श्रेष्ठ और मंत्री श्रीमदनमोहन श्री गुप्त निर्वाचित हुए। इस सभा को सुसंगठित और शक्ति शालिनी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

राज्याभिषेक

२-५-५६ को श्री महाराजाधिराज वीर विक्रम महेन्द्र शाह नैपाल नरेश का राज्याभिषेक हुआ। सार्वदेशिक सभा की ओर से महाराज को तार द्वारा बधाई दी गई और राज्याभिषेक में वैदिक पद्धतियों का अनुसरण किए जाने पर हर्ष प्रकट किया गया। इस अवसर पर बिहार सभा की ओर से वेद में राज्याभिषेक शीर्षक ट्रैक्ट छपवाकर प्रचारित किया गया।

आर्य वीरदल वीर गंज के ५० स्वयं सेवकों ने नपाल नरेश की शोभा-यात्रा में सैनिक वेष भूषा में भाग लिया। ३ मई को स्टेडियम (काठमांडू) में नैपाल नरेश के निमन्त्रण पर आर्य वीरों ने व्यायाम और लाठी का उत्तम प्रदर्शन किया जिससे प्रभावित होकर महाराज ने १५००) आर्य वीरदल को पारितोषिक रूप में प्रदान किया।

एक बड़ा खतरा

नैपाल में ईसाइयों की आपत्तिजनक प्रगतियां हिन्दू समाज के लिए भयंकर खतरा बनती जा रही है। सन्तोष है कि महाराजाधिराज नैपाल का ध्यान इस खतरे की ओर आकृष्ट हुआ और उन्होंने ईसाई प्रचारकों की आपत्ति जनक प्रगतियों पर अंकुश रखने के निमित्त धर्म्म परिवर्तन दंडनीय अपराध ठहरा दिया है। इस सामयिक साहसिक उत्तम पग के लिए यह सभा महाराजाधिराज को धन्यवाद देती है। परन्तु आर्य समाज इतने भर से निश्चिन्त नहीं बैठ सकता। यह सभा इस खतरे के निराकरण के लिए अपनी प्रगतियों को बढ़ाने और प्राय: सबका सहयोग प्राप्त करने के लिए सचेष्ट है।

नैपाल में हमारे पैर जम गए हैं, यह तो नहीं कहा जा सकता परन्तु इतना अवश्य है कि वहां आर्य समाज को आदर और हिन्दू समाज के रक्षक की दृष्टि से देखा जाता है और उससे बड़ी २ आशाएं लगाई जाती हैं।

उड़ीसा प्रचार

उड़ीसा के तनरडा (*गंजाम*) नामक स्थान पर श्री वत्स गोरक्षा आश्रम नामक एक संस्था १९:५ ई० से स्थापित है जिसका प्रबन्ध एक ट्रस्ट के अधीन है। आश्रम के संस्थापक श्री वत्स पांडया जी आर्य समाज से विशेष प्रेम रखते थे। इस आश्रम में ३० एकड़ भूमि खेती की है जिसका आनुमानिकमूल्य १५०००) है। आश्रम में २३ गऊ एवं बछड़े बछड़ी हैं। लगभग ३०००) मूल्य का बिकाऊ साहित्य है जिसमें उड़िया सत्यार्थप्रकाश भी सम्मिलित है। जून ५६ में आश्रम के कोष में ३५००) नकद जमा था।

ट्रस्ट के संस्थापक श्री पांडया जी की इच्छा थी कि यह आश्रम उड़ीसा में आर्य समाज के प्रचार का सुदृढ़ केन्द्र बन जाय। इस सभा ने इस इच्छा की पूर्ति में श्री पांडया जी को योग दिया और प्रचारार्थ आर्थिक सहायता भी दी। यह ट्रस्ट इस

सभा के अधीन हो जाय इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है वर्तमान ट्रस्टियों से मिलकर बात चीत करने की योजना बनाई जा रही है।

आश्रम ने ६-६-५६ को श्री रंगाधर जी आर्य प्रचारक को गोशाला के कार्य के लिए नियुक्त किया और उन्हें आर्य समाज के प्रचार कार्य की भी छूट दी। इस सभा की ओर से ६ मास तक उनके वेतन का अर्द्धभाग ३०) मासिक दियागया। गौशाला विषयक कार्य के अतिरिक्त निम्न प्रकार प्रचार कार्य हुआ :—

आश्रम के निकट-वर्ती-ग्रामों तथा नगरों में प्रचार हुआ और धुमपुर नामक स्थान पर आर्य समाज की स्थापना हुई। गोपाष्टमी, ऋषि निर्वाण तथा श्रद्धानन्द बलिदान दिवस समारोह पूर्वक मनाए गए। श्रद्धानन्द दिवस विवरण को उड़िया के प्रमुख पत्रों ने अच्छा स्थान दिया।

संस्कार विधि, पंचमहायज्ञ विधि और आर्योद्देश्य रत्नमाला उड़ीसा में अनूदित की गईं।

विविध प्रचार

अर्द्ध कुम्भी प्रचार

४-३-५६ की अन्तरंग सभा के निश्चयानुसार अप्रैल ५६ के द्वितीय सप्ताह में सभा की ओर से अर्द्ध कुम्भी पर हरिद्वार में प्रचार किया गया। ८ उपदेशक आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के तथा २ उपदेशक सार्वदेशिक सभा के प्रचारार्थ हरिद्वार भेजे गए। मायापुर वाटिका में प्रचार का प्रबन्ध किया गया। प्रातः काल से लेकर रात्रि के ११ बजे तक प्रचार का क्रम चलता रहता था। ७ दिन तक प्रचार हुआ। लगभग २० हजार व्यक्तियों ने वैदिक धर्म्म का सन्देश सुना। इस समस्त प्रचार पर १००४।) व्यय हुआ जिसमें से ३०२॥।) का साहित्य वितरण किया गया।

बुद्ध जयन्ती प्रचार

सभा के उपमन्त्री श्री शिवचन्द्र जी बुद्ध जयन्ती महोत्सव के अवसर पर सारनाथ वैदिक-धर्म्म प्रचारार्थ गए। वहां उन्होंने सभा के प्रधान श्रीयुत पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति का सन्देश जो हिन्दी तथा अंग्रेजी में छपा था उत्सव में पढ़कर सुनाया। २३, २४, तथा २५ मई को उत्सव में पधारे हुए बौद्ध भिक्षुओं, उत्तर प्रदेश के मन्त्रीगण, उच्चाधिकारियां तथा उच्च कोटि के शिक्षित वर्ग को श्रीयुत पं० गंगा प्रसादजी उपाध्याय कृत अंग्रेजी पुस्तक Social Reconstruction under Budh&Dayanand सोशल रिकंस्ट्रकशन अंडर बुद्ध एंड दयानन्द तथा श्री पं० धर्म्मदेव जी विद्यावाचस्पति द्वारा लिखित हिन्दी पुस्तक "महर्षि दयानन्द तथा बुद्ध" भेंट की। २६-२७ तथा २८ मई को काशी के अनेक विद्वानों तथा स्थानीय दैनिक पत्रों के सम्पादकों से मिलकर उन्हें उपर्युक्त दोनों पुस्तकें भेंट की। बनारस के समस्त दैनिक पत्रों में श्री पं० इन्द्र जी का सन्देश तथा श्री शिवचन्द्र जी द्वारा प्रचार कार्य प्रकाशित हुआ था।

श्रीयुत पं० धर्म्मदेव जी विद्यावाचस्पति विद्या-मार्त्तण्ड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बौद्ध जयन्ती पर्व पर गया में प्रचारार्थ गया। प्रतिनिधियों में सार्वदेशिक आर्य वीरदल के प्रधान सेनापति श्री ओ३म प्रकाश जी पुरुषार्थी प्रमुख थे। इस प्रतिनिधि मंडल ने वहां जाकर लंका, तिब्बत, ब्रह्मा, स्याम थाईलैंड आदि देशों से पधारे बौद्ध भिक्षुओं को आर्य समाज का साहित्य भेंट किया जिसमें बौद्ध धर्म्म सम्बन्धी पुस्तकें भी थी। इस अवसर पर श्री पं० धर्म्मदेव जी ने सभा प्रधान का सन्देश भी पढ़कर सुनाया जो बहुत पसन्द किया गया। बौद्ध भिक्षुओं तथा अन्य विद्वानों के साथ प्रतिनिधि मण्डल ने विचार विनिमय किया जिसका प्रभाव उत्तम रहा।

विदेश प्रचार

विदेश में इस सभा की ओर से नियमित प्रचार तो नहीं हो रहा है परन्तु श्रीयुत ब्र० उषर्बुध

जी श्री धीरेन्द्रजी शील शास्त्रीतथा श्री के०पी०वर्मा द्वारा लंदन, ब्रिटिश गायना,तथा अमेरिकामें प्रचार हुआ और इस सभा की ओर से साहित्य द्वारा इन्हें प्रोत्साहन दिया गया तथा आर्थिक सहायता भी दी गई। उनके कार्यों का विवरण इस प्रकार है:—

लंदन

श्रीयुत पं० उषर्बुध जी तथा धीरेन्द्र जी शील शास्त्री के प्रयत्न से लंदन में आर्य समाज के कार्य में महती प्रगति हुई है। स्कूलों, यूनिवर्सिटियों तथा विविध सोसाइटियों में इन दोनों के विशेष महत्व पूर्ण भाषण होते रहे। श्रीयुत ब्र०उषर्बुध जी जुलाई ५६ में १ वर्ष के लिए लण्दन से ब्रिटिश गायना चले गए हैं।

ब्रह्मचारी उषर्बुध जी १५ नवम्बर ५३ को पूर्वीय अफ्रीका से लण्दन पहुंचे थे। वहां लगभग २ वर्ष ८ मास रहे। इस बीच में इन्होंने हालैंड, जर्मनी और बेलजियम की भी यात्रा की। इंग्लैंड के प्राय: सब मुख्य २ नगरों तथा ग्रामों में प्रचारार्थ घूमे। लगभग ३०० व्याख्यान दिये। संस्कृत, हिन्दी, योग और भारतीय दर्शन, की नि:शुल्क कक्षाएं चलाई गई। अनेक भाषण मालाओं का आयोजन किया गया। आर्य समाज की मासिक पत्रिका निकाली गई जो अब भी चल रही है। यह पत्रिका आर्य धर्म्म और संस्कृति के प्रचार का अच्छा साधन सिद्ध हो रही है।

श्रीयुत ब्र० धीरेन्द्र जी शील शास्त्री निरन्तर लण्दन में प्रचार कार्य करते रहे हैं। उनके उद्योग और प्रबन्ध से वेद, गीता, उपनिषद, योग, हिन्दी आदि २ की कक्षायें लगती रही हैं जिनमें उपस्थिति अच्छी रही।

४ मई से २२ जून तक श्रीयुत पं० ऋषिराम जी बी. ए. की "भाषण माला" चली। श्री सौरेन्सन एम. पी. रेवरेंड आर्कर पी काक सैक्रेटरी वर्ल्ड कांग्रेस फेथ्स तथा ऐसे ही अन्य कई सम्भ्रान्त प्रतिष्ठित महानुभावों ने उस भाषण माला के भाषणों में सभापतित्व किया।

ब्र० शील २५ सितम्बर ५६ को जर्मनी के केन्ट नामक स्थान पर हुए "विश्व धर्म्म प्रार्थना सम्मेलन में आर्य (हिन्दू) धर्म्म के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। इस यात्रा के सिलसिले में हालैंड और बेलजियम भी गए। हालैंड के एमस्टर्डम और जर्मनी के क्लोन नामक नगरों के प्रमुख समाचार पत्रों में इनके आर्य समाज विषय पर डच तथा जर्मन भाषाओं में लेख प्रकाशित हुए। उन्होंने भारत के सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में उपर्युक्त तीनों देशों के पत्रकारों प्राध्यापकों और विभिन्न संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित किया। वहां भारत के प्रति सम्मान है।

इस वर्ष दशहरा और दिवाली के पर्व हिन्दू एसोसियेशन आव् युरोप के साथ मिलकर मनाए गए। आर्य समाज की ओर से श्री धीरेन्द्र शील के भाषण हुये। १८-१२-५६ को केम्ब्रिज में लाईफ एन्ड डैथ पर तथा लण्दन में शान्तिवादी संस्था पी. पी. यू. में गांधी तथा भारत के अहिंसा वादी दर्शन पर भाषण हुए। १० नवम्बर को वैस्ट फील्ड कालेज लण्दन विश्वविद्यालय में "भारतीय जन दर्शन" पर व्याख्यान हुआ। यह कालेज केवल लड़कियों का है और अपने ढंग का एक ही कालेज है। ५ नवम्बर ५६ को बुद्ध विहार में भाषण हुआ।

वैदिक धर्म्म प्रचारक यात्री दल

ब्रह्मचारी धीरेन्द्र शील के नेतृत्व में लण्दन आर्यसमाज का एक यात्री दल लण्दन के गिरजाघरों, मस्जिदों तथा अन्य धार्मिक स्थानों पर जाकर वहां के विद्वानों से वैदिक धर्म्म, भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में आस्था उत्पन्न करने के लिए विचार विनिमय करता रहा। प्रचारका यहढंग आर्यसमाज के इतिहास में बड़ा प्रभावशाली और निराला है।

ब्रिटिश गायना—

श्री ब्रह्मचारी उषर्बुध जी ५ सितम्बर को ब्रिटिश गायना पहुंचे। यहां आर्य वर्षों की मातृ-

भाषा भी अँग्रेजी है। ब्रह्मचारी उषर्बुध जी के वहां पहुंचने का स्वागत हुआ है। ब्रिटिश गायना में जाने पर उनके सम्मान में जो स्वागत सभा हुई थी उसमें जार्ज-टाउन नगर के गण्य मान्य लोग, केबिनेट मिनिस्टर आदि उपस्थित थे। बहुत से लोग १००-१०० मील दूर से सभा में आए थे। भारत के प्रति बड़ा मान है।

पंडित उषर्बुध जी ने प्रचार के साथ-साथ आर्यसमाज के संगठन को दृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया हुआ है। उनके जाने से पूर्व वहां की आर्यसमाज का संगठन कुछ समय से शिथिल हो गया था। उनके जाने से यह अवस्था सुधर गई है। आर्य जनों का विविध मतावलम्बियों के साथ सम्पर्क बढ़ गया है और आर्यसमाज का आदर होने लगा है। उन्होंने अमेरिकन एर्यन लीग को सुदृढ़ किया।

ब्रिटिश-गायना की आबादी लगभग ५ लाख है। यहां भारतीय, अफ्रीकन, चीनी, पुर्तगीज़, मूलरेड इंडियन्स और युरोपियन रहते हैं। आर्यों की संख्या लगभग ७ हजार है। ३५ आर्य समाजें है तथा ३२ हिन्दी स्कूल चलते है।

श्री ब्रह्मचारी उषबुध जी की वेद कथाओं से बड़ा ठोस कार्य हुआ है। प्रत्येक कथा में उपस्थिति लगभग ७०० रही। महर्षि दयानन्द और आर्य नेताओं की जीवनियों पर भी उनके व्याख्यान हुए। श्रद्धानन्द बलिदान दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया। १८ शाखाएँ आर्य वीर दल की और २ शाखाएँ बाल दल की चल रही हैं। ८ दिन का एक शिविर लगा जिसमें ६० नवयुवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस शिविर का जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा। ब्रह्मचारी उषर्बुध जी उन भागों में भी गए जहां मूल निवासी रहते हैं और जहां ईसाई मिशनरियों के अतिरिक्त अन्य किसी को जाने की अनुमति नहीं है। वैदिक साहित्य के २ पुस्तकालय भी स्थापित किए गये हैं। एक गुरुकुल चलाने की भी योजना है। आर्य वीर दल साधना मन्दिर के लिए भूमि दान में प्राप्त हो गई है। ब्रिटिश गायना की राज्य सरकार ने उनके अच्छे कार्य और उससे उत्पन्न प्रभाव से प्रेरित होकर उनसे राज्य भर में पंचायतों को संगठित करने की प्रार्थना की है जो उन्होंने स्वीकार कर ली है।

यह सभा श्रीयुत ब्रह्मचारी उषर्बुध जी तथा ब्रह्मचारी धीरेन्द्र जी शील शास्त्री के कार्य को, जो वे बिना वेतन लिए कर्त्तव्य समझकर कर रहे हैं, आदर की दृष्टि से देखती है। इस सभा ने उनके कार्य में सहायता स्वरुप आर्य समाज लंदन को २५००) भेजे हैं।

श्रीयुत स्वामी ध्रुवानन्द जी का विदेश भ्रमण

श्री स्वामी ध्रुवानन्द जी सरस्वती आर्यसमाज नैरोबी (ईस्ट अफ्रीका) के निमन्त्रण पर २० जुलाई ५६ को जलयान द्वारा नैरोबी पहुँचे।

ईस्ट अफ्रीका

२२ जुलाई से २ अगस्त तक आर्यसमाज के उत्सव के उपलक्ष्य में यज्ञ हुआ जो प्रतिदिन दोनों समय होता था। सायंकाल को यज्ञ के पश्चात श्री स्वामी जी का भाषण होता था। ३ से ८ अगस्त तक उत्सव में भाग लिया। इसके पश्चात् प्रत्येक आर्य परिवार में जाकर २ घण्टे पर्यन्त सामाजिक और धार्मिक विचार विनिमय करते थे। १५ अगस्त को थियोसोफीकल सोसाइटी में भाषण दिया।

१८ से २० अगस्त तक किसूमु के वार्षिकोत्सव में भाग लेकर २६ को नैरोबी की समाज का वार्षिक निर्वाचन उनकी उपस्थिति में हुआ। २७ अगस्त से २ सितम्बर तक एल्डोरेट में प्रचार करके वहां से टोरोरो गए। ४ और ५ सितम्बर को वहां इण्डियन ऐसोसियेशन में २ सार्वजनिक

भाषण दिए। एक व्याख्यान गवर्नमेंट अँग्रेजी स्कूल में भी हुआ।

६ सितम्बर को मबाले गए। वहां २ व्याख्यान पाटीदार समाज हाल में श्री रतीलाल जी मन्त्री हिन्दू यूनियन की अध्यक्षता में हुए।

८ सितम्बर को कम्पाला गए। १४ को लगाजी (युगाण्डा) गए और वहां भी व्याख्यान हुआ। आर्यसमाज कम्पाला ने ५०१ शिलिंग की थैली भेंट की। इस थैली की राशि आर्यसमाज कम्पाला और नैरोबी को बराबर २ प्रचारार्थ दे दी गई। श्रीयुत सेठ नानजी भाई कालीदास के सुपुत्र श्री महेन्द्रकुमार मोहता तथा सुपुत्री आयुष्मती सविता बहन के आग्रह पर २९ को पुनः लगाजी गए और उनके शुगर मिल्स के क्लब में प्रिंसिपल पेंटर की अध्यक्षता में रात्रि के ९ से १० बजे तक व्याख्यान हुआ २६ को वहां से विदा होते समय कुमारी सविता बहन ने ५०१ शिलिंग की थैली भेंट की जिसे स्वामी जी ने यह कहकर अस्वीकृत कर दिया कि वे भेंट लेने नहीं अपितु वैदिक धर्म्म का सन्देश देने आए हैं। इस पर भी भाई और बहिन दोनों का आग्रह हुआ और उस श्रद्धामय आग्रह ने श्री स्वामी जी को उस भेंट को स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया इस शर्त के साथ कि इस राशि को सार्वदेशिक सभा को दान करने में स्वतन्त्र होंगे। स्वामी जी ने यह राशि इस सभा को दान कर दी। इस प्रकार २ अक्टूबर तक युगाण्डा प्रान्त का भ्रमण समाप्त करके ४-१०-५६ को किसुमु लौट गए। १४ से २३ तक नेकुरु रहे। ५ दिन तक व्याख्यान दिए और ५ दिन आर्य समाज को संगठित करने में लग गए, यहाँ कई वर्ष से साप्ताहिक सत्संग रुका हुआ था वह चालू किया गया। समाज के कोष में १३ हजार शिलिंग जमा है। इस राशि को सुरक्षित कराया। यहां कुल १४ व्याख्यान हुए। २४ को नैरोबी लौट गए।

१० नवम्बर को किसुमु से टाँगानिका प्रदेश की यात्रा की। १२ को मुम्बासा पहुंचकर १३ से २६ तक वहां रहे। यज्ञ और वार्षिकोत्सव में भाग लिया ३ व्याख्यान हुए। आर्यसमाज के सदस्यों से एक विशेष सभा में आर्यसमाज के संगठन को दृढ़ करने और कार्य की प्रगति बढ़ाने के विषय पर विचार हुआ। वहां से नानसियो गए जहां श्री बाल जी भाई से भेंट हुई जो वहां के एक बड़े प्रतिष्ठित और सम्पन्न निरामिष भोजी हिन्दू हैं। जब स्वामी जी के व्याख्यान का नोटिस निकलने लगा तो उक्त महानुभाव ने पूछा—"आप किस काम के लिए कितना धन लेने आए हैं?" स्वामी जी ने उत्तर दिया "मैं धर्म्म प्रचार के लिए आया हूँ पैसा लेने नहीं," इस पर उन्होंने कहा यहाँ तो जो आया है वह धन के लिए ही आया है आपका खर्च कैसे चलेगा?" स्वामी जी ने बताया कि "आयसमाज मेरे यात्रा व्यय और भोजन का प्रबन्ध कर देता है।" इस पर वे मौन हो गए। उन्होंने चतुरता से अपने पौत्र के द्वारा १०० शिलिंग का नोट श्री स्वामी जी को भेंट रूप में दिया स्वामी जी ने नोट स्वीकार करके पुनः उन्हीं को लौटा दिया और कहा कि इसे सार्वदेशिक सभा को भेज देवें वेद प्रचार के काम में आ जायगा। नानसियों में एक व्याख्यान दिया। वहां से मुम्बासा होकर गए वहां ३ व्याख्यान हुए। २१ को दारा सलेम पहुंचकर वहां १ व्याख्यान दिया। पुनः २८नवम्बरसे ५ दिसम्बरतक वहां ठहर कर प्रचार किया। दारा सलेम में ८ व्याख्यान हुए ६ पुरुष समाज में १ स्त्री आर्य समाज में और १ पंजाब ऐसोसियेशन में। १ दिन केवल आर्य सदस्यों को आर्य समाज की उन्नति विषयक परामर्श देने में लगाया। यह समाज बड़ा प्रगतिशील है।

६ से ९ दिसम्बर तक जंजीबार में प्रचार हुआ वहां से मुम्बासा आकर १५ से २१ दिसम्बर तक आर्यसमाज में यज्ञ किया। यज्ञ की समस्त दक्षिणा

पूर्व घोषणानुसार सार्वदेशिक सभा को दान में मिल गई।

मौरोशस

श्री स्वामी जी ६ जनवरी १९५७ को पूर्वीय अफ्रीका से मोरीशस चले गए। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। ९ जनवरी को वेलवे मोरेश गए। इस समाज के ६० सदस्य हैं। समाज में एक आर्य कन्या पाठशाला तथा एक प्रौढ़ रात्रि पाठशाला चलती है। यहां साप्ताहिक अधिवेशन नहीं होता किन्तु पाक्षिक अधिवेशन होता है। जो सदस्य किसी कारण वश पाक्षिक अधिवेशन में सम्मिलित नहीं होता वह उसकी सूचना मन्त्री को दे देता है सूचना न देने पर सदस्य पर २५ सेंट जुर्माना होता है। सन्ध्या प्रायः सब सदस्य करते हैं। जुर्माने का धन उसी मास में या वार्षिक निर्वाचन से पूर्व प्राप्त कर लिया जाता है।

श्री स्वामी जी प्रचार और निरीक्षण कार्य में संलग्न हैं।

श्री स्वामी जी महाराज इस सभा की प्रेरणा पर वैदिक धर्म के प्रचार, आर्य समाज के कार्य के निरीक्षण सुधार तथा उनके विस्तार की सम्भावनाओं की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विदेश गए हुए हैं। प्रसन्नता है कि श्री स्वामी जी की यह यात्रा बड़ी सफल सिद्ध हो रही है। उनके कार्य का सर्वत्र आदर हो रहा है तथा सार्वदेशिक सभा की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। इस सबके लिए यह सभा श्री स्वामी जी की आभारी है। श्री स्वामी जी को थैलियों और निजी दक्षिणा में प्राप्त राशि जो सब उन्होंने अपनी ओर से सभा को दान की है ७०४) की है। इसके अतिरिक्त उनकी प्रेरणा से सावदेशिक पत्र के ५० ग्राहक बने हैं। जिनका चंदा प्राप्त हो चुका है।

अमेरिका प्रचार

श्रीयुत के. पी. वर्म्मा को २८-८-५६ की अन्तरंग सभा के निश्चयानुसार ५००) का साहित्य भिजवाना है जिसमें से अबतक १७५) का साहित्य भेजा जा चुका है। इस साहित्य में श्री स्वामी जी कृत वेद भाष्य प्रमुख है।

इनके सुपुत्र डा. वेदव्रत ने कैलीफोर्निया के विश्व विद्यालय से "वैदिक साहित्य" में पी. एच. डी किया है। उन्होंने अंग्रेजी में ईशोपनिषद और मांडूक्योपनिषद का अनुवाद और भाष्य लिख लिया है। वे वैदिक फिलासफी पर भी एक पुस्तक लिख रहे हैं। योगदर्शन पर भी भाष्य तैयार हो रहा है। इन सबके मुद्रण की वहीं व्यवस्था की जायगी। भारतीय मुद्रण अमेरिका में लोक प्रिय नहीं है।

ऐसा अनुभव किया जाता है कि अमेरिकन जनता के सामने योग और आर्य (हिन्दू) धर्म का गलत पक्ष ही रखा जाता रहा है अतः इन दोनों के सम्बन्ध में व्याप्त भ्रम के निवारणार्थ प्रचार और साहित्य प्रकाशन की आवश्यकता है। श्री वर्म्मा जी इसके लिए प्रयत्न करते रहते हैं।

१५ दिसम्बर को सेनफ्रांसिस्को में डा० और श्रीमती टी. सी. चावरा का विवाह संस्कार वैदिक विधि द्वारा कराया गया। इस भाग में यह पहला वैदिक विवाह था। इस संस्कार को बहुत से अमेरिकन स्त्री पुरुषों ने देखा जो अमेरिकन फ्रैंड सेन्टर हाल में सम्पन्न हुआ।

श्री वर्म्मा जी विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा में दयानन्द के वेद भाष्य तथा वैदिक साहित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का यत्न कर रहे हैं।

डच गायना

सार्वदेशिक सभा की सिफारिश पर श्रीयुत वेदप्रकाश पातंजल शास्त्री एम. ए. आर्य प्रतिनिधि सभा सुरीनाम डच गायना के प्रतिष्ठित उपदेशक नियुक्त होकर ४-२-५७ को वहां पहुंच गए हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा के मुख्य स्थान पारामारीबो में आर्यजनों तथा जन सामान्य द्वारा उनका भव्य स्वागत हुआ। डच गायना जाते समय मार्ग में कुछ

घण्टे ट्रीनीडाड में भी ठहरे। वहां उनके अंग्रेजी में २ भाषण हुए।

अंडमान प्रचार

इन टापुओं की जन संख्या लगभग ३२ हजार है। राजधानी पोर्ट ब्लेअर नगर है जिसकी जन-संख्या लगभग १० हजार है। यहां हिन्दुओं की जनसंख्या मुसलमानों और ईसाइयों की अपेक्षा अधिक है फिर भी गिरजों और मस्जिदों की संख्या के मुकाबले में हिन्दू मन्दिरों की संख्या नगण्य है।

२७-७-५६ को यहां आर्य समाज की स्थापना हुई। इस समाजका संचालन प्रायः सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले उच्च कर्मचारियोंके द्वारा ही होता है।

वहां अण्डमानीयन एसोसियेशन नामक एक राजनैतिक संस्था काम करती है। इसका एक पाक्षिक पत्र 'हमारी आवाज' निकलता है। इस संस्था को आर्य समाज जैसी प्रगतिशील संस्था की स्थापना सहन न हुई और इसने अपने उपर्युक्त पत्र में आर्यसमाज के विरोध में एक लेख लिख कर आर्य समाज का अस्तित्व मिटाने की चाल चली। इसने आर्य समाज को राजनैतिक संस्था से भी बुरी साम्प्रदायिक संस्था बताया और जन सामान्य में विरोध एवं वैमनस्य के उत्पन्न होने का भय प्रकट किया जिससे सरकारी कर्मचारी आर्य समाज से पृथक् रहें या रखे जायें। सभा की ओर से इस शरारत को विफल करने का यत्न किया गया। अण्डमन के शासकों को तथा केन्द्रीय सरकार को विशेष पत्र भेजे गये हैं। समाचार पत्रों में भी इसका प्रतिवाद छपाया गया है इस कार्य में सभा उपमन्त्री श्री शिवचन्द्र जी से सहयोग प्राप्त रहा है। एक अच्छे प्रभावशाली आर्य संन्यासी को वहां प्रचारार्थ भेजने की व्यवस्था की जा रही है। आर्य समाज तथा उसके सिद्धान्तों से सम्बद्ध ५५२।) का साहित्य भी फ्री भेजा गया है।

साहित्य प्रचार

श्री एन० पियर्सन इंग्लैंड निवासी जो १० वर्ष तक अरविन्द आश्रममें डिवाइन लाइफ पढ़ाते थे स्वेच्छया आर्यसमाज विनयनगर द्वारा ३-४-५६ को वैदिक धर्म में दीक्षित हुए। उनका नाम प्रियदर्शन रखा गया। इन्हें सभा की ओर से फिलासफी आफ दयानन्द, विजडम आफ ऋषीज, वैदिक कलचर और आर्य समाज इन्टर नेशनल लीग पुस्तकें जो १६॥-) के मूल्य की थीं भेंट की गई।

श्रीमती हेलेन मैंडेज रेडवुड स्टेट, कैलीफोर्निया ने १२-५-५६ के अपने पत्र में सच्चे धर्म विषयक साहित्य की जानकारी प्राप्त की। सभा से फिलासफी आव दयानन्द तथा गिल्म्सेज आफ दयानन्द पुस्तकें भेजी जिनकी अपने २३-७-५६ के पत्र द्वारा उन्होंने प्राप्ति स्वीकार की और लिखा कि मैं दयानन्द फिलासफी बड़े चाव से पढ़ रही हूँ।

टोकियो विश्वविद्यालय की इण्डियन फिलासफी के प्रोफेसर हेजमी नकामुरा तथा हांगकांग विश्व विद्यालय के चीनी भाषा के विभाग के अध्यक्ष श्री एफ० एस० ड्राके ने जिन्हें दयानन्द फिलासफी भेजी गई थी लिखा है कि वे इस ग्रन्थ को अवश्य पढ़ेंगे। प्रो० हेजमी नकामुरा ने यह भी लिखा है कि वे इस प्रकार का ग्रन्थ पढ़ना चाहते थे और अपने ग्रन्थों तथा लेखों में इसका उल्लेख करेंगे।

प्रतिष्ठित व्यक्तियों को वैदिक साहित्य भेंट तथा उनके साथ पत्र व्यवहार

सभा के उपमन्त्री श्री पण्डित शिवचन्द्र जी ने निम्न प्रतिष्ठित महानुभावों से मिल कर उन्हें वैदिक साहित्य भेंट किया और सार्वदेशिक सभा और आर्य समाज के कार्य से परिचित कराया तथा उनके साथ पत्र व्यवहार भी किया :—

१—फ्रांस के श्री मेंशन तथा श्रीमती मेंशन।
२—अमेरिका के श्री फ्रेडरिक पी० बाटिलेट।
३—अमेरिका के श्री भूतपूर्व राजदूत जान शर्मन कूपर।
४—अमेरिका के नये राजदूत श्री ऐलसवर्थ बन्कर।
५—स्वीटजरलैंड के श्री जार्ज।
६—अमेरिका की श्रीमती हेलेन मेण्डेज (पत्र व्यवहार तथा साहित्य भेंट)
७—भारत के भूतपूर्व सेनापति श्री के० एम० करिअप्पा।
८—श्रीमती सुचेता कृपलानी एम० पी०
९—श्री माननीय जगजीवनराम जी रेलवे मन्त्री भारत सरकार।
१०—श्री अनिलकुमार जी चन्दा भारत सरकार के वैदेशिक विभाग के उपमन्त्री।

अनुसन्धान विभाग

यह विभाग इस वर्ष श्रीयुत पं० विश्वनाथ जी विद्यालङ्कार के आधीन रहा और इसका कार्य दयानन्द वाटिका में होता रहा।

श्रीयुत पं० विश्वनाथ जी द्वारा ऋग्वेद और सामवेद का भाषार्थ का कार्य हो रहा है। इस कार्य की प्रगति इस प्रकार है:—

१	सामवेद भाषार्थ (मन्त्र पदों को कोष्ठों में दिये बिना)	४८६ मंत्र
२	ऋग्वेद ,, ,,	३७१ मन्त्र
३	,, (मन्त्रपदों को कोष्ठों में देकर)	१०० मंत्र
		९५७

सभा प्रधान ने अनुसन्धान विभाग के लिए एक परामर्श दातृ समिति नियुक्त की जिसके सदस्य इस प्रकार रहे :—

१—श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज
२—,, ,, वेदानन्द जी तीर्थ
३—,, पं० लोकनाथ जी तर्कवाचस्पति

इस समिति की एक बैठक २४-८-५६ को हुई।

वैदिक अनुसन्धान पत्रिका

अक्टूबर ५५ से इस त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया है। इसके ३ अङ्क (द्वितीय तथा तृतीय सम्मिलित रूप में) प्रकाशित हो चुके हैं।

श्रीयुत जयपाल जी स्नातक श्रीयुत पं० विश्वनाथ जी के सहायक के रूप में काम करते हैं। उन्होंने प्रियमेध, अत्रि, विरूप, अङ्गिरा, तथा प्रस्कण्व—इन ऋषि नामों के सम्बन्ध में विस्तृत खोज की और वैदिक अनुसन्धान के सम्पादकीय कार्य में श्री पं० विश्वनाथ जी को सहायता देते रहे।

आय व्यय

अनुसन्धान विभाग पर ५७६२।≋)६ व्यय हुआ जिसका विवरण इस प्रकार है :—

वेतन कार्य कर्त्ता तथा अन्य व्यय	५०१८॥≋)६
व्यय अनुसन्धान पत्रिका	७४३।॥)
	५७६२।≋)६

आय दान से

श्री सेठ बलीराम जी तनेजा धनवाद से	१०००)
चन्दा अनुसन्धान पत्रिका	१८०।=)
	११८०।=)
अनुसन्धान निधि से व्यय	४५८२-)६
	५७६२।≋)६

विविध आन्दोलन

गोरक्षा आन्दोलन

२९-४-५६ की अन्तरंग सभा ने इस आंदोलन के संचालनार्थ निम्नलिखित उपसमिति नियुक्त की थी जिसके संयोजक श्रीयुत ला० रामगोपाल जी सभा मन्त्री थे।

१—श्रीयुत स्वामी ध्रुवानन्द जी महाराज
२—,, पं० यशःपाल जी सिद्धान्तालङ्कार
३—,, बा० कालीचरण जी आर्य
४—,, प्रो० रामसिंह जी एम० ए०

५— ,, डा० महावीर सिंह जी
६— ,, पण्डित नरेन्द्र जी
७— ,, पं० मिहिरचन्द जी धीमान
८— ,, लाला बालमुकन्द जी आहूजा
९— ,, ओम्प्रकाश जी पुरुपार्थी
१०— ,, लाला रामगोपाल जी (संयोजक)

इस समिति की एक बैठक २१-७-५६ को देहली में हुई। इस बैठक ने श्रीयुत पण्डित शिवदयालु जी तथा श्री प्रकाशवीर जी शास्त्री को सहयुक्त किया।

इस वर्ष बकरईद के अवसर पर शाहाबाद (बिहार) के जिलाधीश की ओर से बिहार राज्य के मुख्य मन्त्री श्रीयुत डा० कृष्णसिंह जी का नागरिकों से अपील शीर्षक से एक हैंडबिल छपवाया जाकर वितरित हुआ था। गोरक्षा समिति ने उपर्युक्त बैठक में एक प्रस्ताव पास करके जिसकी सम्पुष्टि २२-७-५६ की अन्तरंग बैठक द्वारा हो गई थी बिहार सरकार के इस कार्य का विरोध किया क्योंकि इस हैंडबिल से गोवध को प्रोत्साहन मिलता था। प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"गोरक्षा समिति का ध्यान बिहार राज्य के मुख्य मन्त्री श्रीयुत डा० श्रीकृष्णसिंह जी का नागरिकों से अपील शोर्षक परिपत्र की ओर आकृष्ट किया गया जो बिहार सरकार के आदेशानुसार जिलाधीश शाहाबाद केद्वारा वितरित किया गया है।

यह समिति उक्त परिपत्र में अंकित साम्प्रदायिक शान्ति को बनाये रखने की बिहार सरकार की अपील का आदर करती है परन्तु इस परिपत्र को जिस भावना से प्रचारित और इसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह निन्दनीय है।

इस समिति की सम्मति में इस परिपत्र में उल्लिखित यह स्पष्टीकरण अनावश्यक प्रतीत होता है कि बिहार राज्य का गोवध निरोध विधेयक सुप्रीम कोर्ट में झगड़ारी होने के कारण लागू नहीं हुआ है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से ईद के अवसर पर गोवध के प्रोत्साहन को प्रेरणा का आभास मिलता है जो एक दम अवांछनीय है।"

यह निश्चय बिहार राज्य के मुख्य मन्त्री महोदय को भेजा गया।

पंजाब में गोवध निरोध कानून

गोवध निरोध कानून बनवाने के लिये पंजाब सरकार के मुख्य मंत्री महोदय से ११-३-५५ को सभा का एक शिष्ट मण्डल चंडीगढ़ में मिला था। प्रसन्नता है यह कानून बन गया है। इस विधेयक के अनुसार राज्य में गोवध अवैध होगा और लूली लंगड़ी गौओं के लिए गोसदन स्थापित किये जायेंगे।

हैदराबाद में गोवध निरोध कानून

श्री पं० नरेन्द्र जी ने हैदराबाद राज्य के मुख्य मन्त्री के नाम ६-५-५६ को एक विशेष पत्र लिख कर माग की थी कि उनका गोवध निवारण बिल विधान सभा में पेश किया जाय। इसके आधार पर मुख्य मन्त्री महादय ने अपने स्वास्थ्य एवं ग्राम सुधार मन्त्री को गोवध निरोध बिल बनाकर विधान सभा में लाने का आदेश दिया। सभा प्रधान की ओर से श्री बी० रामकृष्ण राव मुख्य मन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री को विशेष पत्र भेज कर इस बिल को शीघ्र से शीघ्र विधान सभा में लाने का अनुरोध किया गया।

राज्य पुनर्संगठन आयोजना के अन्तर्गत नव निर्मित आन्ध्र प्रान्त की विधान सभा में श्री वी० वेंकटरामैया (कांग्रेस) का गोवध निषेध बिल पेश हो चुका है।

उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण विधेयक

उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण विधेयक बन जाने और प्रचलित हो जाने पर भी मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, खुर्जा आदि २ स्थानों पर गुप्त रूप से कसाइयों के घरों, में जंगलों में और खेतों पर गोवध होता है। सभा के कार्यकर्ता श्रीयुत पं० रामस्वरूप जी को भेजकर जांच कराई गई और उनकी रिपोर्ट से उन समाचारों की सत्यता प्रमाणित हो जाने पर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को

अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया जाता रहा। प्रसन्नता है कि हमारे अनुरोध पर समुचित ध्यान दिया गया।

उत्तर प्रदेश के आर्य समाजों ने इस सभा की प्रेरणा पर १५-७-५६ को गोरक्षा दिवस मनाया। सार्वजनिक सभाएं करके जनता को यह बताया गया कि गोवध निषेध विधेयक क्रिया में आ गया है। गोवध निवारण के लिये उससे पूरा २ लाभ उठाया जाय और यह ध्यान रखा जाय कि गोवध की कोई भी दुर्घटना पुलिस द्वारा दबाई न जाय। इस दिवस के आयोजन का बड़ा उत्तम प्रभाव रहा। सर्व साधारण जनता कानून तथा अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक हो गई।

ग्राम डवारसी, थाना पिलखुआ (मेरठ) के जमनादास कुम्हार ने अपने ग्राम में जहाँ मुसलमानों की आबादी अधिक है गौ हत्या के दो केसों की पुलिस को रिपोर्ट की। इससे कसाई लोग उसके विरोधी बनकर उसे तंग करने लगे। यहाँ तक ही नहीं उसे मार डालने तक की धमकी दी गई। सभा ने यह मामला अपने हाथ में लेकर जमनादास की सहायता और रक्षा का प्रबन्ध किया। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को लिखा। मेरठ के जिलाधीश ने उनकी सुरक्षा का उचित प्रबन्ध करके इसकी सूचना सभा कार्यालय को दी और सभा कार्यालय ने अपने कार्यकर्ता जमनादास जी के पास भेजकर सरकारी कार्यवाही के सम्बन्ध में अपना सन्तोष किया।

गत मई मास में गोधरा (बम्बई) के मुसलमानों ने स्थानीय नगर पालिका से मांग की कि ईद पर उन्हें गौ वध की स्वीकृति दी जाय। सभा ने गोधरा नगर पालिका को प्रेरणा की कि गौवध की आज्ञा न दी जाय। आर्य प्रतिनिधि सभा बम्बई ने भी नगरपालिका से ऐसा ही विरोध किया। प्रसन्नता है कि गोधरा की नगरपालिका ने गोवध की अनुमति नहीं दी।

देहली नगर में हिन्दू-मन्दिरों के सामने कुछ दुकानों पर मांस तथा माँस के बने पदार्थों की बिक्री होने लगी थी। इसे बन्द कराने का यत्न किया गया। सभा मन्त्री नगर पालिका के प्रधान से मिले जिन्होंने इस बिक्री को बन्द कराने का आश्वासन दिया। देहली में आर्य समाज दीवान हाल के प्रयास से आवारा गऊओं की नीलामी बन्द हो गई थी परन्तु दुर्भाग्य से पुनः चालू हो गई। सभा मन्त्री ने नगरपालिका के प्रधान से मिलकर नीलामी बन्द करने के आदेश जारी करा दिये हैं। किन्तु दुःख है नगर पालिका के प्रधान द्वारा आश्वासन देने पर भी यह नीलामी पूर्णतया बन्द न हुई।

गोवध निषेध विधेयकों को कसाईयों की चुनौती

बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गोवध निषेध विधेयकों को कसाईयों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। कसाइयों की याचिकाओं पर विचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने तक कानून के प्रचलन की आज्ञा प्राप्त की हुई है परन्तु मध्यप्रदेश तथा बिहार सरकारों की ओर से इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं हुआ। सभा की ओर से श्री बा० नवनीतलाल एडवोकेट अन्य वकीलों के साथ इस केस की पैरवी कर रहे हैं।

कार्यकर्त्ता

श्रीयुत मास्टर पोहकरमल जी वर्ष के अन्त तक और श्री पं० रामस्वरूप जी ३०-११-५६ तक गोरक्षा सम्बन्धी कार्य बड़ी तत्परतासे करते रहे हैं। गोरक्षा के कार्य के साथ २ वे ईसाई प्रचार निरोध आदि का कार्य भी करते रहे।

उनके कार्यों का विवरण इस प्रकार है :—

श्री मास्टर पोहकरमल जी

गोरक्षा सम्मेलन २० कराए गए।
गोरक्षा के नोट बेचे ४००)
गोकरुणानिधि ५०० बेची गई।
ग्रामों में जाकर गोचर भूमि छुड़वाने गोसदन

खोलने तथा पेंठों में गौ बैलों को कसाइयों के हाथ बेचने से रोका गया।

श्री पं० रामस्वरुप जी

मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, हापुड़, ढवारसी, तौड़ी (मेरठ) सोहना, मालब, साकरस, दोता, पाठसोरी, झिरका, फिरोजपुर आदि २ स्थानों पर जाकर गोवध की स्थिति का निरीक्षण किया और उसके रोकने का यत्न और प्रबन्ध किया।

पंजाब के दोहा और साकरस (गुड़गांव) में गत वर्षों में प्रतिदिन लगभग २०० गौओं का वध होता था। विधेयक के लागू हो जाने से दोहा में तो लगभग बन्द है। साकरस में यदा कदा कुछ केस हो जाते हैं। इस वर्ष एक केस साकरस में पकड़ा गया था जिसमें ३ कसाईयों को ६-६ महीने की सजाएं हुई।

ग्राम कोट थाना हथीन तहसील नूह जिला गुड़गांव में गो हत्या होने पर पुलिस ने वास्तविक अपराधियों के स्थान पर अन्य निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था। इन लोगों की सहायता की गई और वास्तविक अपराधियों को गिरफ्तार कराया गया और सजा दिलाई गई। इस काम में पं रुचिराम जी की सहायता ली गई।

गोरक्षा अन्दोलन पर इस वर्ष १६६३॥) व्यय हुआ।

आय व्यय की स्थिति इस प्रकार है:—

आय ४३०) गत वर्ष शेष १०५८२॥।≈)।॥

व्यय १६६३॥) अधिक व्यय १२३३॥)

अधिक व्यय १२३३॥) शेष ९३४६।≈)॥

मांस बाजार की रिपोर्ट

खेद है कि भारत सरकार जनता में गो मांस भक्षण की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए प्रयत्न शील है। इस प्रयत्न की सफलता के लिए वह गोवध को येन केन प्रकारेण जारी रखने पर कटिबद्ध देख पड़ती है जैसा कि स्वास्थ्य विभाग के गुप्त परिपत्रों से प्रमाणित है। मुर्गी पालन योजना, मछलियों के लिए नए तालाबों का निर्माण अंडो के व्यापार की वृद्धि को प्रोत्साहन ये सब आयोजन मांसाहार की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले ही है। इसके अतिरिक्त साहित्य प्रकाशन द्वारा भी इस प्रकार का आयोजन होता है। साहित्य एकादमी द्वारा प्रकाशित भगवान बुद्ध नामक इस वर्ष के ग्रन्थ में मांसाहार शीर्षक ११ वां अध्याय उल्लेखनीय है जिसमें भगवान बुद्ध पर शूकर मांस भक्षण, का आरोप लगाया जाता है महावीर स्वामी जैन श्रमणों तथा प्राचीन काल के ब्राह्मणों पर गो मांस भक्षण, चौराहों पर गोवध करने तथा मांस बनाने के घृणित दोषारोपण किये गये हैं। इस पुस्तक के विरुद्ध आर्य, हिन्दू, जैन, संस्थाओं ने प्रबल आन्दोलन जारी कर रखा है। वस्तुतः इस प्रकार का साहित्य जो पूर्वजों पर भारतीय मान्यताओं के विरुद्ध मांसाहार का दोषारोपण करता हो जब्ती के योग्य है।

ईसाई प्रचार निरोध आन्दोलन

साधारण सभा दिनांक २-५ ५५ के अधिवेशन में ईसाई प्रचार निरोध आन्दोलन के लिए निम्न लिखित महानुभावों की एक उपसमिति नियुक्त हुई थी :—

(१) श्रीयुत पण्डित इन्द्र जी विद्यावाचस्पति (संयोजक)
(२) ,, ,, लाला नारायण दास जी
(३) ,, ठा० कर्णसिंह जी
(४) ,, डा० महावीर सिंह जी
(५) ,, कविराज हरनामदास जी
(६) ,, पं० यशपाल जी सिद्धान्तालंकार
(७) ,, स्वामी अभेदानन्द जी
(८) ,, लाला राम गोपाल जी
(९) ,. प्रो० रामसिंह जी
(१०) ,, ओ३म् प्रकाश जी पुरुषार्थी

श्री ओ३म् प्रकाश जी पुरुषार्थी इस समिति के मन्त्री के रूप में कार्य करते रहे। ६१७५६ को इस समिति की बैठक देहली में सभा कार्या-

लय में हुई जिसमें श्रीयुत शिवदयालु जी तथा श्री प्रकाशवीर जी शास्त्री सहयुक्त हुये।

इस बैठक में निम्न प्रकार मुख्य निश्चय हुए :—

१—सभा मन्त्री की मठगुलनी अभियोग विषयक बिहार यात्रा की रिपोर्ट के प्रकाश में इस अभियोग की अपील की जाय और इस अपील का संचालन सीधा सार्वदेशिक सभा द्वारा हो।

२—नियोगी कमेटी की रिपोर्ट का समर्थन किया जाय और सभा प्रधान इस सम्बन्ध में प्रेस को एक वक्तव्य दे देवें।

ईसाइयों के आपत्तिजनक प्रचार के निराकरण, उनके जाल से लोगों के रक्षण और शुद्धि तथा रचनात्मक कार्य के संचालन का विशेष प्रयत्न किया जाता रहा।

प्रचार

इस वर्ष श्रीयुत पण्डित रुचिराम जी निरन्तर काम करते रहे। श्रीयुत मा० पोहकर मल जी तथा पण्डित राम स्वरूप जी गोरक्षा कार्य के साथ २ इस कार्य को भी करते रहे।

इनके कार्य का विवरण इस प्रकार है:—

पं० रुचिराम जी

८-७-५६ को चिराग दिल्ली में ५६६ ईसाइयों को आर्य धर्म्म में दीक्षित किया गया। इस शुद्धि संस्कार में सभा प्रधान, सभा मन्त्री, सभा कोषाध्यक्ष, श्री ओ३म् प्रकाश जी पुरुषार्थी तथा श्री दीवान बलीराम जी तनेजा आदि २ महानुभावों ने भाग लिया।

शुद्धि के लिये क्षेत्र की तैयारी

देहली के पास मसीहगढ़ नामक एक ग्राम है जहां के लगभग पांच सौ निवासी हैं जो सभी हरिजन ईसाई हैं। ये लोग ४० वर्ष से ईसाई चले आते हैं। कृषि करते हैं और शुद्ध होने को उद्यत हैं। शुद्ध न होने का दबाव डालने के निमित्त पादरियों ने इन्हें कृषि की जमीनों से बेदखल कर दिया। फलतः इनके तथा पादरियों के मध्य अभियोग आरम्भ हो गया। १५-१२-५६ को श्री पुरुषार्थी जी इन लोगों से मिले। उन्होंने यह शर्त रखी कि यदि सार्वदेशिक सभा अपने व्यय पर उनके अभियोग की पैरवी करे तो हम शुद्ध हो जायेंगे।

सभा ने अपने व्यय पर उनकी कानूनी सहायता का प्रबन्ध कर दिया है। ३ और १८ जनवरी को अभियोग की २ पेशियां हो चुकी हैं। आशा है इस अभियोग में सफल हो जाने पर सारा गांव शुद्ध हो जायगा।

ईसाई होने से बचाया

ग्राम अधचन्नी (महरौली) के दलित भाई ईसाइयत की शरण लेने वाले थे क्योंकि वहां के जाट और गूजर आदि सवर्ण लोग उनको अपने कुए पर पानी न भरने देते थे। महरौली का ईसा मिशन उन्हें अपने जाल में फंसाने की घात लगाए बैठा था। सभा द्वारा उनका कष्ट मिटाया गया। सभा मन्त्री तथा श्री ओ३म् प्रकाश जी पुरुषार्थी ने स्वयं ग्राम में जाकर सवर्गों को समझाया जिस के फलस्वरूप उन्होंने हरिजनों के अधिकारों को स्वीकार और अपने कर्तव्य को अनुभव करके उनको कुँए से जल भरने की सुविधा प्रदान की और वे ईसाई बनने से बच गये। कथवाड़िया सराय और डेरा फतहपुर ग्रामों में भी जो महरौली के निकट हैं दलित भाइयों की अनेक सामाजिक बाधाओं का निराकरण किया गया। इन तीनों ग्रामों में सात सौ दलितों को ईसाई होने से बचाया गया। इन ग्रामों में पण्डित जी के १७ व्याख्यान हुये।

ईसाई क्षेत्र में प्रचार

मोगल; मसीहगढ़, महरौली, डेरा फतहपुर, महपालपुर, खानपुर, मैदानगढ़ी, हौजरानी, नेवसराय, देवली आदि ग्रामों में जो ईसाइयों के प्रभाव में थे पण्डितजी १४५ बार लोगों से मिलने

जुलने और प्रचार करने के लिये गये।

इसके साथ ही शुद्ध हुए क्षेत्रों में जाकर ५४ व्याख्यान दिये और उन्हें ईसाई प्रचारकों के कुचक से मुक्त रखने का प्रयास किया।

दलितोद्धार सम्मेलन तथा सहयोग

५-८-५६ को जमोला ग्राम (ओखला) में एक दलितोद्धार सम्मेलन तथा भोज कराया जिस में मदनपुर खादरा, जुलैना, ओखला, तमूनगर, आश्रमनगर आदि २ ग्रामों के लगभग दो हजार दलित कहे जाने वाले भाईयों ने भाग लिया।

श्री मास्टर पोहकर मल जी

हरियाना प्रान्त के सोनीपत, छोटा खेड़ा, भिवानी, रोहतक, बहादुरगढ़, नरेला, बांकनेर आदि १५० ग्रामों में प्रचारार्थ गये। १०० व्याख्यान दिये जिनके सुनने वालों की संख्या लगभग ३० हजार थी। लगभग ५०० मील की यात्रायें कीं।

२०५६ व्यक्तियों को ईसाई होने से बचाया। २०० हिन्दू बच्चों को ईसाई मिशन के स्कूलों में भरती होने से रोककर उन्हें आर्य स्कूलों में भरती कराया।

केसर खेड़ी (गन्नौर) में १ दलितोद्धार सम्मेलन तथा सहभोज कराया गया जिसमें लगभग ५०० व्यक्ति सम्मिलित हुये।

१० ईसाई प्रचार निरोध सम्मेलन कराये गये।

बहटा, भिवानी, तथा पालू वास में ईसाइयों से ३ शास्त्रार्थ हुये जिनका प्रभाव बहुत अच्छा रहा

शुद्धि

१००० ईसाइयों को हिन्दू धर्म में दीक्षित किया गया। दो सामूहिक दीक्षा संस्कारों का विवरण उल्लेखनीय है:—

४-११-५६ को बहादुरगढ़ (रोहतक) में ६५० ईसाइयों की शुद्धि हुई। यह संस्कार सभा मन्त्री तथा ईसाई प्रचार निरोध समिति के मन्त्री श्री-ओम्प्रकाश जी तथा श्री पण्डित रामनारायण जी शास्त्री मन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा बिहार की उपस्थिति में हुआ। इस संस्कारमें आर्यों तथा हिन्दुओं ने बड़े उत्साह से और बड़ी संख्या में भाग लिया।

२-१२-५६ को बांकनेर (नरेला) में ३५ ईसाई परिवारों की जिनमें १३० स्त्री पुरुष और बच्चे थे, शुद्धि हुई। यह संस्कार भी सभा मन्त्री तथा श्री-ओम्प्रकाश जी पुरुषार्थी की देख रेख में हुआ। देहली के उत्साही आर्य कार्यकर्ता श्री वेदी राम जी श्री ओम्प्रकाश जी कपड़े वाले तथा श्री राज सिंह ने भी सपरिवार भाग लिया।

इसके अतिरिक्त श्री मास्टर जी ने १० आर्य समाजों की स्थापना की, २० ग्राहक सार्वदेशिक पत्र के बनाये।

सहायता

इस वर्ष भी श्रीयुत सेठ जुगल किशोर जी बिरला से २००) मासिक की सहायता मिलती रही इस सहायता के लिये यह सभा श्री बिरला जी को धन्यवाद देती हैं।

बाघू काण्ड

बाघू (मेरठ) वही स्थान है जहां ईसाइयों के कुचक्र को विफल बनाने के लिये आर्य समाज को गत दो वर्ष से घोर संघर्ष करना पड़ रहा है। ईसाई मिशन ने आर्यों पर अनेक झूठे मुकदमे चला कर, धमकियों, मारपीट और उपद्रवों का आश्रय लेकर आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को निरुत्साहित एवं भयभीत करने में कोई यत्न उठा न रखा परन्तु वे अपना सुदृढ़ मोर्चा न लगा सके। इस मोर्चे के फल स्वरुप तमाम गांव ईसाई बन गया था जिसके भंग कर दिये जाने पर न केवल उनका ही अपितु केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री राजकुमारी अमृत कौर तक का रोष आर्य समाज के प्रति शिष्टता और मर्यादा का अतिक्रमण कर गया था, और जिसका आर्य जगत् ने तीव्र प्रतिवाद किया था।

इसवर्ष ईसाईपादरियोंने बाघूके लेखा आदि तीन हरिजनों और आर्य समाज अग्रवाल मण्डी के दो कार्यकर्ताओं श्री ज्योति प्रसाद जी तथा श्री कर्म-

वीर जी आर्य के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा संख्या १०७ के अधीन १ वर्ष तक शान्ति बनाये रखने के निमित्त ५००)-५००) की दो जमानतें और मुचलके लेने की दर्खास्त दी। बागपत के उपविभागाधिकारी ने यह मानते हुये कि वास्तविक आक्रान्ता ईसाई लोग हैं दर्खास्त अस्वीकृत करदी। मजिस्ट्रेट महोदय का निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके निम्नलिखित शब्दों से ईसाई पादरियों की मनमानी नंगे रूप में सामने आजाती है:—

"लुई पीटर (ईसाई पादरी) स्वयं तो हिन्दुओं और मुसलमानों को ईसाई बनाना चाहते हैं और यदि कोई हिन्दू हिन्दुओं से ईसाई न बनने के लिये कहता है तो उन्हें बुरा लगता है। ऐसी अवस्था में यह निश्चय है कि वर्तमान अभियोग लुई पीटर ने इसलिये आरम्भ कराया कि उसे यह बुरा लगा कि लेखा आदि पुनः हिन्दू क्यों हो गये।" लेखा के मकान में आग लगाने के आरोप में ३ ईसाई सेशन सुपुर्द हैं और दो गूजर युवकों के साथ मारपीट करने में ६ ईसाइयों को २-२ वर्ष का दण्ड हो चुका है जिससे प्रकट होता है कि आक्रान्ता ईसाई लोग ही हैं।"

इस केस के सिलसिले में सभा के मन्त्री को ३ बार बाघू जाना पड़ा।

मठगुलनी केस

ईसाई मिशन की शिकायत पर मठ गुलनी (बिहार) के आर्यो, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं और आर्य समाज से सहानुभूति रखने वाले १० व्यक्तियों के विरुद्ध नवादा (गया के ऐस. डी. ओ की अदालत में फौजदारी अभियोग चल रहा था जिसका निर्णय २१-५-५६ को सुनाया गया। ६ अभियुक्तों को ६-६ महीने की तथा ३००) ३००) जुर्माने और जुर्माना न देने पर कुल ९-९ महीने की कड़ी सजा का दण्ड दिया गया।

सभा मन्त्री श्री ओ३म् प्रकाश जी पुरुषार्थी के साथ अभियोग की स्थिति के निरीक्षण के लिए गत जुलाई के आरंभ में पटना, नवादा और गया गए। आर्य प्रतिनिधि सभा बिहार के अधिकारियों, अभियुक्तों और उनके परिवार के लोगों से मिले। मन्त्री जी की रिपोर्ट पर ईसाई प्रचार निरोध समिति की २१-७-५६ की बैठक में विचार होकर यह रिपोर्ट अन्तरंग में भेजी गई। अन्तरंग सभा ने अपनी २२-७-५६ की बैठक में सभा उपप्रधान श्रीयुत बा० पूर्णचन्द्र जी ऐडवोकेट की देख रेख में अपील करने और उसका संचालन कराने का निश्चय किया। अपील का प्रारूप श्रीयुत बाबू पूर्णचन्द्र जी ने स्वयं पटना जाकर और वकीलों से परामर्श करके बनाया। ऐडीशनल जज गया की अदालत में अपील की गई। पटना हाईकोर्ट के एक सुप्रसिद्ध वकील ने ८००) प्रति पेशी पर पैरवी की। २९-९-५६ को अपील का निर्णय हुआ जो अभियुक्तों के विरुद्ध रहा। सुविज्ञ वकीलों के परामर्शानुसार हाईकोर्ट में अपील करने का विचार स्थगित कर देना पड़ा।

२७-१-५७ की अन्तरंग बैठक में यह विषय पुनः प्रस्तुत होकर २४००) जुर्माने की राशि अदा कर देने का निर्णय हुआ। यह भी निर्णय हुआ कि जुर्माने का धन देने तथा अभियुक्तों के परिवारों की सहायता करने के लिए ३४००) इस प्रकार एकत्र किया जाय:—

१—सार्वदेशिक सभा	५००)
२—आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब	५००)
३— „ „ „ उत्तर प्रदेश	५००)
४— „ „ „ बम्बई	५००)
५— „ „ „ बिहार	४००)
६— „ „ „ बंगाल	३००)
७— „ „ „ हैदराबाद	२५०)
८— „ „ „ मध्य प्रदेश	२५०)
९— „ „ „ राजस्थान	२००)

जुर्माने का १८००) इस सभा द्वारा कोर्ट में

जमा कराया जा चुका है। आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश से २५०) बम्बई से २५०) आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान से २००) और आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से ५००) प्राप्त हो गया है। अन्य सभाओं से पत्र व्यवहार हो रहा है।

आर्य प्रतिनिधि सभा बिहार अभियुक्तों के परिवारों की सहायता में हाथ बटा रही है। अभियोग का कुछ प्रारंभिक व्यय भी उसने किया है।

यह सभा श्रीयुत बा० पूर्णचन्द्र जी को अपील के कार्य का मनोयोग पूर्वक संचालन करने के लिए धन्यवाद देती है।

इस अभियोग पर इस सभा का ४८२०) व्यय हुआ।

नियोगी कमेटी की रिपोर्ट

मध्य प्रदेश सरकार ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले विदेशी पादरियों और उनकी संस्थाओं के कार्य की जाँच करके विस्तृत रिपोर्ट करने के लिए जो समिति बनाई थी उसकी रिपोर्ट गत जुलाई मास में प्रकाशित हुई। समिति के अध्यक्ष नागपुर हाई कोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश डा० एम. बी. नियोगी थे। समिति ने ईसाई प्रचार के ७७ केन्द्रों का निरीक्षण किया और ११३६० व्यक्तियों से पूछ ताछ की। ३७५ व्यक्तियों ने समिति के पास अपने लिखित वक्तव्य भेजे। जिन लोगों से समिति ने अपने प्रबन्ध से बयान लिए उनमें से ७०० गांवों के लोग थे। समिति लम्बी और विस्तृत जांच के पश्चात् इस परिणाम पर पहुँची कि ईसाई पादरियों द्वारा कियाजाने वाला प्रचार आपत्ति जनक और सामूहिक धर्म परिवर्तन भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के लिए विघातक है। भारत में ईसाई करण उस विश्व व्यापिनी नीति का अंग मालूम होता है जिसका प्रयोग पाश्चात्य देशों का पृथ्वी पर फिर से प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया जा रहा है।

सार्वदेशिक सभा की २०-७-५६ की अन्तरंग सभा ने एक विशेष प्रस्ताव और सभा प्रधान ने एक प्रेस वक्तव्य के द्वारा उपर्युक्त रिपोर्ट का स्वागत किया और कमेटी तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को इस मूल्यवान देश सेवा के लिए बधाई दी।

सभा मन्त्री के निर्देशानुसार समस्त आर्य जगत् में ७-१०-५६ को ईसाई प्रचार निरोध दिवस मनाया गया और सार्वजनिक सभाओं में एक विशेष प्रस्ताव पास करके उसकी लिपियां भारत सरकार तथा समाचार पत्रों को भेजी गईं जिसमें नियोगी कमेटी की सिफारिशों का स्वागत करते हुए उन्हें क्रियान्वित करने की भारत सरकार को प्रेरणा की गई। इस प्रस्ताव के द्वारा ईसाई प्रचार निरोध के कार्य को बल और प्रेरणा देने के लिए निम्न लिखित कार्यक्रम अपनाने पर भी बल दिया:-

१—प्रत्येक ग्राम और नगर में आर्य समाज के तत्वावधान में आर्यों और हिन्दुओं की सम्मिलित समिति बनाई जाय जो ईसाइयों की अवांछनीय प्रगतियों की देख भाल और उनके निराकरण का उपाय करने के अतिरिक्त सेवा केन्द्रों के द्वारा सेवा सहायता और रक्षा का कार्य भी करे।

२—ईसाई प्रचार निरोध कार्य के लिए देशभर में उत्तमोत्तम आर्य प्रचारकों का जाल बिछ जाय और ईसाई प्रचार निरोध सम्बन्धी साहित्य प्रत्येक देश भक्त भारतवासी के पास पहुंच जाय।

३—हिन्दू धर्म के प्रति ईसाइयों के अनर्गल प्रचार का निराकरण और अस्पृश्यता का निवारण किया जाय।

४—मुख्यतया आदिवासियों, पर्वतों एवं जंगलों में निवास करने वाली पिछड़ी जातियों में समाज सुधार शिक्षा प्रसार, सेवा सहायता का कार्य व्यवस्थित रूप से बड़े पैमाने पर आरंभ किया जाय, निर्धन बच्चों को शिक्षा के लिए मुफ्त पुस्तकें फीस की छूट इत्यादि की सहायता दी जाय। स्थान २ पर स्कूलों, अस्पतालों अनाथालयों और वनिता आश्रमों आदि की व्यवस्था की जाय।

५—सेवाश्रमों की योजनाको, क्रियान्वित किया जाय। प्रसन्नता है कि आर्य हिन्दू जगत् ईसाई

प्रचार के खतरे को भली भांति अनुभव करने लगा है और आर्य समाजों की प्रगति इस दिशा में वृद्धिगत है।

आर्यधर्म रक्षा फंड के लिए एक करोड़ की अपील

ईसाई प्रचार निरोध आन्दोलन को देशव्यापी बनाने सभी भागों में दयानन्द सेवाश्रम खोलने तथा हजारों प्रचारकों के तैयार करने के विशाल पुरोगम की पूर्त्यर्थ १ करोड़ रुपये की अपील की गई है। इस अपील की उपादेयता के सम्बन्ध में लोकमत जाग्रत किया जा रहा है। एक प्रभावशाली डेपुटेशन के समस्त देश में भ्रमण की व्यवस्था की जा रही है।

जिन्दगी

देहली से प्रकाशित होने वाले ईसाइयों के उर्दू मासिक पत्र "जिन्दगी" के जनवरी और जून ५५ के अङ्कों में महर्षि दयानन्द सरस्वती के पवित्र जीवन पर कीचड़ फैंकी गई थी। राज्य के अधिकारी इस अनर्थ पर जान में वा अनजान में मौन साधे रहे परन्तु जब आर्य जनों का रोष द्रुत गति से बढ़ने लगा और यह माँग जोर पकड़ती गई कि उक्त लेखों के लेखक पत्र के सम्पादक और मुद्रक के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्यवाही की जाय और पत्र की जब्ती की जाय तो राज्याधिकारियों की नींद टूटी। सभा की ओर से दिल्ली के चीफ कमिश्नर को लिखा गया कि वे आर्य समाज को परीक्षण में डालने के लिये विवश न करें और शीघ्र ही उचित पग उठा कर बढ़ते हुए असन्तोष को दूर करें। इस सभा के आदेश पर देहली तथा अन्य स्थानों पर अनेक सार्वजनिक सभाएं की गई जिनमें उपर्युक्त अंकों को जब्त करने का सरकार से अनुरोध किया गया। इस आन्दोलन के फल स्वरूप दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने ९ मार्च ५६ की आज्ञा के द्वारा उक्त पत्र के जनवरी और जून ५५ के अंक जब्त कर लिये।

नगला चन्दू (मथुरा) में सेवाश्रम

उपर्युक्त ग्राम में मांडलिक आर्य प्रतिनिधि सभा मथुरा द्वारा संस्थापित सेवाश्रम का सभामन्त्री द्वारा ३-७-५६ को निरीक्षण किया गया। आश्रम की स्थापना से पूर्व यह ग्राम ईसाई मिशनरियों की प्रगतियों का गढ़ था। आर्यों की ओर से ईसाइयों के हस्पताल के सामने एक चिकित्सालय खुला हुआ है जिसके कारण ईसाइयों के हस्पताल के रोगियों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। इस औषधालय में वैद्य तेजपाल सिंह जी बड़ी तत्परता और त्याग भाव से कच्ची झोंपड़ियों में ही सेवा कार्य करते हैं। सभा मन्त्री ने इस औषधालय का भी निरीक्षण किया। गत वर्ष लगभग ७००० रोगियों की चिकित्सा हुई। आर्य समाज के सेवा केन्द्र तथा इस औषधालय का ग्रामीण जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। श्री स्वामी प्रेमानन्द जी, श्री ईश्वरीप्रसाद जी प्रेम तथा उनके अन्य कई योग्य साथी मांडलिक सभा की ओर से प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं।

उड़ीसा

उड़ीसा उन प्रदेशों में है जहां ईसाइयों का जाल बिछा हुआ है और ईसाई मत का आपत्तिजनक प्रचार आर्य संस्कृति के लिये विशेष खतरा बन गया है। श्री स्वामी ब्रह्मानन्दजी ने इस खतरे से लोहा लेने का जटिल और पुनीत कार्य अपने हाथ में लिया हुआ है जो स्वयं उसी प्रान्त के हैं। वे दिन रात इसी कार्य में संलग्न रहते हैं। वे वेद व्यास वैदिक आश्रम पानपोष (सुन्दरगढ़) के केन्द्र से कार्य करते हैं। उनके भोजन व्यय के लिए इस सभा से ५०) मासिक दिया जाता है।

उनके अधीन श्री शुकरा मुंडा, बीरसा मुंडा, दामोदर मुंडा, कालीदास जी कनौजिया प्रचार का काम करते रहे हैं। ३१-१०-५६ तक श्री डा० योगेन्द्रनाथ जी के अधीन धर्मार्थ औषधालय रहा। श्री शुकामुंडाजी का ८० मासिकवेतन तथा

मार्ग व्यय यह सभा देती है। बीरसा मुंडा पहले ईसाई थे। इनका व्यय आश्रम वहन करता है। श्री कालीदास जी साल्वेशन मिशन होशियारपुर के उपदेशक हैं। चिकित्सक का वेतन अक्टूबर मास तक आर्य समाज कलकत्ता देता रहा है।

श्री डा० योगेन्द्रनाथ जी ने ३१-१०-५६ तक कार्य किया। औषधालय को सरकारी संरक्षण प्राप्त होजाने और सरकारी नियम की पूर्त्यर्थ नियत योग्यता के चिकित्सक का नियुक्त किया जाना अनिवार्य हो जाने पर श्री योगेन्द्रनाथ जी की सेवाएं समाप्त कर देनी पड़ी। उनके स्थान पर एक अन्य डाक्टर की नियुक्ति हो गई है जिनका नाम एन० महन्ता है। श्री ओ३म्प्रकाश जी पुरुषार्थी की प्रेरणा पर श्रीयुत मंगतराम जी, सत्यनारायण जी तथा सेठ ठोकरदास जी सुरेखा के पुत्र श्री सेठ रतनलाल जी सलकिया, हावड़ा निवासी ने क्रमशः ६००), ३००), ४०) मासिक के हिसाब से सहायतार्थ दिये। आर्य स्त्री समाज भवानीपुर भी समय २ पर आर्थिक सहायता करता रहता है। १९५६ में उक्त समाज से ५००) प्राप्त हुए। श्री ओ३म्प्रकाश जी पुरुषार्थी की प्रेरणा पर श्री ला० भगवानदास जी तथा उनके सुपुत्रों श्री लुभायाराम जी, रामेश्वरजी, बंशीलाल जी तथा सोहनलाल जी पहाड़गंज देहली निवासी ने १०५) मासिक के हिसाब से ३१५), सभा मन्त्री की प्रेरणा पर श्रीयुत ला० बाबूराम जी शाहदरा निवासी से ४०० सहायतार्थ मिले। सभा इन सब को धन्यवाद देती है। श्रीभगवानदास जी ने १०५) मासिक की वह सहायता १ वर्ष तक जारी रखने का अभिवचन दिया है।

शुद्धि

उड़ीसा केन्द्र से वर्ष में ५०० से अधिक ईसाइयों की शुद्धि हुई केन्द्र के धर्मार्थ चिकित्सालय से प्रतिमास सहस्रों रोगी लाभ उठाते रहे।

राउर केला और जलदा में औषधालय की शाखाएं खोली गई हैं। राउरकेलाके औषधालय का उद्घाटन उड़ीसा के गृहमन्त्री श्री सत्यप्रिय महन्ता और जालदा का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्य मन्त्री श्री हरेकृष्ण जी महताब के द्वारा हुआ। राउर केला के औषधालय के लिए भूमि तथा आर्थिक सहायता सरकार से प्राप्त करनेका यत्न हो रहा है। राज्याधिकारी इन औषधालयों के कार्य से बड़े प्रभावित हैं। राउर केला और हीराकुण्ड में आर्यसमाजों की स्थापना हो गई है। राउर केला समाज के भवनके लिये भूमिदान में मिल गई है। हीराकुण्ड में आर्य समाज का एक विशाल भवन बन कर तैयार हो गया है जिसका उद्घाटन आगामी वर्ष होगा।

साहित्य

श्री ओ३म्प्रकाश जी पुरुषार्थी द्वारा लिखित और सभा द्वारा प्रकाशित ईसाई षड्यन्त्र नामक पुस्तक ने आन्दोलन को प्रगति देने और लोकमत को जाग्रत करने में बड़ा काम दिया। १९५४ से लेकर अबतक इस पुस्तक के १०-१० हजार के ४ संस्करण छप चुके हैं। इसकी मांग बहुत रहती है इस वर्ष उड़िया भाषा में इसका अनुवाद हुआ।

इस वर्ष श्री पुरुषार्थी जी का लिखा हुआ "स्वतन्त्रता खतरे में" नामक ट्रेक्ट निम्न प्रकार ३८००० की संख्या में सभा की ओर से छपवाया गया :—

दिनांक १०-८-५६ को ११०००
,, १०-९-५६ को २७०००

इस ट्रेक्ट की लोकप्रियता इस बात से ही स्पष्ट है कि १मासके भीतर २ ही इसका दूसरा संस्करण छपवाना पड़ा।

श्री पुरुषार्थी जी कृत 'ईसाइयों से प्रश्न' तथा श्रीयुत पं० रामचन्द्र जी देहलवी कृत 'इंजील में परस्पर विरोधी वचन' इन २ पुस्तकों का भी बहुसंख्या में प्रचार हुआ।

आसाम

श्री जयकान्त

ये आसाम प्रान्त के निवासी हैं। नियुक्ति से पूर्व आर्य समाज लाडवा (करनाल) में पुरोहित थे इनकी ७५) मासिक पर १४-७-५६ को नियुक्ति हुई और परीक्षणार्थ श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी के अधीन कार्य करने के लिये उडीसा भेज दिये गये।

इन्होंने वेद व्यास आश्रम पानपोष, सम्बलपुर, राउरकेला, सुन्दरगढ़ आदि स्थानों पर प्रचार किया।

८ ३-५ ६ को महीरा डीह (सुन्दरगढ़) में आर्य समाज की स्थापना की गई और अधिकारियों का चुनाव हुआ।

इन्होंने शुकरा मुण्डा जी के साथ मिल कर काम किया और इनका अधिकांश समय शुद्धि कार्य में ही व्यतीत हुआ।

इन्हें शीघ्र ही आसाम भेजा जा रहा है।

बाढ़ पीड़ितों की सहायता—

उड़ीसा का प्रान्त प्रायः प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ से पीड़ित रहता है। इस वर्ष भी भयंकर बाढ़ आई. ईसाई पादरी पीड़ित जनता के कष्ट और बर्बादी का लाभ उठाकर रिलीफ के नाम पर लोगों को ईसाई बनाते हैं। श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी ने अपने प्रचारकों तथा अन्य उत्साही कार्यकर्त्ताओं के साथ बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का भ्रमण करके जनता को ईसाई पादरियों के हथकण्डों से सावधान किया और यथा सम्भव उनमें वस्त्र, अन्न और औषधि का वितरण किया। आर्य स्त्री समाज भवानीपुर ने वस्त्र दिए तथा अन्न के लिए सहायता दी। आर्य समाज दीवानहाल से वितरण के लिए ३५२ वस्त्र भिजवाए गए जिनमें से अधिकांश नए थे।

सभा मन्त्री और श्री ओ३म्प्रकाश जी पुरुषार्थी ईसाई प्रचार निरोध आन्दोलन के सिलसिले में देहली तथा देहली से बाहर अनेक स्थानों पर प्रचारार्थ गए।

श्री पण्डित प्रकाशवीर जी शास्त्री श्री पण्डित शान्तिप्रकाश जी, श्री स्वामी दिव्यानन्द जी तथा श्री वेणीभाई प्रभृति आर्य भाईयों ने इस कार्य को प्रमुखता प्रदान की जिसके फलस्वरूप उत्तरप्रदेश पंजाब, मध्य प्रदेश और बम्बई प्रान्त में बड़ा उपयोगी कार्य हुआ और हजारों ईसाइयों की शुद्धि हुई।

प्रसन्नता है कि ईसाई प्रचार निरोध का कार्य आर्यसमाजों की प्रगतियों का मुख्य अंग बनता जा रहा है और सर्वसाधारण आर्य जनता में इस कार्य के प्रति कर्तव्य भावना जाग्रत होती जा रही है।

रक्षा तथा सहायता कार्य

कमला देवी—

सभा कार्यालय में १५-९-५६ को इस प्रकार की शिकायत पहुंची कि पहवा जिला करनाल निवासी रामस्वरूप नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी कमलादेवी को जो जन्म की मुसलमान थी और १६ वर्ष पूर्व आर्य समाज सदर देहली में शुद्ध होकर उससे विवाही गई थी, करनाल पुलिस से मिलकर पाकिस्तान भेजने का प्रयत्न कर रहा है और अपनी पालित पुत्री शीला को कमलादेवी से पुलिस द्वारा अलग कराके बेचना चाहता है।

इस शिकायत के प्राप्त होते ही करनाल के डिप्टी कमिश्नर को सभा कार्यालय से १७-९-५६ को एक रजिस्टर्ड पत्र भेजकर प्रेरणा की गई कि कमला को बिना पूरी जांच कराए पाकिस्तान न भेजा जाय। इस पत्र की लिपि पंजाब राज्य के मुख्य मन्त्री तथा केन्द्रीय गृह-मन्त्री को भी भेजी गई। राज्याधिकारियों पर इस पत्र तथा एक प्रैस वक्तव्यके द्वारा यहस्पष्ट करदिया गयाकि शुद्धि आर्य समाज का मौलिक सिद्धान्त और उसके कार्यक्रम का अंग है अतः इस प्रकार शुद्ध हुई देवियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध राज्यद्वारा बलात् पाकिस्तान भेजा जाना इस सिद्धान्त और कार्यक्रम को

चुनौती है जिसे आर्य समाज सहन न करेगा। प्रधान मन्त्री श्रीयुत पण्डित जवाहरलाल जी के लोकसभा में किए गये सरकारी नीति के स्पष्टीकरण की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट किया गया जिसके अनुसार कोई भी मुसलिम देवी चाहे वह पाकिस्तान बनने के पूर्व हिन्दू धर्म में दीक्षित हुई हो या बाद में उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात पाकिस्तान न भेजी जायगी।

यह देवी पाकिस्तान भेजे जाने से रुक गई।

शान्तिदेवी—

श्री सरदारीलाल सुपुत्र श्री सन्तराम खत्री पुरुषार्थी कस्बा पहारी (भरतपुर) ने एक शुद्ध हुई मुस्लिम देवी के साथ जिसका नाम शान्ति रखा गया था और जिसकी शुद्धि २१-८-५६ को आर्य समाज भरतपुर में हुई थी विवाह किया। पहारी का कस्बा मुसलमानों का गढ़ है। वे इस शुद्धि और विवाह से इतने अधिक रुष्ट हुए कि सरदारी लाल व शान्ति का उस कस्बे में रहना दूभर कर दिया। इतना ही नहीं म० सरदारीलाल को अपनी जान का भी खतरा उत्पन्न हो गया। फलतः उन्होंने आर्यसमाज जुरहरा (भरतपुर) की शरण ली। डींग के ऐस. डी. ओ. को रक्षा प्रबन्ध करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया परन्तु उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया और कहा कि उस देवी को मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया जाय। इस पर आर्यसमाज जुरहरा और श्री सरदारीलाल जी ने इस सभा की सहायता मांगी। सभा कार्यालय से १४-६-५६ को एक विशेष पत्र भरतपुर के जिलाधीश को लिखा गया और दोनों की रक्षा का प्रबंध करने की प्रेरणा की गई। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान को भी लिखा गया कि वे दोनों की रक्षा का विशेष प्रबन्ध करें तथा ध्यान रखें। राजस्थान सरकार को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया। जिलाधीश महोदय ने अपने २७-१०-५६ के पत्र द्वारा ऐस. डी. ओ. द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार न करने का आरोप गलत बताया और लिखा कि सरदारीलाल जी कानून का संरक्षण प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र है इस पत्र की प्रतिलिपि आर्यसमाज जुरहरा और आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान को भेज दी गई।

इस रक्षा कार्य का विवरण देने का उद्देश्य राजकीय घातक नीति का दिग्दर्शन कराना है जिसके फलस्वरूप निर्दोष देवियाँ बलात अपने बच्चों और परिवारों से पृथक करदी जाती हैं और उन्हें अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। न जाने कितनी देवियाँ इस दुर्नीति का शिकार बनती होंगी। इन घटनाओं में से यदाकदा जो घटनाएं इस सभा के नोटिस में आती और जिनके सम्बन्ध में इस सभा की सहायता माँगी जाती है उन पर तत्काल कार्यवाही कर दी जाती है।

सवितादेवी—

यह देवी जन्म की मुसलमान है। १९४९ में आर्यसमाज भिवानी में इसकी शुद्धि हुई थी और एक ब्राह्मण के साथ इसका विवाह हुआ था। १९५३ में श्रीमती मृदुला सारा भाई के राजकीय प्रयत्न से वह अपने ५ बच्चों के साथ बलात पाकिस्तान भेज दी गई। वहां से १९५४ में नियमित रूप से पासपोर्ट लेकर बच्चों सहित अपने पति के पास भारत आ गई। पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो जाने पर श्रीमती सारा भाई ने पुनः उसे पाकिस्तान भेजने का प्रयत्न किया। इस देवी ने तथा इसके पति ने इस सभा की सहायता मांगी। सभा ने यह मामला हाथ में लेकर उनकी उचित सहायता की सभा के अधिकारियों ने राज्याधिकारियों से मिलकर तथा पत्र व्यवहार करके उसे बलात पाकिस्तान न भेजने का अनुरोध किया। इसका फल यह हुआ कि उसके पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने पर वह बढ़ती रही। राज्याधिकारियों की प्रेरणा पर उसने अपना केस सुप्रीम कोर्ट में रखा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया है

और वह यह कि वह देवी अपनी भारतीय नागरिकता को प्रमाणित करे। इसका प्रयत्न किया जा रहा है।

सन्तोषकुमारी—

यह देवी जम्मू के एक प्रतिष्ठित परिवार की है और बी. ए. बी टी. है। काशमीर राज्य में एक सरकारी गर्ल्सस्कूल की मुख्याध्यापिका थी। दुर्भाग्य से वह एक मुस्लिम एडवोकेट के कुचक्र में फंस गई जो काशमीर विधान सभा का सदस्य भी है। इस अनुचित सम्बन्ध से उनके एक पुत्र भी उत्पन्न हो गया। इस गुप्त कांड के प्रकाश में आने और उस मुस्लिम एडवोकेट के साथ विवाह करने का देवी का निश्चय ज्ञात होने पर जम्मू के आर्यों और हिन्दुओं को दुःख हुआ और यह विषय उनके मानापमान का विषय बन गया। आर्य समाज जम्मू के अधिकारियों ने देवी का विचार बदलने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु जब वे पूर्णतः सफल न हुए तो इस सभा की प्रेरणा पर देवी को देहली ले आया गया।

प्रसन्नता है सभा के अधिकारियों के विशेष समझाने बुझाने पर देवी ने उस मुस्लिम के साथ विवाह करने का विचार छोड़ दिया। देवी की मर्जी से देहली के श्रीयुत देवप्रकाश जी शास्त्री के साथ जो आर्यसमाज के उत्साही कार्यकर्ता हैं और सालवन हाई स्कूल में अध्यापक हैं उसका विवाह करा दिया गया जो आर्यसमाज दीवान हाल में प्रतिष्ठित आर्यों और नगर के गण्य मान्य लोगों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ जिनमें श्री ऐन० सी० चटर्जी श्री डा० गोकलचन्द नारंग आदि का नाम उल्लेखनीय है।

खोया हुआ एक बालक

आर्य समाज निधौली कलां (एटा) ने अपने १७-१२-५६ के पत्र द्वारा सभा को सूचना दी कि वहां के ईसाई मिशन में एक ११ वर्ष का बालक है। वे लोग उस बालक को आर्य समाज के किसी अनाथालय को देने के लिए तैयार नहीं हैं। उसे उसके माता-पिता को सौंपने को उद्यत हैं। बालक का ठीक २ पता अज्ञात है। केवल वह इतना बताता है कि नगर काटा हवाई अड्डे के पास उसका गांव है। वह अपने मां बाप का नाम भी बताता है।

सभा ने केन्द्रीय सूचना विभाग नई दिल्ली के साथ सम्पर्क स्थापित किया। हवाई यातायात के डाइरेक्टर को पत्र लिखा गया। डाइरेक्टर महोदय ने बड़ी तत्परता से इस विषय को अपने हाथ में लिया और अत्युपयोगी और प्रासंगिक सूचनाएं भेजीं। इन सूचनाओं के आधार पर ग्रासमोर एरोड्रोम के अध्यक्ष को क्लाइवस्ट्रीट कलकत्ता के पते पर १५-१-५७ को लिखा गया जो नगर काटा रेलवे स्टेशन के पास है। उन्होंने ग्रासमोर टी० स्टेट नगर-काटा को बालक के ग्राम और माता-पिता का पता लगाने के लिये ३०-१-५७ को एक विशेष पत्र द्वारा प्रेरणा की। ग्रास मोर टी० स्टेट नगर काटा ने दी यू० टून टी० कम्पनी लिमिटेड को लिखा और सभा का पत्र व्यवहार भी उक्त कम्पनी को भेज दिया। वह कम्पनी उस बालक के माता-पिता तथा ग्राम का ठीक-ठीक पता लगाने में समर्थ हो गई है और उसने सब सूचनायें अपने २३-२-५७ के पत्र द्वारा सभा में भेज दीं। कम्पनी ने लिखा कि उसका पिता उस स्टेट में चाय के बगीचे में मजदूरी करता है और लगभग २ वर्ष से उसका पुत्र गायब है। कम्पनी ने ईसाई मिशन निधौली कलां को भी इसकी सूचना देदी है। उस बालक को उसके माता-पिता के हवाले कराने का यत्न जारी है।

चरित्र निर्माण प्रचार

सभा ने यह कार्य श्रीयुत बाबू पूर्णचन्द जी एडवोकेट के आधीन किया हुआ है। इस कार्य का विवरण इस प्रकार है :—

राजस्थान— कोटा और बारां में श्रीयुत बाबू पूर्णचन्द जी के ४-५ भाषण हुये और प्रतिज्ञा पत्र

भरने के लिये अनुरोध किया गया।

विहार—अगस्त मास में मठगुलनी के केस की पैरवी के लिये विहार जाने पर पटना, विहार शरीफ और आरा में कार्य किया। वहां की कई शिक्षा संस्थाओं में भाषण दिये।

बम्बई—वेद प्रचार सप्ताह के अन्तर्गत बम्बई प्रान्त में १० दिन तक यह कार्य किया वहां की कई आर्य समाजों और उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में भाषण हुये।

देहली—आर्य केन्द्रीय सभा के प्रबन्ध से ८ सितम्बर से १६ सितम्बर तक देहली की भिन्न-भिन्न समाजों और शिक्षा संस्थाओं में लगभग ४० भाषण दिये गये।

मध्य भारत-इस प्रान्त में १० दिन तक कार्य हुआ और लश्कर, गवालियर गुना, भूपाल. उज्जैन, और इन्दौर में व्याख्यान दिये।

उत्तर प्रदेश-अक्टोबर मास में आगरा जिले और नगर में चरित्र निर्माण सम्बन्धी दो सप्ताह मनाये गए और १५ सार्वजनिक सभायें हुई। इस प्रान्त के प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बनारस, बुलन्दशहर, लखनऊ, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद आदि२ स्थानों में भ्रमण किया

साहित्य द्वारा चरित्र निर्माण

"खेल तमाशे" "भ्रष्टाचार का मनोविज्ञान", और "हमें क्या चाहिये ?"ये तीन ट्रैक्ट प्रकाशित कराके वितरित किये गये।

अन्य क्षेत्रों में चरित्र निर्माण

सरकारी समाज कल्याण विकास एवं मद्य निषेध विभाग आदि के सहयोग से आर्य समाज के क्षेत्र के बाहर भी कार्य किया गया और महर्षि के सन्देश को दूर २ तक पहुंचाया गया। जेलों व शिक्षा संस्थाओं में भी नैतिक प्रचार किया गया।

श्री बाबू पूर्ण चन्द जी एडवोकेट जिस मनोयोग से इस कार्य को कर रहे हैं वह प्रशंसनीय है। इस उत्तम कार्य के लिये सभा उनको साधुवाद देती है।

बाढ़पीडितों की रक्षा

इस वर्ष अक्टोबर मास में देहली में यमुना की भयङ्कर बाढ़ के समय सभा प्रधान श्रीयुत पं० इन्द्र जी के निर्देश पर श्री ओम्प्रकाश जी पुरुषार्थी ने सेवा सहायता का कार्य बड़ी तत्वरता और उत्तमता से किया। उन्हें श्री लाला चतुर सेन जी गुप्त श्री ओम्प्रकाश जी कपड़े वाले, श्री बेदी राम जी, श्री लक्ष्मी दास जी, श्री राज सिंह जी, श्रीविश्व नाथ जी श्री पं० सेवा राम जी, श्रीमती सावित्री देवी जी और सभा के कार्यकर्ता श्री पण्डित राम स्वरुप जी आदि २ का मूल्यवान सक्रिय सहयोग प्राप्त रहा। आर्यवीरदल के कर्मठ और उत्साही कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों ने तो सर्वात्मना अपने को दिन रात सेवा के अर्पण रखा। देहली के आर्य नर नारियों ने खुले हाथ अन्न, वस्त्र, इत्यादि की सहायता दी और अन्यों से दिलाई। इस समस्त उत्तम व्यवस्था और सहयोग के बल पर ही कार्य सफलता पूर्वक सम्पादित हुआ जिसकी प्रशंसा न केवल जनता के माने हुये नेताओं और राज्याधिकारियों ने ही की अपितु जिसे प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने भी कैम्प का निरिक्षण करते समय आदर की दृष्टि से देखा। सभा प्रधान सभा मन्त्री, सभा कोषाध्यक्ष तथा सभा उपप्रधान श्रीयुत स्वामी आत्मानन्द जी महाराज कार्य का निरीक्षण करते रहे।

आर्य समाज दीवान हाल के निकट दो शिविर किले के पास मैदान में लगाये गये जिनमें आश्रय पाने वाले नर नारियों की संख्या १५ हजार तक पहुंच गई थी। औषधि दूध आदि के अतिरिक्त भोजन का प्रबन्ध मुफ्त था। अधिकांश आश्रितों को अपने व्यय पर उनके घर पहुंचाया गया। अलीपुर और लाजपत राय मार्केट में भी दो केन्द्र खोले गये थे जहां मुख्यतया पशुओं के लिये चारा एकत्र

होता और ग्रामों में पहुंचाया जाता था।

पंजाब की भाषा नीति

पंजाब के रीजनल फार्मूले से हिन्दी भाषा के प्रति होने वाले अन्याय की प्रतिक्रिया स्वरुप मुख्यतया पंजाब के आर्य जगत् और हिन्दी प्रेमी जनता में घोर असन्तोष व्याप्त हो रहा है।

इस फार्मूले का सांस्कृतिक भाग इस प्रकार है जिसका आर्य समाज विरोध करता है:—

१–भाषा के आधार पर पंजाब के २ क्षेत्र बनाये जायेंगे। एक का नाम पंजाबी क्षेत्र होगा।

२–पंजाबी क्षेत्र में जालन्धर डिवीजन, और पेप्सू का पंजाबी बोलने वाला भाग सम्मिलित होगा उसकी राज भाषा पंजाबी होगी और जिला स्तर तक इसका सारा अदालती और सरकारी काम पंजाबी में होगा। स्कूलों में बच्चों को हिन्दी के माध्यम से भी शिक्षा दिलाई जा सकेगी शर्त यह कि पहली ४ श्रेणियों में कम से कम ४० विद्यार्थी हिन्दी के माध्यम से पढ़ने की मांग करें और उच्च कक्षाओं में एक तिहाई। परन्तु यह सुविधा पंजाब के लड़कों के लिये होगी। पेप्सू के विद्यार्थी इस सुविधा से लाभ न उठा सकेंगे।

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने अपनी ३० मार्च १९५६ की साधारण सभा में फार्मूले के इस भाग के विरोध में एक प्रस्ताव पास करके इसे राष्ट्रीय एकता के लिये विघातक एवं हिन्दुओं के धार्मिक तथा सांस्कृतिक हितों के लिये हानिकारक बताया। साथ ही समस्त वैधानिक उपायों से इस अन्याय का प्रतिकार करने तथा आर्य समाज के अन्तर्गत शिक्षा संस्थाओं को यह आदेश देने का निश्चय हुआ कि वे आर्थिक बलिदान पर भी अपने यहां हिन्दी के माध्यम को बनाये रखें।

यह प्रस्ताव सार्वदेशिक सभा के कार्यालय में २१-९-५६ को इस प्रार्थना के साथ प्राप्त हुआ कि सार्वदेशिक सभा इस आन्दोलन में उक्त सभा को क्रियात्मक योग दे और मार्ग प्रदर्शन करे।

सभा की ७-१०-५६ की अन्तरंग में इस प्रस्ताव पर विचार होकर निम्नलिखित निश्चय हुआ:—

"आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रस्ताव तथा मांगों से सार्वदेशिक सभा देहली को पूर्ण सहानुभूति है। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब अपना अन्तिम निश्चय इस सभा के पास भेजेगी। सार्वदेशिक सभा उस पर विचार करके निर्णय देगी। सम्प्रति सार्वदेशिक सभा एक उपसमिति इस अभिप्राय से नियुक्त करती है कि आवश्यकतानुसार आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को परामर्श दे और उसका मार्ग प्रदर्शन करे।"

१–सभा प्रधान श्रीयुत प० इन्द्र विद्यावाचस्पति।

२–सभा उपप्रधान श्रीयुत स्वामी आत्मानन्द जी महाराज।

३–सभा उपप्रधान श्रीयुत बाबू पूर्णचन्द जी ऐडवोकेट।

४–सभा उपप्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवीजी।

५–सभा मन्त्री श्रीयुत लाला रामगोपालजी।

इस समिति को ४ तक सदस्य सहयुक्त करने का अधिकार दिया गया।

१५-१०-५६ को इस समिति की बैठक हुई जिसमें श्रीयुत प० इन्द्र जी, श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज, श्रीयुत लाला रामगोपाल जी तथा आमन्त्रितों में से श्रीयुत प० भीमसेन जी विद्यालंकार और श्री प० धर्मपाल जी विद्यालंकार सम्मिलित हुये।

आर्य प्रादेशिक सभा पंजाब और आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की अन्तरङ्ग सभाओं की १७ जून की बैठकों में निम्नांकित ७ मांगें राज्य द्वारा स्वीकृति के लिये निर्धारित की गई–

१—सम्पूर्ण नये पंजाब राज्य में एक ही भाषा योजना लागू होनी चाहिये।

२—शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण के माध्यम का चुनाव पूरी तरह माता पिता की इच्छा पर छोड़ देना चाहिये।

३—किसी भी विशेष स्तर पर दोनों भाषाओं में से किसी एक का द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना अनिवार्य न होना चाहिये।

४—शासन के प्रत्येक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का स्थान हिन्दी को दिया जाना चाहिये।

५—जिले के स्तर या उसके नीचे की सरकार की सब सूचनायें और निर्देश दोनों भाषाओं में होने चाहिये।

६—किसी भी भाषा में प्रार्थना पत्र देने की आज्ञा होनी चाहिये। उनके उत्तर भी उसही भाषा में होने चाहिये।

७-जिले स्तर तथा उसके नीचे के सरकारी कागज़ात दोनों लिपियों में होने चाहियें।

आर्य समाज की आधारभूत ये ही मांगें हैं जिनका न केवल आर्य समाजों, आर्य सम्मेलनों और आर्य नरनारियों द्वारा ही समर्थन हुआ अपितु सर्वसाधारण हिन्दू जनता ने भी आदर किया है। पत्र व्यवहार, प्रेस वक्तव्यों और राज्याधिकारियों के साथ शिष्ट मंडलों की भेंट के द्वारा इन मांगों को स्वीकार कराने की प्रत्येक सम्भव वैधानिक कार्यवाही की गई। पंजाब राज्य के प्रधान मन्त्री के १०-१०-५६ के पत्रों में प्रकाशित प्रेस वक्तव्य में आर्य समाज की इन मांगों के सम्बन्ध में राजकीय दृष्टिकोण व्यक्त किया गया और आशा प्रकट की गई कि आर्य समाज का उनसे सन्तोष हो जायगा।

सार्वदेशिक सभा की समिति की १५-१०-५६ की बैठक में उपर्युक्त प्रेस वक्तव्य पर विचार होने के पश्चात् एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें मुख्य मन्त्री महोदय के आर्य समाज की सातों माँगों के सम्बन्ध में पृथक् २ दिये गये स्पष्टीकरण पर आर्य समाज के दृष्टि कोण और प्रतिक्रिया का उल्लेख करके उस वक्तव्य को असन्तोषजनक सिद्ध किया गया।

सभा प्रधान श्रीयुत पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति ने २३-१०-५६ के पत्र द्वारा यह निश्चय पंजाब के मुख्य मन्त्री श्री प्रतापसिंह कैरों को भिजवाया तथा ज्ञात किया कि उनके वक्तव्य के अनुसार फार्मूले में अपेक्षित परिवर्तन कराने के लिये पारस्परिक समझौते की बात किससे की जाय ? अकाली नेताओं से राष्ट्रीय सिख नेताओं से अथवा पंजाब सरकार से ?

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की अन्तरंग सभा ने भी अपनी १४-१० ५६ की बैठक में पंजाब के मुख्य मन्त्री महोदय के स्पष्टीकरण को असन्तोष जनक और अपमानजनक बता कर सार्वदेशिक सभा से प्रेरणा की कि वह पंजाब की इस विषम समस्या के सुलझाने के लिए शीघ्र उचित कार्यवाही करे।

इस सभा की २७-१-५७ की अन्तरंग के सामने वह विषय पुनः विचारार्थ आया। इस बैठक में श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का २७-१-५७ का यमुनानगर से भेजा हुआ तार भी प्रस्तुत हुआ जिसमें उन्होंने सूचित किया कि उनकी कमेटी ने सत्याग्रह का निश्चय किया है सार्वदेशिक सभा इसे सम्पुष्ट करे। अन्तरंग सभा ने निम्न प्रकार निश्चय किया :—

"विशेष रूप से सभा प्रधान जी की आज्ञा से पंजाब की भाषा नीति का विषय प्रस्तुत होकर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्री स्वामी आत्मानन्द जी का २७-१-५७ का यमुनानगर से भेजा हुआ तार पढ़ा गया। ७-१०-५६ की अन्तरंग का निश्चय सं० ३ भी पढ़ा गया। निश्चय हुआ कि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का निश्चय आने पर विचार किया जाय। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान जी ने अपने प्रेस वक्तव्य में जो ९ सूत्री कार्यक्रम रखा है यह सभा उसका समर्थन करती है। यह भी निश्चय हुआ कि सभा के प्रधान जी आर्य जनता के मार्ग प्रदर्शन के लिये समाचार पत्रों को अपना वक्तव्य दे देंवे।"

प्रधान जी का वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि पारस्परिक समझौते की चर्चा आरम्भ हो चुकी है। बातचीत का रुख निराशाजनक नहीं है। चुनाव का वातावरण बन जाने से सिलसिला शिथिल कर देना पड़ा है। चुनाव के उपरांत सिलसिला पुनः आरम्भ होगा।

निस्सन्देह हिन्दी के प्रश्न को लेकर पंजाब के आर्य समाज का वातावरण क्षुब्ध है। आर्य समाज के लिये यह सांस्कृतिक जीवन मरण का प्रश्न है। अतः इसका सन्तोषजनक हल कराना अनिवार्य है। भले ही इसके लिये बड़े से बड़ा त्याग ही क्यों न करना पड़े।

साहित्य प्रकाशन

तिलुगु सत्यार्थप्रकाश

आर्य प्रतिनिधि सभा हैदराबाद ने तिलुगु सत्यार्थप्रकाश के नये संस्करण के प्रकाशन का कार्य गत वर्ष अपने हाथमें लिया था। इसवर्ष यह संस्करण प्रकाशित हो गया है। इस सभा ने प्रकाशन के कार्य को सुगम बनाने के लिये आर्य प्रतिनिधि सभा हैदराबाद की मांग पर २०००) अगाऊ रूप में दिया था। यह धन शीघ्र ही वापस मिल जायगा।

अंग्रेजी सत्यार्थप्रकाश

अन्तरंग सभा के निश्चयानुसार श्री डाक्टर चिरंजीव भारद्वाज कृत अंग्रेजी सत्यार्थ प्रकाश का पुनर्निरीक्षण और संशोधन कराने की व्यवस्था की जा रही है। सभा प्रधान की प्रेरणा पर श्रीयुत डा० गोकल चन्द जी ने अपनी देख-रेख में यह कार्य कराना स्वीकार कर लिया है। श्री डाक्टर महोदय के निर्देशानुसार संशोधन का कार्य अंग्रेजी और आर्य सिद्धान्तों के विद्वान श्री प्रो० हरिश्चन्द्र जी बाली के सुपुर्द किया गया है जो शीघ्र ही इस कार्य को प्रारम्भ करेंगे।

सत्यार्थ प्रकाश का चीनी व वर्मी भाषा में अनुवाद

श्री पण्डित गंगाप्रसाद जी उपाध्याय के प्रयत्न से सत्यार्थप्रकाश का चीनी अनुवाद हो गया है और हांगकांग में छप रहा है। व्यय भार श्री महात्मा गोविन्दानन्द जी दयानन्द वाटिका दिल्ली ने वहन किया है। यह वानप्रस्थ संन्यासी मण्डल दयानन्द वाटिका की ओर से प्रकाशित किया जा रहा है।

वर्मी सत्यार्थप्रकाश के ५ समुल्लास अनूदित हो चुके हैं। यह रंगून में छपेगा। यह कार्य भी श्री पण्डित गंगाप्रसाद जी उपाध्याय की देख-रेख में हो रहा है।

इस उत्तम कार्य के लिये श्री उपाध्याय जी धन्यवाद के पात्र हैं।

सत्यार्थ प्रकाश ताम्र-पत्र पर

देहली के आर्य समाज विनय नगर ने सत्यार्थ प्रकाश को ताम्रपत्र पर खुदवा कर अमर बनाने की योजना बनाई है और यह क्रियान्वित हो रही है। इस पर ३५००) के व्यय का अनुमान है। आर्य जगत् में यह प्रयत्न अभूतपूर्व हुआ है। इन पत्रों को केन्द्रीय राज्य के

संग्रहालय वा पुस्तकालय में सुरक्षित रखाने का प्रयत्न किया जायगा।

डेली प्रेयर आफ एन आर्य

श्रीयुत प्रो० सुधाकर जी कृत वैदिक सन्ध्या के इस लोकप्रिय अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन का स्वत्वाधिकार इस सभा ने प्राप्त किया हुआ है। धर्मार्य सभा द्वारा प्रमाणित वैदिक सन्ध्या का प्रकाशन होने तक इसका प्रकाशन रोक दिया था जिस से उसके अनुसार इसका संशोधन हो सके। यह कार्य श्रीयुत पण्डित धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड के अधीन किया हुआ है। वे संशोधन का कार्य कर रहे हैं। आशा है आगामी वर्ष अंग्रेजी संस्करण छप जायगा।

आर्य समाज का इतिहास

७-३-५४ की अन्तरंग के निश्चयानुसार इस इतिहास के सम्पादन और प्रकाशन का दायित्व सभा ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। श्रीयुत पंडित इन्द्र जी विद्यावाचस्पति इतिहास के लिखने का कार्य कर रहे हैं। इतिहास ३ भागों में छपना है। प्रथम भाग छप चुका है, दूसरा भाग छप रहा है और तीसरा भाग लिखा जा रहा है। प्रथम भाग की छपाई पर ११५९४॥-, व्यय हुआ है। पृष्ठ सं० $\frac{१८\times२२}{८}$ आकार के ३६४ हैं। मूल्य ६) रखा गया है। इतिहास के निरीक्षण के लिये निम्नलिखित महानुभावों की एक समिति अन्तरंग सभा द्वारा नियुक्त है जो हस्तलेखों का निरीक्षण करती है :—

१ श्रीयुत पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति।
२— „ „ गंगाप्रसाद जी उपाध्याय, एम० ए०।
३— „ „ हरिशंकर जी शर्मा, भूतपूर्व सम्पादक आर्य मित्र।
४— „ डा० गोकुलचन्द जी, एम० ए० पी० एच डी०।
५— „ डा० सूर्यदेव जी शर्मा, एम० ए० डी० लिट०
६— „ आचार्य विश्वश्रवाः जी
७— „ म० कृष्ण जी बी० ए०
८— „ लाल रामगोपाल जी

सभा मन्त्री

सार्वदेशिक सभा का इतिहास

सभा ने अपने २७ वर्षीय इतिहास के आगे अर्थात् १९३५ से लेकर अब तक का इतिहास तैयार कराके प्रकाशित करने का निश्चय किया हुआ है। श्रीयुत शिव चन्द्र जी स० मन्त्री सभा ने यह इतिहास लिख लिया है। निरीक्षण के पश्चात् उसके प्रकाशन का प्रबन्ध किया जायगा। इसके साथ ही हैदराबाद तथा सिन्ध के आर्य सत्याग्रहों का इतिहास प्रकाशित होगा।

पुस्तकालय

वर्ष के अन्त में पुस्तकालय में विविध विषयों की ५१८५ पुस्तकें ६७३८) के मूल्य की हैं। गत वर्ष ५०४२ पुस्तकें ९२८५।≈) के मूल्य की थीं। इस वर्ष १४३ पुस्तकों की वृद्धि हुई जिनमें से ४४४≈) की पुस्तकें क्रय की गई। शेष सार्वदेशिक में समालोचनार्थ भेंट और दान में प्राप्त हुई पुस्तकें अंकित हुई :—

पुस्तक भण्डार (विक्रय-विभाग)

इस वर्ष इस विभाग में निम्न लिखित पुस्तकें छपीं :—

१—आर्य समाज के नियम उपनियम	२०००	११४)
२—वैदिक संस्कृति [पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय]	२२००	११६०॥≈)
३—सनातन धर्म और आर्य समाज [पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय]	२०००	३०४॥)
४—मुण्डकोपनिषद्	२०००	३७६)
५—पूजा किसकी ?	५०००	१३६–)
६—शंका समाधान [पं० रामचन्द्र देहलवी कृत]	१००००	२४७)
७—वैदिक सन्ध्या पद्धति	१००००	८२४≈)
८ भारत में भयंकर ईसाई षड्यन्त्र	१००००	१७८८॥≈)
६—पूजा किसकी (द्वितीय संस्करण)	१००००	२१२॥≈)
१०—आर्य समाज क्या है ?	५०००	११३॥≈)
११-स्वतन्त्रता खतरे में	३८०००	८०२)
		६०८०≈)

बिक्री

बिक्री इस वर्ष	१०७५७≈)३

व्यय

१—उपकरण व डाक व्ययादि	४२२।≈)
२—वेतन लेखक	६००)
३····विज्ञापन व्यय "सार्वदेशिक" को	१७०)
	११९२।≈)

हानि लाभ

स्टाक वर्ष के अन्त पर	३७६३२॥)
बिक्री वर्ष भर की	१०७७७≈)३
	४८४०९॥≈)३
प्रारम्भिक स्टाक	३६५६३॥≈)
नया स्टाक	९९३४–)३
	४६४९७॥≈)३
प्राप्त लाभ	१९१२)

सार्वदेशिक पत्र

इस वर्ष भी पत्र का सम्पादन सभा मन्त्री द्वारा हुआ। इस वर्ष चन्दे से ४१४६।–) की और विज्ञापन से ४०२।) की कुल आय ४५४८॥–) की हुई। छपाई, कागज, वेतन, लेखक और डाक व्ययादि में ५८६९।≈)३ का व्यय हुआ। घाटा १३२०॥≈)३ रहा। गत वर्ष घाटा ७८५॥≈) था। इस वर्ष लेखक का वेतन ६००) के स्थान पर १२००) पड़ा फरवरी ५७ के अन्त में ग्राहक संख्या ७९० थी। गत वर्ष ७३९ थी।

पत्र की लोकप्रियता दिन पर दिन वृद्धिगत है।

श्री भवानीलाल गज्जूमल जी शर्मा अमरावती

स्थिर निधि

श्रीयुत पं० भवानी लाल शर्मा कानपुर (वर्तमान अमरावती) निवासी ने सार्वदेशिक पत्र के हितार्थ अपनी पत्नी स्व० श्रीमती तिज्जोदेवी की स्मृति में ५०००) के दान से उपर्युक्त स्थिर निधि की स्थापना कार्तिक २०१३ वि० अक्टोबर १९५६ में की जिसके नियम इस प्रकार हैं:—

१—इस मूल धन से प्राप्त वार्षिक ब्याज का आधा भाग पत्र को सहायता रुप में मिलता रहेगा शेष आधा भाग इसी निधि में सम्मिलित होता रहेगा।

२—यदि किसी भी कारणवश पत्र बन्द हो जाय

तो उक्त सहायता का मिलना बन्द हो जायगा और वार्षिक ब्याज की सम्पूर्ण रकम मूलधन में मिलती रहेगी।

३–यदि पत्र पुनः चालू हुआ तो उक्त सहायता प्राप्ति के लिये वह पूर्ण अधिकारी होगा।

४–पत्र के चालू न होने की पूर्ण निराशा में सार्वदेशिक सभा उक्त योजना का सर्वाधिकार अपने ही किसी अन्य योग्य आर्य पत्र को दे सकती है।

५ सभा के निश्चयानुसार उपर्युक्त सम्पूर्ण योजना उत्साहार्थ प्रति तीसरे मास सार्वदेशिक में प्रकाशित होती रहेगी।

सार्वदेशिक सभा की ७-१०-५६ की अन्तरंग में यह योजना स्वीकृत होकर ९-११-५६ को धन प्राप्त हो जाने पर व्यवहृत होने लगी है।

यह सभा दानी महोदय को धन्यवाद देती है।

उपसमितियां

२९-४-५६ की अन्तरंग सभा ने इस वर्ष का कार्य विभाजन करते समय निम्नलिखित उपसमितियां नियुक्त की थीं:—

आर्य नगर गाजियाबाद

१—श्री ला० बालमुकन्द जी
२—,, बा० कालीचरण जी
३—,, ला० राम गोपाल जी (संयोजक)
४— ला० हरशरण दास जी
५—,, पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति
६—,, ला० बनवारी लाल जी

१३-२-५५ की अन्तरंग के निश्चयानुसार आर्य नगर की सभा की भूमि में सेवा केन्द्र खोलने के निमित्त इमारतों के चित्र नगर पालिका गाजियाबाद में दिये हुये हैं। उन्हें पास कराने का प्रयत्न हो रहा है। नगरपालिका तथा अन्य सम्बद्ध राज्याधिकारियों से पत्र व्यवहार तथा सम्पर्क स्थापित किया जाता रहा है इस कार्यमें सभा को श्री लाला बनवारी लाल जी तथा श्री ला० हरशरण दास जी का सहयोग प्राप्त रहा जिसके लिये सभा उन्हें धन्यवाद देती है। इस नगर के बसवाने के लिये सभा विशेष रुप से प्रयत्न शील हैं परन्तु कोई न कोई रुकावट उपस्थित हो जाती है जिसके निराकरण में पर्याप्त समय लग जाता है। सभा उपमन्त्री श्री शिवचन्द्र जी राज्याधिकारियों से मिलजुल कर उन रुकावटों को दूर कराने का यत्न कर रहे हैं। आशा है शीघ्र ही समस्त रुकावटें दूर हो जायेंगी।

उपदेशक विद्यालय

१—श्री बा० पूर्ण चन्द्र जी
२—,, ला० रामगोपाल जी (संयोजक)
३—,, पं० यशपाल जी
४—,, आचार्य रामानन्द जी शास्त्री
५—,, पं० धर्म देवजी विद्यामार्तण्ड
६—, स्वामी ध्रुवानन्द जी सरस्वती
७—,, युत पण्डित बुद्ध देव जी विद्यालंकार।
८—,, आचार्य विश्वश्रवा जी।

गोरक्षा समिति

१—श्री युत स्वामी ध्रुवानन्द जी महाराज।
२—,, युत लाला राम गोपाल जी (संयोजक)
३—,, युत पण्डित यशःपाल जी सिद्धान्तालंकार
४—,, युत बा० कालीचरण जी आर्य
५—,, युत प्रो० राम सिंह जी एम० ए०
६—,, युत पण्डित नरेन्द्र जी
७—,, युत डा० महावीर सिंह जी
८—,, युत पण्डित मिहिर चन्द जी धीमान्
९—,, युत ला० बालमुकन्द जी आहूजा।

२१-७-५६ को इसकी एक बैठक देहली में हुई। कार्यविवरण पृथक् अंकित है।

आर्य समाज इतिहास समिति

१-श्रीयुत पण्डित इन्द्र जी विद्यावाचस्पति।
२-,, पण्डित गंगा प्रसाद जी उपाध्याय।
३-,, पण्डित हरिशंकर जी शर्मा
४-,, डा० सूर्य देव जी
५-,, महाशय कृष्ण जी

६—,, आचार्य विश्वश्रवा: जी
७—,, डा० गोकुल चन्द जी
८—,, लाला राम गोपाल जी (संयोजक)

आर्यवीर दल उपसमिति

१—श्रीयुत लाला राम गोपाल जी
२—,, ला० बालमुकन्द जी
३—,, मिहिर चन्द जी रक्षासचिव
४—,, ओम्प्रकाश जी प्रधान सेनापति।
५—,, पण्डित रामनारायण जी शास्त्री
६—,, देवराज एम० ए०
७—,, बा० काली चरण जी आर्य
दलों के अधिष्ठावा

आर्यवीर दल उपसमिति के कार्य की रिपोर्ट पृथक् अंकित है।

धन विनियोग समिति—

१—श्रीयुत लाला बालमुकन्द जी आहूजा।
२— ,, लाला चरणदास जी पुरी।
३— ,, पण्डित इन्द्र जी विद्यावाचस्पति।
४— ,, लाला हंसराज जी गुप्त।
५— ,, लाला रामगोपाल जी
सभा मन्त्री (संयोजक)

१५-१२-५६ को इस समिति की बैठक हुई जिसमें हिन्दी सत्यार्थप्रकाश के प्रकाशनार्थ सार्वदेशिक प्रकाशन लिमिटेड को १० हजार रुपये ऐडवांस रूप में देने का निश्चय हुआ।

सार्वदेशिक विद्यार्य सभा का वार्षिक वृत्तान्त

विद्यार्य सभा का संगठन २५-७-४८ की सार्वदेशिक अन्तरंग सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य आर्यसमाज की शिक्षण संस्थाओं में पारस्परिक सहयोग समानता लाना और आवश्यक सुधार करना तथा आर्य विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। विधान में साधारण संशोधन २८-४-५६ की बैठक में किया गया।

इसकी प्रथम बैठक श्री पण्डित भीमसेन जी विद्यालंकार संयोजक द्वारा २८-४-५६ को देहली में संयोजित की गई जिनमें सार्वदेशिक सभा तथा प्रदेशीय समाजों के ११ प्रतिनिधि उपस्थित थे। वैसे सम्पूर्ण सदस्य संख्या वर्षान्तर्गत २९ रही। इस बैठक में अधिकारियों का निर्वाचन तथा कार्यकारिणी समिति का निर्माण निम्न लिखित रूप से किया गया जिसके २८-४-५६, २२-७-५६ तथा २७-१-५७ को तीन अधिवेशन हुये। उसमें उपस्थिति नाम के सम्मुख कोष्ठक में अंकित है:—

१ – श्री पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति पदेन) देहली	(प्रमुख)	(२)
२— ,, पण्डित भीमसेन जी विद्यालंकार, अम्बाला	(कार्यकर्ता प्रधान)	(१)
३— ,, आचार्य वीरेन्द्र शास्त्री एम० ए०, लखनऊ	(मन्त्री)	(३)
४— ,, पण्डित धर्मवीर जी वेदालंकार, देहली	(सहायक मन्त्री)	(३)
५— ,, बालमुकन्द जी (पदेन)	(कोषाध्यक्ष)	(०)
६— ,, आचार्य प्रियव्रत जी गुरुकुल कांगड़ी	(कार्यकारिणी सदस्य)	(३)
७ - ,, पण्डित धर्मपाल जी विद्यालंकार	,, ,,	(३)
८— ,, देवराज जी एम० ए० देहली	,, ,,	(३)
९ – , बाबूलाल जी, लश्कर	,, ,,	(३)
१०— ,, आचार्य विश्वश्रवा जी, बरेली	,, ,,	(३)
११— ,, कालीचरण जी आर्य, मेरठ	,, ,,	(२)
१२— ,, प्रो० इन्द्रदेवसिंह जी, जबलपुर	,, ,,	(१)
१३— ,, आचार्य विश्वेश्वर जी गुरुकुल वृन्दावन	,, ,,	(२)
१४— ,, आचार्य लक्ष्मीदेवी जी कन्या-गुरुकुल हाथरस	,, ,,	(१)
१५— ,, डा० मंगलदेव जी शास्त्री एम० ए० डी० फिल० बनारस	,, ,,	(०)

१. संस्थाओं को निर्देश—

आर्य शिक्षण संस्थाओं के लिये पालनीय १४ आवश्यक निर्देश भेजे गये तथा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किये गये। इन निर्देशों को कार्यान्वित कराने में सदस्यों तथा प्रदेशीय सभाओं ने सहयोग प्रदान किया किन्तु अभी इस दिशा में और अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है।

२. दीक्षान्त पद्धति—

गुरुकुलों तथा महाविद्यालयों के लिये समान दीक्षान्त पद्धति का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न पद्धतियां एकत्र की गई हैं।

३. वैदिक साहित्य विषयक परीक्षाएं—

सभा की ओर से आर्यसदस्यों तथा छात्र-छात्राओं के लिये सत्यार्थ प्रकाशादि वैदिक साहित्य की ३ परीक्षायें प्रचलित करने का निश्चय किया गया। ये आगामी श्रावणी से प्रचलित की जावेंगी। नियमावली तथा पाठविधि सदस्यों की स्वीकृत्यर्थ भेजी जा चुकी हैं तथा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। समाजों तथा संस्थाओं को इन परीक्षाओं में अपने सदस्यों तथा छात्र-छात्राओं को अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित कराना चाहिये।

४. गुरुकुलों का पाठ्यक्रम —

गुरुकुलों में पाठ्यक्रम की समानता लाने के हेतु प्रयत्न किया गया। एक उपसमिति का निर्माण हुआ जिसकी रिपोर्ट के आधार पर निश्चय किया गया कि सर्वप्रथम दयानन्द विद्यापीठ और दयानंद विश्व-विद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं की पाठविधि की एकता के लिये उनके संचालकों की बैठक बुलाई जावे और उसके निश्चयों को क्रियान्वित किया जावे। तदनुसार बैठक बुलाई गई जिसने सर्वसम्मति से निश्चय किया कि महर्षि-दयानन्द पाठविधि की परीक्षायें सार्वदेशिक सभा द्वारा संचालित हों।

"इन परीक्षाओं की नियमावली तथा पाठविधि सार्वदेशिक सभा के विचाराधीन है। अभी समस्त गुरुकुलों की एक पाठविधि और एक शिक्षा-पटल बनाकर "गुरुकुल विश्वविद्यालय" को केन्द्रीय अथवा प्रदेशीय शासनों से स्वीकृत कराने का महान् कार्य सभा के सम्मुख प्रस्तुत है। आशा है समस्त गुरुकुल और उनके अधिकारी तथा सञ्चालिका सभायें इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग प्रदान करेंगी।

५--सभा का पूर्ण संगठन

इस कार्य के लिए प्रत्येक प्रदेश में एक २ सदस्य विशेष रूप से नियत किये गये। आशा है कि आगामी वार्षिक अधिवेशन में ये समस्त संस्थायें भी विधानानुसार अपने २ प्रतिनिधि भेजेंगी जिन्होंने अब तक इस सभा के लिए अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे।

६—आर्य विश्वविद्यालय

आर्य विश्वविद्यालय के निर्माण पर विचार विमर्श करने के लिये विशेषज्ञों को बुलाया गया। परामर्श दाताओं में डा० रघुवीर एम० ए० का नाम उल्लेखनीय है। इस कार्य के लिये एक निम्न सज्जनों की उपसमिति बनाई गई है जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है :—

१—गुरुकुल-कांगड़ी का एक प्रतिनिधि
२ —गुरुकुल वृन्दावन का एक प्रतिनिधि
३—डी० ए० वी कालेज कानपुर का एक प्रतिनिधि
४—डी० ए० वी कालेज बनारस का प्रतिनिधि
५ – डा० रघुवीर जी एम० ए०
६—प्रो० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री एम. ए
७—डा० मंगलदेव शास्त्री एम. ए.
८—डा. बाबूराम सक्सेना एम. ए.
९—श्री कालका प्रसाद भटनागर एम० ए०

आशा है कि यह उपसमिति शीघ्र किसी मार्ग का आर्य विश्वविद्यालय निर्माणार्थ निर्देश करेगी और उपरिलिखित समस्त सज्जन इस कार्य में सभा को

पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

६--धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम

सभा की ओर से समस्त शिक्षा संस्थाओं के लिये एक वार्षिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया जाना निश्चित किया गया इसके लिये निम्न प्रकार से उपसमिति बनाई गई जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

१-आचार्य विश्वश्रवा: जी
२-आचार्य वीरेन्द्र जी शास्त्री
३--आचार्य बृहस्पति जी
४ --लाला मूलराज जी,
५ - पं० भगवद्दत्त जी
६--पं० भीमसेन जी
७--श्री कुमारी पुष्पा बी. ए.

८--आर्य शिक्षक प्रशिक्षण (ट्रेनिंग)

निश्चय किया गया कि भारतवर्ष की समस्त आर्य शिक्षण संस्थाओं को आर्यसामाजिक दृष्टि-कोण से लाभदायक बनाने के लिये आवश्यक है कि अच्छे आर्य शिक्षक तथा आर्य शिक्षिकायें (जिनकी इस समय न्यूनता है) तैयार किये जायें, अतः स्थान २ पर आर्य महाविद्यालयों में ऐसी प्रशिक्षण कक्षायें खोली जाने का प्रबन्ध किया जावे जहां आर्य अध्यापक तथा आर्य अध्यापिकायें तैयार की जा सकें।

आशा है साधन सम्पन्न आर्य ट्रेनिंग, क्लास खोलकर इसकार्य में सभाको सहयोग देंगे। इसवर्ष उ. प्र. आर्य प्रतिनिधिसभाद्वारा आर्य वानप्रस्थाश्रम में तीन आर्य शिक्षिक शिविर लगाये जा रहे हैं।

समस्त सहयोगियों के लिये धन्यवाद दिया जाता है।

धर्म्मार्य सभा

१--सार्वदेशिक धर्मार्यसभा की अन्तरंग सभा के दो अधिवेशन तथा साधारण सभा के दो अधिवेशन वर्षान्तर्गत हुए। इस वर्ष विशेषरूप से कार्य पद्धतियों के निर्माण का हुआ। एक प्रामाणिक वैदिक सन्ध्या पद्धति ऋषिकृत अर्थ सहित प्रकाशित की गई जिसके सम्बन्ध में गत कई वर्षों से विचार सस्वर छापी गई जिसका जनता ने बहुत आदर किया। इसी प्रकार साप्ताहिक सत्संग पद्धति, सत्संगयज्ञ पद्धति, नित्ययज्ञ पद्धति तथा ब्रह्मपारायणयज्ञ पद्धति भी इस वर्ष तैयार हो गई है जो क्रमशः प्रकाशित की जा रही है।

२--धर्मार्यसभा का २५ वर्ष का इतिहास और आरम्भ से लेकर अब तक के सब निर्णय पुस्तकाकार तैयार हो गये हैं और ये सब निर्णय दुबारा फिर सार्वदेशिकसभाकी स्वीकृति केसाथ अबअन्तिम रूप से छपने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा काम था इसके द्वारा आर्य विद्वानों तथा आर्य जनता का विवादास्पद विषयों के सम्बन्ध में ठीक दिग्दर्शन हो जायगा।

३--दक्षिणभारत के लोगों को शिकायत थी कि आर्य पर्व पद्धति में तिथियां उत्तर भारत के दृष्टिकोण से दी गई है। धर्मार्य सभा ने जहां अन्तर पड़ता था वहां दोनों शैली से तिथियां अंकित कर दी है जो आर्य पर्व पद्धति के अगले संस्करण में अंकित कर दी जायेगी।

४--वैशाखी को भी वर्षारम्भ के रूप में पर्वों में सम्मिलित करने की स्वीकारी धर्मार्य सभा ने दे दी है।

५--यह भी निश्चय किया गया कि आर्यसमाज मन्दिर पूजास्थान है अतः उन पर ओ३म् का ध्वज ही लगाया जावे अन्य राष्ट्रीय आदि ध्वज लगाने का स्थान आर्य समाज मन्दिर नहीं हैं।

६ - इस वर्ष धर्मार्य सभा वेदमन्त्रों का स्वर सिखाने का शिविर लगाने का आयोजन कर रही हैं जो सम्भवतः जून मास में लगाया जावेगा। अनेक आर्य विद्वानों के पत्र इसकी स्वीकारी के लिये आ चुके हैं जो इस शिविर में रहकर सस्वर मन्त्रोच्चारण सीखना चाहते हैं।

७--धर्मार्य सभा महर्षि जन्म तिथि तथा आर्य समाज स्थापना तिथि तथा ऋग्वेद की ऋक्संख्या विषय में सतत प्रयत्न शील है इसके लिए पृथक् २ उपसमितियाँ बना दी गई हैं जो अन्वेषण कर रही हैं।

८--भारतेतर देशों की विशेष मांग पर धर्मार्य

के सम्बन्ध में यह निश्चय किया है कि—

९—भारतेतर देश वासी शीत प्रधान और उष्ण प्रधान देशों के दृष्टिकोण से यज्ञों और संस्कारों में अपने २ देशकालानुसार शुद्ध पवित्र वस्त्रों को धारण करें।

१०—श्री विद्यानन्द जी विदेह को पुनः अवसर प्रदान किया था कि यदि वे वेद विरुद्ध अपनी विचारधारा को फिर ठीक कर लें तो सभा उनके सम्बन्ध में पुनः विचार कर सकती है पर विदेह जी वैदिक परम्पराओं के विरुद्ध अपनी भाषण परम्परा को प्रवृद्ध ही कर रहे हैं उन्होंने ऐसा ही एक लेख अपने मासिक पत्र सविता में सितम्बर १९५६ को लिखा जिसका सम्बन्ध वेदों के ऋषि, देवता, छन्द, स्वर की स्थिति के सम्बन्ध में था। विदेह जी ऋषि, देवतादि को बादामके छिलके के समान समझते हैं। इस सम्बन्ध में धर्मार्य सभा ने इस प्रकार प्रस्ताव पारित किया :—

श्री विद्यानन्द जी विदेह ने अपने सविता मासिक पत्र सितम्बर १९५६ के अङ्क में मन्त्रों के ऋषि देवता छन्द स्वर के विषय में शंका समाधान लिखते हुए जो भाव प्रकट किये हैं उनसे ध्वनित होता है कि श्री विद्यानन्द जी विदेह यह भाव प्रकट करते हैं कि :—

"मुझे आत्मानुभूति हो गई है अतः मुझे देवता स्वर आदि की कोई आवश्यकता नहीं है" सार्वदेशिक धर्मार्य सभा श्री स्वामी विद्यानन्द जी विदेह की इस चेष्टा को वैदिक परम्परा के विरुद्ध घोर असन्तोषजनक समझती है।"

सार्वदेशिक सभा ने विदेह जी पर लगे प्रतिबन्ध को प्रस्तुत रखते हुए धर्मार्य सभा के उपर्युक्त प्रस्ताव को अंकित किया।

११—कुछ लोग नित्य यज्ञ करके उसी यज्ञ कुण्ड में बलिवैश्व देव की आहुतियां भी देते हैं इस सम्बन्ध में धर्मार्य सभा ने नीचे लिखा प्रस्ताव पास किया है।

"बलिवैश्व देव की जो अग्नि में आहुतियां हैं उनको यज्ञाग्नि में न करके पाकाग्नि में करें।"

१२—श्री स्वामी ध्रुवानन्द जी सरस्वती जो इस समय विदेश में हैं उन्होंने भारतेतर देशवासियों के सम्बन्ध में एक विषय निर्णयार्थ सार्वदेशिक सभा के पास भेजा कि क्या मांस विक्रेता या अण्डा भक्षक आर्य समाज का सदस्य हो सकता है या नहीं ? सार्वदेशिक सभा ने यह विषय धर्मार्य सभा के पास विचारार्थ भेजा, धर्मार्य सभा का निर्णय इस सम्बन्ध में इस प्रकार हुआ—

"मांस विक्रेता और अण्डा भक्षक आर्य समाज का आर्य सभासद नहीं हो सकता।"

१३—विश्वानि देव आदि प्रार्थना के आठ मन्त्र प्रायः प्रकाशक लोग बिना अर्थों के ही छाप देते हैं और वैसा ही उच्चारण सर्वत्र बिना अर्थों के होता है इस सम्बन्ध में धर्मार्य सभा ने यह निर्णय दिया है कि:—

"प्रार्थना के आठ मन्त्रों को अर्थ सहित बोलना चाहिये जैसा कि संस्कार विधि में विधान है।

अतः प्रकाशकों से निवेदन है कि प्रार्थना के आठ मन्त्रों को अर्थ रहित न प्रकाशित किया करें।

श्रद्धानन्द जयन्ती

२२-८-५५ की अन्तरंग सभा ने गुरुकुल कांगड़ी में फाल्गुण कृष्णा १३ सम्वत् २०१३ को श्रीयुत स्व० स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव मनाने तथा उनकी स्मृति में एक बृहत् स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित करने का निश्चय किया था। इस कार्य के लिये २८-८-५६ की अन्तरंग ने एक सम्पादक मंडल नियत किया है। यह समस्त कार्य एक उपसमिति के सुपुर्द किया गया जिसके संयोजक श्रीयुत पं० धर्मवीर जी वेदालङ्कार नियत किये गये। राजनैतिक निर्वाचनों के कारण महोत्सव को आगामी वैशाखी पर करने का निश्चय किया गया है। पं० धर्मवीर जी के विशेष प्रयत्न से स्मृति ग्रन्थ के लिये अच्छी उपयोगी सामग्री एकत्र हो गई है। इस ग्रन्थ को शीघ्र से शीघ्र छपाने का यत्न किया जा रहा है।

राजार्य सभा

श्रीयुत स्वामी आत्मानन्द जी महाराज के प्रस्ताव पर २९-४-५६ की साधारण सभा ने सार्वदेशिक सभा के अन्तर्गत राजार्य सभा की स्थापना का निश्चय किया। और विधान बनाने के लिये

१३ महानुभावों की एक उपसमिति नियुक्त की। इस समिति ने अपनी २१-७-५६ की बैठक में विधान तैयार करके अन्तरंग सभा में भेजा और २२-७-५६ की बैठक में स्वीकृत होकर प्रचारित हुआ। २७-१-५७ को राजार्य सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें नियमित चुनाव होने तक श्रीयुत पं० शिवदयालु जी संयोजक नियत हुए और उनकी सहायता के लिए निम्न लिखित महानुभावों की परामर्श दातृ समिति बनाई गई :

१—श्रीयुत पं० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति, सभा प्रधान।
२— ,, लाला रामगोपाल जी सभा मन्त्री
३— ,, ओम्प्रकाश जी पुरुषार्थी
४— ,, प्रो० रामसिंह जी एम० ए०

राजनैतिक निर्वाचनों के सम्बन्ध में आर्य जनता के मार्ग प्रदर्शनार्थ राजार्य सभा की ओर से आवश्यक निर्देश प्रचारित हुए।

राजार्य सभा का निर्देश

"राष्ट्र धर्म वैदिक धर्म का एक आवश्यक अंग है जिसका प्रचार आर्य समाज अपने आचार्य महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी की प्रेरणा से निरन्तर करता आया है। भारत की स्वाधीनता सम्बन्धी विभिन्न आन्दोलनों में आर्य नर नारियों ने सब से अधिक भाग लिया है और भारी बलिदान दिया है।

ईश्वर की अपार कृपा से एवं अपने पूर्वजों के बलिदानों से अपना देश भारत स्वतन्त्र हो गया है। अब भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों के अनुरूप देश के नव निर्माण का कार्य हमारे सामने है।

सम्प्रति हमारे सामने राष्ट्र व्यापी निर्वाचन उपस्थित है। आर्य धर्म गुणों की पूजा को ही सर्वाधिक महत्व देता है अतः केवल दल विशेष के चिन्ह (लेबिल) को महत्व नहीं दिया जा सकता।

चुनावों में आर्य जनता को मतदान की पवित्रता की रक्षा करनी है। अतः मत देते दिलाते समय निम्न कसौटी को काम में लाना चाहिये। उस उम्मेदवार को मत दिया जाय जो—

१—आस्तिक अर्थात् ईश्वर में विश्वास रखने वाला हो।

२—भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाला हो।

३—राष्ट्र-भक्त हो, भारत से बाहर कहीं उसकी राजनैतिक प्रेरणाओं का केन्द्रबिन्दु न हो।

४—प्रजा तान्त्रिक पद्धति में पूर्ण आस्था रखने वाला हो, अधिनायकवाद एवं पशुबल में विश्वास न रखता हो।

५—आचारवान् हो, दुष्ट दुराचारी व्यसनी न हो।

६—प्रगतिशील हो जातपात, छूआ छूत आदि का मानने वाला न हो।

७—गोवंश की रक्षा एवं वृद्धि की कामना वाला हो।

८—राष्ट्र भाषा हिन्दी का प्रबल समर्थक हो।

दयानन्द पुरस्कार

इस वर्ष १०००) के पुरस्कार निम्नलिखित आर्य विद्वानों को दिया गया:—

५००) श्रीयुत आचार्य वैद्यनाथ जी शास्त्री, "वैदिक ज्योति" पुस्तक पर।

३००) श्रीयुत आचार्य प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति, "वेद का राष्ट्रीयगान" पुस्तक पर।

२००) श्रीयुत स्वामी ब्रह्ममुनि जी "वेदान्त दर्शनम्" पुस्तक पर।

२७-१-५७ की समिति की बैठक में इस पुरस्कार का प्रयोजन बदल कर इस प्रकार रखा गया:—

"महर्षि दयानन्द पुरस्कार का प्रयोजन यह है कि आर्य समाज विषयक उच्चकोटि के साहित्य के निर्माताओं को सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाय"

इस संशोधन के प्रकाश में आगामी वर्ष पुरस्कार के लिये ग्रन्थ मंगाए जायेंगे।

सार्वदेशिक आर्य वीरदल

इस वर्ष आर्य वीर दल की गति विधि कई प्रान्तों में पूर्वापेक्षा बहुत अच्छी रही। मुख्यतः

मध्य प्रदेश, बम्बई व उत्तर प्रदेशीय आर्य वीर दलों ने सराहनीय प्रगति की है। अन्य प्रान्तों में भी आर्य वीर दल की शाखाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया गया; परन्तु कई कारणों से जिनमें पूरा समय देने वाले वैतनिक कार्यकर्ताओं का अभाव भी है, अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई।

आर्य वीर दल को प्रगति प्रदान करने के लिये समस्त प्रान्तीय दलों के प्रमुख कार्य-कर्ताओं का एक सम्मेलन ता॰ २६-१२-५६ को आर्य समाज, दीवानहाल में बुलाया जिसके भोजन आदि का व्यय देहली के आर्य वीर दल ने वहन किया। सम्मेलन में ४७ आर्य वीरों ने भाग लिया जिनमें लगभग सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि थे। दो दिन के लगातार विचार विनिमय के पश्चात् सम्मेलन ने यह निश्चय किया कि आर्य वीर दल को प्रगति प्रदान करने के लिए यह परमावश्यक है कि इसके विधानमें ऐसासंशोधन सार्वदेशिकसभा द्वाराकराया जाय कि जिससे इसके संचालन का उत्तरदायित्व आर्य वीर दल के कार्य कर्ताओं के हाथ में आजाय और इसकी नीति व कोष का नियन्त्रण सार्वदेशिक सभा के ही हाथ में रहे।

इस निर्णय को क्रियात्मक रूप देने के लिये सम्मेलन ने एक समिति बनाई जिसे अधिकार दिया गया कि वह सुझाव के रूप में दल की नियमावलीमें संशोधनकरके सार्वदेशिक सभामें उपस्थित करे और उसे स्वीकृत कराने के लिए सभा प्रधान से मिले। तदनुसार समिति ने श्रद्धेय प्रधान जी से भेंट की और एक संशोधन सभा के सन्मुख उपस्थित किया। यह संशोधन सभा में अभी तक विचाराधीन है। जब यह संशोधन स्वीकार हो जायगा, तो पूर्ण आशा है कि आर्य वीर दल अच्छी प्रगति करेगा।

वर्तमान अवस्था में भी आर्य वीर दल को प्रगति प्रदान करने के लिए पूरा प्रयत्न किया गया।

बम्बई प्रान्त में इस वर्ष आर्य वीर दल की प्रगति में यहां की आर्य प्रतिनिधि सभा ने अच्छा सहयोग प्रदान किया है। वहां एक शिक्षक श्री काशीनाथ जी शास्त्री की वैतनिक रूप में नियुक्ति कर दी गई है जिसका व्यय वहाँ के प्रतिष्ठित सेठ श्री प्रताप भाई आदि ने अपने ऊपर लिया है। वहां की सभा ने भी अपनी ओर से एक वैतनिक प्रचारक की नियुक्ति करने का वचन दिया है। श्री काशीनाथ जी के अनथक परिश्रमसे बम्बई नगर में १३ शाखायें चल रही हैं। वहां एक शिविर का भी आयोजन मई मास में ता॰ २१-५-५६ से ता॰ २५-५-५६ तक किया गया जिसमें आर्य वीरों तथा आर्य वीराङ्गनाओं के शिक्षण की अलग २ व्यवस्था थी। यह शिविर श्री प्रताप भाई के अनुग्रह से उनके पिता की स्मृति में स्थापित वानप्रस्थ आश्रम मुलुन्द में लगाया गया। इसमें ६७ आर्य वीरों तथा ३६ आर्य वीराङ्गनाओं ने शिक्षण प्राप्त किया। शिविर का संचालन श्री प्रधान सेनापति सार्वदेशिक आर्य वीर दल ने किया।

इस शिविर के अतिरिक्त २ मार्च सन् ५७ को बम्बई में आर्य वीर दल का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें आर्य वीर दल को अधिक व्यापक बनाने पर विचार किया गया। ग्रीष्मावकाश में एक शिविर लगाने का भी निश्चय किया गया।

मध्य प्रदेश—इस प्रान्त में श्री गौरीशंकर जी कौशल सन्ध्या शाखाओं के रूप में स्वतंत्र रूप से लगभग दो वर्षसे कार्यकर रहे थे। इन्हें श्री प्रधान सेनापति जी ने प्रेरणा की कि वह अपनी शाखाओं को आर्य वीर दल में सम्मिलित कर दें और इन्हें आर्य वीर दल के शिक्षण व अनुशासन के अनुसार चलायें। श्री कौशल जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और वहां की समस्त शाखाओं को आर्य वीर दल के अन्तर्गत कर दिया। इस नये निश्चयानुसार श्री प्रधान सेनापति जी की अध्यक्षता में वहां के कार्य-कर्ताओं का एक शिविर सिहोर (भोपाल स्टेट) में १ जून ५६ से ७ जून ५६ तक लगा जिसमें ७१ आर्य वीरों ने शिक्षण प्राप्त किया। दूसरा शिविर श्री प्रधान सेनापति जी की अध्यक्षता में बाड़ी-बरेली में दिसम्बर मास में लगा जिसमें लगभग ४० आर्य वीरों ने भाग लिया तीसरा शिविर अब ग्रीष्मावकाश में गुरुकुल

हुशंगाबाद में लगने वाला है जिसमें लगभग २०० आर्य वीरों के भाग लेने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश—

इस प्रांत में आर्य वीर दल को सशक्त बनाने के लिए वहां के सेनापति श्री सुखदेव जी शास्त्री की सहायता से पूरे प्रान्त को चार भागों में विभक्त कर उनके ऊपर चार उपसेनापतियों की नियुक्ति की गई। इन चारों भागों के केन्द्र वाराणसी, लखनऊ, बरेली, तथा बिजनौर बनाये गये।

चारों भागों में ६ शिविर लगाये गये जिनमें लगभग ४०० आर्य वीरों ने शिक्षण प्राप्त किया। शिविरों के अतिरिक्त काशी, जौनपुर, शाहगंज, गोरखपुर, गाजीपुर, लखनऊ, इटावा, शाहजहांपुर, कोटद्वार, बिजनौर, गाजियाबाद आदि नगरों में आर्य वीर दल सम्मेलनों का आयोजन किया गया जिनमें खेलों, व्यायाम प्रदर्शनों, वाद-विवादों आदि की प्रतियोगितायें कराई गई और विजेताओं को पारितोषिक व चलोपहार दिये गये।

उत्तर प्रदेश के दल को प्रगति प्रदान करने के निमित्त वहां के सेनापति श्री सुखदेव जी ने प्रान्त की शाखाओं का निरीक्षण किया और कई शिक्षण शिविरों का आयोजन किया। उनकी प्रशंसनीय सेवाओं के लिये दल आभारी है।

पंजाब, बिहार, राजस्थान, हैदराबाद आदि प्रान्तों में भी आर्य वीर दल की शाखायें हैं। हैदराबाद में तो सब से अधिक हैं; परन्तु प्रान्तीय संचालन के अभाव में व्यवस्थित नहीं है। राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा ने अपने प्रान्त में आर्य वीर दल के प्रचार व प्रसार के लिये एक शिक्षक की मांग की है। आशा है उसकी नियुक्ति शीघ्र हो जायगी और वहां भी दल अच्छी अवस्था में हो जायगा। वर्तमान समयमें वहां दलके प्रचारक श्री ऋषिनाथ जी ने अपनी अवैतनिक सेवायें दी हैं, जो इस समय बालोतरा भीनपाल में कार्य कर रहे हैं। दल उनकी सेवाओं के लिये आभार प्रदर्शित करता है।

इन प्रान्तों में भी समय २ पर वहां के स्थानीय आर्य वीर दलों ने सम्मेलनों का आयोजन किया जिनमें शारीरिक व बौद्धिक प्रतियोगिताओं के सार्वजनिक प्रचार की भी व्यवस्था की गई। इनमें से लगभग सभी सम्मेलन श्री प्रधान सेनापति जी की अध्यक्षता में हुये। पलवल, गुड़गांवा, बालोतरा, देहली अदि नगरों में हुये सम्मेलन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

सेवा-कार्य

प्रत्येक प्रान्त में वहाँ के स्थानीय आर्य वीर दलों ने बहुत से सेवा कार्य अपनी सामर्थ्यानुसार किये हैं, जिनका वर्णन करने से विवरण का कलेवर बढ़ जाने का भय है; परन्तु देहली की यमुना बाढ़ के समय सार्वदेशिक सभाके आदेशानुसार व आर्य समाज दीवानहाल, दिल्ली के सहयोग से श्रीप्रधान सेनापति जी की अध्यक्षता में आर्य वीर दल ने जो प्रशंसनीय सेवा-कार्य किया उसका वर्णन उल्लेखनीय है। इसका संक्षिप्त विवरण सार्वदेशिक सभा के अन्य विवरण के साथ दिया जा चुका है।

विदेशों में आर्य वीर दल

नैपाल, नैरोबी (पूर्व अफ्रीका) जंजीबार तथा मौरीशस में आर्य वीर दल की शाखायें अच्छी अवस्था में हैं। नैरोबी में आर्य वीराङ्गना दल भी बहुत सुदृढ़ अवस्था में है। नैरोबी आर्य वीर दल व वीराङ्गना दलों को श्री ब्र० उषबु ध जी सहायक प्रधान सेनापति, सार्वदेशिक आर्य वीर दल के निरीक्षण व प्रचार से बहुत बल मिला।

सौभाग्य से अब श्री ब्रह्मचारी उषर्बुध जी ब्रिटिश गायना पहुंच गये हैं। वहां पहुंचते ही उन्होंने आर्य वीर दल की स्थापना कर दी है। यत: वहां के निवासियों की भाषा अँग्रेजी है अत: श्री ब्रह्मचारी जी को आर्य वीर दल के नियम आदि समस्त आवश्यक साहित्य को अंग्रेजी में ही तैयार करना पड़ा है।

ब्रिटिश गायना में आर्य वीर दल के कार्यकर्त्ता निर्माण करने की दृष्टि से ३० दिसम्बर ५६ से ६ जनवरी ५७ तक कोरेन्टाउन में एक शिक्षण शिविर श्री ब्रह्मचारी उषबु ध जी की अध्यक्षता में लगा। श्री ब्रह्मचारी जी ने अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान न करते हुये स्वयं शिक्षक के रूप में कार्य किया। शिविर की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसमें वैदिक धर्म, संस्कृति, सन्ध्या-हवन आदि

पर विशेष बल दिया गया। इस शिविर में ६० आर्य वीरों ने शिक्षण प्राप्त किया। शिविर Church of Scotland School में लगा। यह स्थान वहां के प्रिन्सिपल श्री I. W. Chinapen की कृपा से प्राप्त हुआ। अतः आर्य वीर दल उनका आभारी है।

शिविर बड़ी सफलता पूर्वक समाप्त हुआ। शिविर ने ऐसा अच्छा वातावरण वहां की ग्रामीण जनता में उत्पन्न किया कि वहां के निवासी स्वतः आर्य वीरों के लिये नित्य फल, चावल, शाक आदि दान में देने आते थे। ६ जनवरी की प्रातः शिविर का दीक्षान्त समारोह हुआ। उस अवसर पर ब्रिटिश गायना के प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित हुये। वहां की जनता शिविर के कार्य क्रम और सफलता को देखकर आश्चर्य चकित रह गई। उदाहरणार्थ बर्बीस के राजनैतिक नेता श्री गोविन्द-लाल जी ने आर्य वीरों को आशीर्वाद देते हुये निम्न शब्द कहे—"ब्रिटिश गायना में आर्य वीर दल ठीक समय पर पहुंचा है। यह आर्यसमाज के लिये ही नहीं अपितु समस्त देश के लिये एक नये युग का प्रारम्भ है। श्री० ब्रह्मचारी उषर्बुध जी के चले जाने के पश्चात् भी हम दल को जीवित रक्खेंगे।" ब्रिटिश गायना यूथ कौंसिल के मन्त्री श्री केली (नीग्रो) ने कहा—"जीवन में काफी घूमा हूँ—अमेरिका, एशिया, यूरूप आदि किन्तु ऐसी प्रभावशाली शैली कभी नहीं देखी। मुझे विश्वास है कि जो शिक्षा आपने इन वीरों को दी है वह ब्रिटिश गायना की आशा सिद्ध होगी।"

शिविर में पधारे आर्य वीरों का आपस में तथा श्री ब्रह्मचारी उषर्बुध जी के प्रति इतना अगाध प्रेम व श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि शिविर के अन्त में विदा होते समय सब की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी।

इस शिविर के पश्चात् श्री ब्रह्मचारी उषर्बुध जी ने आर्य वीर दल ब्रिटिश गायना के संचालनार्थ एक समिति का निर्माण किया जिसके अधिकारी निम्न प्रकार बनाये गये—

१—श्री रामलाल जी (प्रधान संचालक)
२— ,, हरिप्रसाद जी (उपसंचालक तथा बौद्धिकाध्यक्ष।)
३— ,, श्रीनिवास चिनापन जी (उप बौद्धिकाध्यक्ष व कार्यालय मन्त्री)
४— ,, सुखदेवजी (शिक्षाध्यक्ष)

समिति नियुक्ति के पश्चात् ब्रिटिश गायना में आर्य वीर दल को बड़ी भारी प्रगति मिली। दो दिन का एक शिविर मैकोनी नदी के तट पर लगा जिसमें १०० के लगभग आर्य वीरों ने भाग लिया। शिविर में पधारे आर्य वीरों को वहां के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपनी ओर से भोजन कराया। एक व्यक्ति ने साधना मन्दिर की स्थापना के लिये ४ एकड़ भूमि दल को दान में दी। साधना मन्दिर की स्थापना श्री ब्र०उषर्बुध जी के द्वारा कराई गई। वर्तमान समय ब्रिटिश गायना में दल की १४ शाखायें चल रही हैं और आर्य वीरों की संख्या ३०० के लगभग है। जौलाई मास में वहां एक शिविर लगने जा रहा है जिसमें २०० आर्य वीरों के आने की सम्भावना है।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वहां के आर्य वीर दल ने जौलाई मास में लगने वाले शिविर का संचालन करने के लिये श्री प्रधान सेनापति सार्वदेशिक आर्य वीरदल को आमन्त्रित किया है, और उनके जाने-आने का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है।

आर्य वीर दल जंजीबार

आर्यवीर दल जंजीबार के संचालक श्री शान्तिलाल जी बालंभाई हैं। यहां का आर्य वीर दल अपने सेवा कार्य के लिये प्रसिद्ध है। वहां की सरकार तक ने इसके सहयोग व सेवा की समय २ पर प्रशंसा की है। इस दल की स्थापना को चार वर्ष हुये हैं। जून ५६ में यहां के दल ने अपना वृहद् अधिवेशन किया, जिसमें एक बाजार भी आर्य वीरों ने लगाया और जितनी आय उन्हें बिक्री से हुई उसे आर्य वीर दल के साधना मन्दिर के निर्माण पर लगा दिया।

भारत के उपराष्ट्रपति श्री डा० राधाकृष्णन जी जून ५६ में जब वहाँ गये तो वहां के दल ने बड़े भव्य रूप में उनका स्वागत किया।

इस वर्ष जब कच्छ में भूकम्प आया तो वहां के आर्यवीरदल ने ८००० रुपये और ९४४ शिलिंग जमा करके 'हिन्दू यूनियन' के द्वारा कच्छ सहाय-

तार्थ भेजे।

इस प्रकार विदेशों में नवयुवकों को आर्य समाज की ओर लाने में आर्य वीर दल बहुत ही उपयुक्त एवं प्रभावशाली साधन सिद्ध हो रहा है। श्री ब्रह्मचारी उषर्बुध जी ने इस दिशा में बड़ा ही प्रशंसनीय क्रियात्मक सहयोग प्रदान किया है। अतः सार्वदेशिक आर्य वीर दल उनके प्रति आभार प्रकट करता है।

सार्वदेशिक सभा की सम्पत्ति

सार्वदेशिक भवन

सभा के पास देहली में अपने दो भवन (सार्वदेशिक भवन ऐसप्लेनेड रोड देहली) तथा श्रद्धानन्द बलिदान भवन हैं। सार्वदेशिक भवन १७०) मासिक और बलिदान भवन की दोनों दुकानें ६७॥) मासिक किराये पर चढ़ी हुई हैं। ५०) मसिक सभा कार्यालय से लिया जाता है।

श्रद्धानन्द नगरी----

श्रद्धानन्द नगरी देहली में इस सभा के अधीन श्रद्धानन्द दलितोद्धार सभा द्वारा निर्मित दो भवन आर्य समाज मन्दिर और पाठशाला भवन हैं। इन दोनों की लागत ६६६३) है। इन भवनों की जमीनों के पट्टे सार्वदेशिक सभा के नाम में परिवर्तित कराने तथा सीधे अपने अधिकार में लेने के लिए कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

वैदिक आश्रम ऋषिकेश—

इस आश्रम की भूमि तथा उस पर बने मकानों का मूल्य १४०००) है और यह सभा की सम्पत्ति है। यह आश्रम प्रबन्ध के लिये वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर के अधीन किया हुआ है जिसकी ओर से श्री स्वामी देवानन्द जी संन्यासी प्रबन्ध करते हैं। इस आश्रम के मकानों में विशेष नियमों के अनुसार यात्रियों को ठहराने की सुविधा दी जाती हैं। कार्य विवरणान्तर्गत वर्ष में १४५ यात्री ठहरे जिसमें साधु, संन्यासी, विद्यार्थी तथा गृहस्थ सभी प्रकार के सज्जन सम्मिलित हैं।

आश्रम में प्रति रविवार को सत्संग होता है। ऋषिकेश के विविध स्थानों में भी प्रचार का प्रबन्ध किया जाता रहा।

आश्रम की ओर से १ तख्त १ चारपाई पानी की बाल्टी; भोजन बनाने के बर्तन और २-३ दिन के लिये कम्बल दे दिया जाता है।

विविध दान से १०६।–)॥ की आय और ७६॥।–)। का व्यय हुआ।

जोधपुर की सम्पत्ति—

जोधपुर में निम्नलिखित सम्पत्ति सभा के नाम में है:—

(१) ५६५५ वर्गगज भूमि सर प्रताप हाई स्कूल के सामने श्री रणछोड़दास के मन्दिर के पास।

(२) आर्य श्मशान २७१२ वर्गगज भूमि।

(३) गुरुकुल मारवाड़ मंडोर—७ मकान कुल भूमि २०३३६ वर्गगज।

४--गोशाला मारवाड़ मंडोर---१ कोठरी, चारा डालने की ४ अन्य कोठरियां व दो बरांडे। भूमि ३०००० वर्गगज।

इस जायदाद के प्रबन्धादि के लिये सभा की ओर से श्री आत्माराम जी परिहार जोधपुर निवासी के नाम मुख्तार नामा दिया हुआ है।

श्रीयुत लाला जगन्नाथ जी का दान—

श्रीयुत लाला जगन्नाथ जी दिल्ली निवासी ने अपनी ५०००) की जीवन बीमा पालिसी इस सभा के नाम में दान दी हुई है। सभा की अन्तरङ्ग सभा ने अपनी २४-४-४८ की बैठक में इस दान को स्वीकार किया था। इस राशी में से दानी की इच्छानुसार २०००) सर्वदानन्द साधु आश्रम को दिये जायेंगे।

विविध निधियां

चन्द्रभानु वेद मित्र स्मारक स्थिर निधि—

यह निधि श्री चन्द्रभानु जी रईस तीतरों सहारनपुर) निवासी की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र श्रीयुत म० वेद मित्र जी जिज्ञासु द्वारा प्रदत्त ५०००) के धन से मथुरा शताब्दि के अवसर पर स्थापित हुई थी। दानी की इच्छानुसार इस राशि के ब्याज से आर्य साहित्य प्रकाशित किया जाता है। अब तक इस निधि से १६ पुस्तकें छप चुकी

हैं। इस वर्ष कर्त्तव्य दर्पण का नया संस्करण छपाया जा रहा है।

दक्षिण अफ्रीका वेद प्रचार सीरीज—

२०-८-५० की अन्तरंग सभा के निश्चयानुसार यह निधि श्रीयुत पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय के १३३५८) के दान से स्थापित हुई जो उन्हें दक्षिण अफ्रीका से वहां के आर्य भाइयों की ओर से निजीव्यय केलिए भेंटरूप मिला था। इस निधि के धन से अब तक सनातन धर्म और आर्यसमाज, लाइफ आफटर डैथ तथा एलीमेंट्री टीचिंग्स आफ हिन्दू धर्म पुस्तकें छपी हैं।

दयानन्द आश्रम—

इस निधि के २२५०) के ब्याज से शुद्ध हुए भाइयों की सहायता की जाती है विशेषतः विद्यार्थियों को छात्र वृत्तियाँ दी जाती हैं। इस वर्ष एक लड़के और एक लड़की को ५) मासिक छात्र वृत्ति दी गई।

श्रीमती चन्दोदेवी का दान

आर्य समाज मौठ की मस्जिद के उत्साही मन्त्री श्री देवदत्तसिंह के प्रयत्न से श्रीमती चन्दोदेवी ने अपना जंगपुरा नई दिल्ली में स्थित मकान जिसका मूल्य लगभग ८०००) है और जिसमें २६७ वर्ग गज भूमि है (६० फीट लम्बाई, ४० फीट चौड़ाई) अपने पति श्री कन्नू सैनी की स्मृति में सभा को दान किया जिसकी नियमित रजिस्ट्री १२-५-५५ को हुई। इस वर्ष पट्टा इस सभा के नाम में परिवर्तित हुआ।

सभा की स्वर्ण जयन्ती

२८-८-५५ की अन्तरंग सभा ने स्व० श्रीयुत मदन मोहन जी सेठ के प्रस्ताव पर १९५८ में सभा की स्वर्ण जयन्ती महोत्सव मनाने का निश्चय किया है और ६-११-५५ की अन्तरंग के निश्चयानुसार उसका विस्तृत पुरोगम भी निश्चय हो गया है जो जनता में प्रचारित हो चुका है। सभा को आगामी वर्ष इस उत्सव को सफल बनाने के लिए विशेष प्रयत्न करना है।

आर्य ध्वज

से इस वर्ष सभा द्वारा नियत आकार प्रकार और रंग के निम्न लिखित ३ आकारों में ओ३म् ध्वज तैयार कराए गए। इस प्रकार आर्य जनता की एक बड़ी और आवश्यक मांग की पूर्ति की गई। प्रसन्नता है कि इन्हें जनता अच्छी गति से अपना रही है:—

२४" × ३६"
३६" × ५४"
४०' × ६०"

उपसंहार

सार्वदेशिक सभा के कार्य विस्तार और उसकी लोक प्रियता में वृद्धि के उद्देश्य से सभा मन्त्री ने आर्य जनता से सीधे सम्पर्क स्थापित करने के लिए लगभग १२५ स्थानों पर भ्रमण किया।

इन सब यात्राओं का व्यय भार न तो समाजों पर पड़ने दिया गया और न सभा पर, यह सभा मन्त्री ने स्वयं वहन किया।

आर्य जनता का सार्वदेशिक सभा के प्रति आदर का भाव है और वह उससे प्रकाश और मार्ग प्रदर्शन प्राप्त करने के निमित्त सदैव उत्सुक रहती है।

सभा के अधिकारियों का प्रयत्न यह रहा और रहता है कि आर्य जनता का उचित मांग प्रदर्शन करते हुए उसके उत्साह से पूरा २ लाभ उठाया जाय और उसे उचित दिशा में प्रेरित रखा जाय।

कार्य विवरण समाप्त करने से पूर्व बड़े खेद के साथ लिखना पड़ता है कि इस वर्ष निम्नलिखित महानुभाव हम सबसे सदैव के लिए वियुक्त हो गए हैं:—

१—श्रीयुत वंशीलाल जी व्यास, हैदराबाद।
२— „ स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ।

इन महानुभावों के निधन से आर्यसमाज की विशेष क्षति हुई है। परमात्मा से प्रार्थना है कि इन दिवंगत आत्माओं को सद्गति प्राप्त हो।

रामगोपाल
मन्त्री
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली।

पंजाब का हिन्दी-रक्षा आन्दोलन

हिन्दी रक्षा सत्याग्रह की दिन प्रतिदिन की प्रगति

३० मई— श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने श्री आनन्द स्वामी जी महाराज श्री महात्मा आनन्द भिक्षु जी, श्री स्वामी विज्ञानानन्द जी तथा अन्य दो सम्मानित साथियों के साथ सद्भावना यात्रा आरम्भ की और चण्डीगढ़ पहुँचकर पंजाबके मुख्य मंत्री श्री सरदार प्रताप सिंह कैरों को अपनी सात माँगें प्रस्तुत कीं। इन महानुभावों ने सचिवालय के सामने धरना दिया। मुख्य मंत्री महोदय ने माँगें स्वीकार न कीं और श्री स्वामी जी को बताया कि राज्य की सरकार रीजनल फार्मूले से बंधी हुई है और मैं उसमें कोई भी परिवर्तन करने में असमर्थ हूँ। रीजनल फार्मूले और भारत सरकार की घोषित नीति के अनुसार हिन्दी और पंजाबी दोनों भाषाओं का उचित ध्यान रखा जायेगा।" बाद में मुख्य मन्त्री ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि "मैंने आर्य समाज के नेताओं को सन्तुष्ट करने में कोई प्रयत्न नहीं उठा रखा था। मैं एक परामर्शदात्री समिति का निर्माण करने के लिये उद्यत हूँ जो रीजनल फार्मूले के निष्पक्ष प्रचलन का ध्यान रखेगी। एक प्रेस प्रतिनिधि द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या समझौते के लिये द्वार खुला है या नहीं? मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि "दरवाजा अभी तक खुला हुआ है।"

श्री स्वामी जी और उनके सम्मानित साथियों को कार में बिठा कर पुलिस यमुना नगर छोड़ गयी।

३ जून - श्री स्वामी जी महाराज ने ३ जून को सचिवालय के सामने पुनः धरना दिया। पुलिस का व्यवहार श्री स्वामी जी तथा अन्य साथियों के साथ बहुत खराब रहा। श्री स्वामी जी को मध्यान्होत्तर ३ बजे तक भोजन नहीं मिला जब कि वह ११ बजे दोपहर को भोजन कर लिया करते थे। श्री स्वामी जी के साथ किसी को मिलने नहीं दिया गया। उसी दिन रात्रि को ११॥ बजे श्री स्वामी जी और उनके साथियों को जबर्दस्ती कार में बैठाकर प्रातः ३॥ बजे यमुना नगर में पुनः छोड़ दिया गया।

जिस समय श्री स्वामी जी महाराज धरना दे रहे थे जोरों की वर्षा हो रही थी। श्री नकुल सेन जी ने उन्हें मुख्य सचिवालय के बरामदे में ठहरने की अनुमति दे दी। संध्या को श्री कैरों महोदय की अनुपस्थिति में उनके साथ करीब १ घण्टे तक स्वामी जी की बातचीत हुई। इस बातचीत के पश्चात श्री स्वामी जी ने घोषणा की कि "जब तक वह मुख्य मन्त्री से मिल नहीं लेते और भाषा समस्या का सन्तोषजनक समाधान नहीं हो जाता तब तक वह अपना धरना जारी रखेंगे।"

६ जून—श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी के नेतृत्व में सद्भावना यात्रा का दूसरा जत्था रोहतक से चण्डीगढ़ पहुँचा। इस जत्थे की भेंट श्रीयुत मोहन लाल जी वित्त मंत्री के साथ हुई

क्योंकि मुख्य मंत्री कुल्लू के दौरे पर गये हुए थे। सचिवालय के दरवाजे पर श्रीयुत ए० के० कौल A. I. G और डी० आर० चड्ढा, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, अम्बाला से जत्थे की भेंट हुई, और ये दोनों अधिकारी श्री स्वामी जी महाराज और उनके १० साथियों को वित्त मन्त्री जी के कमरे में ले गये। जत्थे के लोगों के पास वो 'ओ३म्' ध्वज थे और वे हिन्दी समर्थक नारे लगा रहे थे। आधे घण्टे तक वित्तमन्त्री के साथ इस जत्थे की बात चीत हुई, परन्तु कोई भी परिणाम नहीं निकला। श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी ने सचिवालय के भीतर ही धरना देने का निश्चय किया, परन्तु पुलिस अधिकारियों की प्रेरणा पर वे बाहर धरना देने के लिए तैयार हो गये। इस जत्थे के साथ पुलिस का बहुत बुरा व्यवहार हुआ उन्हें मारा पीटा गया और जबर्दस्ती लारियों में ठूंसा गया। ब्रह्मचारी विजय पाल पुलिस की चोट के कारण लगभग ४ घण्टे बेहोश रहे, फिर उन्हें पूर्ववत् लारी में बैठाकर घरोण्डा के जंगल में छोड़ दिया गया। पुलिस ने ब्रह्मचारी जी की चिकित्सा तक नहीं करवाई।

श्री स्वामी जी के प्रति इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध घोर असन्तोष व्याप्त हो रहा है।

७ जून—श्री स्वामी आत्मानन्द जी पुनः तीसरी बार अपने चार महात्माओं के साथ चण्डीगढ़ सद्भावना यात्रा पर गये और सचिवालय के सामने धरना दिया। ८ जून के प्रातः काल स्वामी जी को अन्य महात्माओं के साथ बलात् मोटर में बैठा कर यमुना नगर छोड़ा गया।

१० जून। श्री स्वामी आत्मानन्द जी ने सद्भावना यात्रा विफल हो जाने पर सद्भावना यात्रा को सत्याग्रह में परिणत करने की घोषणा की। श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी ने पुनः अपने १४ सत्याग्रहियों के जत्थे के साथ सचिवालय के द्वार पर सत्याग्रह किया। मंत्रियों ने मोटरों को रोक लेने पर बाहर आकर सत्याग्रहियों से बातें की। कुछ मंत्रियों ने बताया कि सरकार उनकी माँगों पर विचार कर रही है। श्री स्वामी जी ने मंत्रियों को बता दिया कि पंजाबी को लोगों के गले से बलात् नहीं उतारा जा सकता। स्वामी जी तथा अन्य सत्याग्रहियों को बलात् निर्दयता पूर्वक पुलिस लारी में बैठाकर जंगलों में छोड़ आई।

११ जून—यमुनानगर आश्रम के ९ सत्याग्रहियों के एक जत्थे ने सचिवालय के प्रमुख द्वार पर सत्याग्रह किया। स्थिति उस समय खराब हो गई जबकि उपमंत्री श्री यश जी को सचिवालय में घुसने से रोका गया। उन्होंने भी सचिवालय के बाहर विरोध स्वरूप कुर्सी और मेज मंगाकर सड़क पर दफ्तर लगवा दिया और उन्होंने भी धरना देना शुरु किया। सत्याग्रही पुलिस द्वारा सताये गये और पीटे गये। इस कार्य में कुछ सफेद पोश गुण्डे भी पुलिस की सहायता में संलग्न थे। फिर सत्याग्रहियों को पुलिसलारियों में बैठाकर पटियाला से २६ मील दूर जंगलों में छोड़ आई।

१२ जून। १४ सत्याग्रहियों के जत्थे ने सत्याग्रह किया और वह सचिवालय पहुँचने से पूर्व ही रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया तथा पटियाला के जंगल में छोड़ दिया गया और उनकी भूख और प्यास की कोई चिन्ता नहीं की गयी।

इन गिरफ्तार हुए व्यक्तियों में ४ दर्शक भी थे जो हिन्दी भाषा समर्थक नारे लगा रहे थे। इन्हीं में से एक आचार्य विश्वश्रवाः का पुत्र भी था।

१३ जून—आचार्य रामदेव जी के नेतृत्व में ८ सत्याग्रही पकड़े गये, जबकि वे आर्य समाज मन्दिर से सचिवालय की ओर सत्याग्रह करने आ रहे थे। सत्याग्रही पूर्ण शान्त रहे। सत्या-

ग्रहियों ने पुलिस को गिरफ्तारी के वारन्ट दिखाने को कहा, एक मजिस्ट्रेट ने जो घटनास्थल पर उपस्थित था, कहा कि मेरा आर्डर ही वारण्ट है। कोई भी सरकारी आदमी यह नहीं बता सका कि किस कारण तथा किस कानून के मातहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस जत्थे को बलात् पुलिस लारी में बैठाकर पटियाला के जंगल में छोड़ आई।

१४ जून—श्री वैद्य ओ३मप्रकाश जी म्युनिसिपल कमिश्नर जलंधर के नेतृत्व में १८ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रही एक एक करके और दो दो की टोलियों में विधान सभा भवन की ओर जा रहे थे किन्तु विधान सभा के भवन में पहुँचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान को ले गई। श्री वैद्य ओ३म प्रकाश जी पुलिस को आंख बचाकर भवन के प्रमुख दरवाजे पर पहुँच ही गये और ज्योंही उन्होंने हिन्दी समर्थक नारे लगाने शुरु किये उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उस समय पंजाब विधान सभा की बैठक चल रही थी।

१५ जून—वैदिक आश्रम ऋषिकेश के श्री स्वामी स्वरूपानन्द जी के नेतृत्व में ५ संन्यासियों का एक जत्था सत्याग्रह करने के लिए चण्डीगढ़ पहुँचा और इसी दिन प्रातःकाल विधान सभा भवन के पास नारे लगाते हुए पकड़ा गया। जब पुलिस ने उन्हें नारे लगाने से रोका तब वे वहीं रास्ते पर धरना देकर बैठ गये। पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें भी अज्ञात स्थान पर ले गई। पंजाबके बाहर से सत्याग्रह के लिए आनेवाला यह प्रथम जत्था था।

१७ जून—श्री स्वामीरामेश्वरानन्दजी के नेतृत्व में ४२ सत्याग्रहियोंने पुनःसत्याग्रह किया। इससेपूर्व २सत्याग्रही विधान सभा के आँगन में पकड़े गये इस प्रकार सत्याग्रहियोंकी संख्या ४४ होगई थी। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान को ले गयी।

सत्याग्रहियों के प्रति किये गये पुलिस के दुर्व्यवहार से दर्शकों मुख्यतः राज मजदूरों में बड़ी उत्तेजना फैली।

१८ जून—अम्बाला शहर के सनातन धर्मी भाई श्रीबन्सीलाल वालों के नेतृत्व में १० सत्याग्रही विधान सभा भवन को जाते हुए रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिए गये जो पुलिस विरोधी और हिन्दी समर्थक नारे लगा रहे थे। आज के जत्थे ने सत्याग्रहियों के प्रति अत्याचार कराने वाले मंत्रिमण्डल को बदल देने की माँग की।

१९ जून—श्री वीरेन्द्र जी (चतुर्थ सर्वाधिकारी) ने १०० सत्याग्रहियों के साथ सत्याग्रह किया। जब सत्याग्रही २५-२५ की टोलियों में सचिवालय की ओर जा रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोका और उन्हें जबर्दस्ती पुलिस लारी में बैठा दिया गया। पुलिस ने जिस क्रूरता और निर्दयता से सत्याग्रहियों को पीटा और लारी में ठूंसा उस से दर्शकों में जो वहाँ लगभग १ हजार की संख्या में उपस्थित थे, बड़ा रोष उत्पन्न हुआ। पुरुष और स्त्रियां पुलिस की लारी के सामने लेट गये तथा राज्य और मुख्यतः मुख्य मन्त्री के विरुद्ध नारे लगाने लगे। जब श्री वीरेन्द्र जी और उनके सत्याग्रहियों को लेकर गाड़ी चली गई तो उत्तेजित भीड़ नारे लगाती हुई सचिवालय की ओर दौड़ी। सचिवालय के पास उस भीड़ में सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हो गये। इसी समय पुलिस ने ३ महिलाओं को जो नारे लगा रही थीं, असभ्यतापूर्ण ढंग से गिरफ्तार किया और उनको घसीटा गया और गिरफ्तार हुए पुरुष दर्शकों के साथ लारी में जबर्दस्ती बैठाया गया। इस पर भीड़ और भी उत्तेजित हो गयी। पंजाब सचिवालय के दरवाजों में एक दम ताले बन्द कर दिये गये तथा २ सौ पुलिस मैनों का सख्त पहरा बैठा दिया गया। बहुत समझाने बुझाने पर भी भीड़ शान्त न हुई तो उन तीनों महिलाओं को पुलिस

आर्य समाज मन्दिर में छोड़ आई। जब भीड़ को यह निश्चय हो गया कि महिलायें आर्य समाज मन्दिर में पहुँच गई तो शान्त होकर तितर बितर हो गयी। पुलिस ने एक प्रेस प्रतिनिधि को फोटो लेते हुए अनुचित ढंग से पीटा।

२० जून--आचार्य रामदेव जी के नेतृत्व में आज २० से अधिक सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया और गिरफ्तार हो गये। आज पुलिस ने कल की घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए कड़ा प्रबन्ध किया था, उन्होंने लाठियों का एक घेरा बनाया था। आचार्यरामदेवजी अपने सत्याग्रहियों के साथ धरना देकर बैठ गये। श्री आचार्य्य जी ने पुलिस की लारी के ऊपर खड़े होकर लोगों को शान्त और अहिंसात्मक बने रहने की प्रेरणा की तथा जनता से कहा कि वे शान्तिपूर्वक अपने घरों को लौट जायें। इसके बाद पुलिस इन्सपैक्टर ने श्री आचार्य जी से बड़ी विनम्रता से पुलिस लारी में बैठ जाने की प्रार्थना की। जिस समय सत्याग्रहियों की लारी वहां से रवाना हुई तो दर्शक जनता ने हिन्दी पक्षपाती नारे लगाये तथा शान्ति पूर्वक अपने अपने घरों को चली गयीं।

हिन्दी रक्षा आन्दोलन को विभिन्न संस्थाओं का सहयोग

१—हरियाणा के विधान सभा के सदस्यों ने 'हिन्दी रक्षा आन्दोलन' का समर्थन करने का निश्चय किया है। हरियाणा प्रदेश के ३५ सदस्यों ने लिख कर एक स्मृति पत्र तैयार किया है, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अनिवार्य रूप से पंजाबी पढ़ाने को तैयार नहीं हैं। यह सदस्य सभी कांग्रेस के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा प्रदेश के विरोधी दल के १५ सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया है। इस इलाके से पंजाब विधान सभा के लिए चुने गये सदस्यों की कुछ संख्या ६५ है।

२—श्रीब्रह्मचारीप्रभुदत्त एवं श्रीस्वामी करपात्री जी ने भी इसआन्दोलनको आशीर्वाद दिया है और श्री स्वामी करपात्रीजी शीघ्र ही सत्याग्रह करने वाले हैं। वे पंजाब के दौरे पर निकल गये हैं।

३—अ० भा० सनातन धर्म युवक मण्डल, अ० भा० सनातन धर्म महावीर दल तथा मन्दिर रक्षा कमेटी के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त दिल्ली राज्य की लगभग ५० सनातनधर्मी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं ने ५ जून को हिन्दी आन्दोलन को विशेष प्रगति देने के लिए एक केन्द्रीय हिन्दी रक्षा परिषद का निर्माण किया। इसी प्रकार अम्बाला शहर की सनातन धर्म सभा ने भी निश्चय किया तथा तत्काल ही सत्याग्रही जत्था भेजने का निश्चय किया।

४—अ० भा० हिन्दू महासभा के कार्यकर्त्ता प्रधान श्री महन्त दिग्विजयनाथ ने एक वक्तव्य द्वारा हिन्दी रक्षा आन्दोलन का समर्थन किया और केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि वे हिन्दी रक्षा समिति की मांग स्वीकार कर लें। उन्होंने सम्मानित सत्याग्रहियों के प्रति पुलिस के दुर्व्यवहार की घोर निन्दा की और पंजाब सरकार को यह प्रेरणा की कि वह पुलिस को दमन करने से रोके।

५—अ० भा० क्षत्रिय संघ की कार्यकारिणी नई दिल्ली ने अपनी १८ जून की बैठक में यह निश्चय किया है कि हिन्दी रक्षा समिति इस विवाद को वार्ता द्वारा हल करने की चेष्टा करे और पंजाब सरकार की दमन नीति की निन्दा करते हुए उसे चेतावनी दी है कि ऐसा करने से राज्य की शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की १६-६-५७ की बैठक का
* महत्त्वपूर्ण निश्चय *

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली की एक विशेष बैठक श्री स्वामी अभेदानन्दजी महाराज सभा प्रधानकी अध्यक्षतामें पंजाबमें चलरहे हिन्दी रक्षा आन्दोलन की स्थिति पर विचार करके अपनी इतिकर्तव्यता का निश्चय करने के लिये मध्याह्नोत्तर २ बजे से बलिदान भवन दिल्ली हुई और लगभग सात बजे सायंकाल तक चलती रही। इस बैठक में १८ अन्तरंग सदस्य और १५ विशेष आमन्त्रित महानुभाव सम्मिलित हुये।

सर्व सम्मति से निम्न लिखित निश्चय हुआ:-

(क) सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा पंजाब हिन्दी रक्षा समिति द्वारा संचालित आन्दोलन की सराहना करती है और उसके इस शुभ कार्य को प्रगति देने के लिये, मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने, उसका पथ प्रदर्शन करने के निमित्त और उस आन्दोलन को सार्वदेशिक स्वरूप देने के उद्देश्य से निम्न लिखित सज्जनों की एक समिति का निर्माण करती है:—

१—श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त—प्रधान
२—श्री रघुवीरसिंह जी शास्त्री—मन्त्री
३—श्री प्रिन्सिपल सूरजभान जी
४—श्री जगदेवसिंह जी सिद्धान्ती
५—श्री लाला रामगोपाल जी
६—श्री केप्टन केशवचन्द्र जी
७—श्री पण्डित शिवदयालु जी
८—श्री पण्डित नरेन्द्र जी हैदराबाद
९—श्री महाशय कृष्ण जी
१०—श्री पण्डित लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित
११—श्री पण्डित यज्ञदत्त जी होशियारपुर
१२—श्री प्रिंसिपल भगवानदास जी
१३—श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज
१४—श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज
१५—श्री लाला हरदेवसहाय जी
१६—श्री महात्मा देवी चन्द जी एम ए०
१७—श्री ओम्प्रकाश जी पुरुषार्थी

(ख) यह सभा समस्त प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभाओं को आदेश देती है कि वे पंजाब में हिन्दी रक्षा आन्दोलन को तीव्र गति देने के लिये अपने अपने क्षेत्रों में जन धन संग्रह कार्य में पूर्ण शक्ति से तत्पर हो जावें। प्रत्येक प्रान्त में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हिन्दी रक्षा समितियों का निर्माण अविलम्ब किया जाय।

२—सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की यह बैठक हिन्दी रक्षा समिति पंजाब द्वारा संचालित अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने वाले शान्त सत्याग्रहियों पर पंजाब पुलिस तथा उसके द्वारा प्रोत्साहित गुन्डों द्वारा किये गये अमानुषिक एवं बर्बरतापूर्ण अत्याचारों पर अत्यन्त रोष प्रकट करती है और चेतावनी देती है कि इस कांड से समस्त जनता में जो क्षोभ एवं उत्तेजना उत्पन्न हो रही है उसके दुष्परिणामों का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार पर होगा।"

रामगोपाल
मन्त्री
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली

श्रीयुत घनश्याम सिंह जी गुप्त का वक्तव्य

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा नियुक्त 'सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति' के प्रधान श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त ने प्रेस को निम्नलिखित

वक्तव्य दिया है :—

"सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पास करके हिन्दी रक्षा समिति पंजाब के कार्य की सराहना की है और इस आन्दोलन को सार्वदेशिक और उग्ररूप देने के लिये एक समिति का निर्माण किया है।

हमारी स्थिति के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्ति का होना सम्भव है जिसका मैं निराकरण कर देना चाहता हूँ। आर्य समाज का आन्दोलन किसी भी व्यक्ति पर हिन्दी अथवा अन्य किसी भी भाषा को बलात् लादने के लिये नहीं किया जायगा। आर्य समाज के आन्दोलन का वास्तविक उद्देश्य समस्त भाषाओं को स्वतन्त्रता प्रदान करना है, जिसमें हिन्दी भी सम्मिलित है। आर्य समाज किसी भी भाषा को बलात् लादने के विरुद्ध है। यही बात हिन्दी के सम्बन्ध में चरितार्थ होती है। विद्यार्थी की शिक्षा का माध्यम निश्चित करने में उसके संरक्षक का प्रमुख अधिकार होना चाहिये। किसी भी स्टेज पर वह विवश नहीं किया जाना चाहिये।

पूर्वीय पंजाब में देव नागरी लिपि में हिन्दी और गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा से सम्बद्ध स्थिति इस प्रकार है :—

दो क्षेत्रों की आयोजना की गई है एक हिन्दी और दूसरा पंजाबी (गुरुमुखी) हिन्दी क्षेत्र में शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा और और पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी होगा परन्तु प्राइमरी की आखरी श्रेणी से लेकर मैट्रिक तक पंजाबी (गुरुमुखी : लिपि सहित) भाषा हिन्दी क्षेत्र में अनिवार्य होगी। पंजाबी क्षेत्र में हिन्दी अनिवार्य होगी। यह सच्चर फार्मूले का प्रधान उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त ऐसी कई अनेक चीजें हैं जिसका विस्तार भय से उल्लेख नहीं करना चाहता।

पैप्सू नाम का एक फार्मूला भी है जिसके अनुसार वर्तमान पंजाब के कुछ भागों में स्कूलों के शिक्षा क्रम में पूर्णतया समस्त विद्यार्थियों के लिये पंजाबी पढ़ना अनिवार्य है।

आर्य समाज और राज्य की सर्वसाधारण प्रजा इस स्थिति से नितान्त असन्तुष्ट है और इस योजना को अन्यायपूर्ण और अग्राह्य समझती है। अतः आर्य समाज सर्वसामान्य हिन्दी भाषा भाषी पंजाब की जनता के साथ इस आयोजना को रद्द कर देने की मांग कर रहा है। आर्य समाज की अन्य मांगें भी हैं परन्तु मैं सम्प्रति उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

भाषा योजना के इतिहास से यह नितान्त स्पष्ट है कि यह राज्य के अकाली सिक्खों के एक वर्ग द्वारा दबाव डाले जाने के फल स्वरूप हिन्दी जनता पर बलात् लादी गयी है। इस योजना का सूत्रधार कांग्रेस शासन और वह कांग्रेस दल है जो राजनैतिक अथवा दलीय कारणों से उन अकालियों को सन्तुष्ट करने केलिये उत्सुक है और उन्होंने ही उन मांगों को स्वीकार किया जिनका आधार साम्प्रदायिक और अराष्ट्रीय था अतः इस भाषा योजना का आधार न्यायोचित नहीं है।

राज्य की हिन्दी प्रजा के प्रति अन्याय के अतिरिक्त राजनैतिक कारणों अथवा दल को लाभान्वित करने के विचार से साम्प्रदायिक मांगों और धर्मान्धियों के आगे सिर झुकाने की मनोवृत्ति भारत की अखंडता के लिये अत्यन्त घातक है और इसी मनोवृत्ति के कारण अभी कुछ समय पूर्व भारत का विभाजन हुआ जिसके दुष्परिणामों को प्रायः सभी जानते हैं। यदि देश की इसी प्रकार की दूसरी महान् आपत्ति से रक्षा करनी है तो प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को प्रत्येक मूल्य पर इस मनोवृत्ति की रोकथाम करनी चाहिये इतना ही नहीं इसका डट कर मुकाबला भी करना चाहिये।

आर्य समाज के आन्दोलन से सम्बद्ध समस्त भ्रान्तियों के निराकरण के लिये एक या दो सीधी सादी बातों पर बल देना आवश्यक है। आर्यसमाज का आन्दोलन किसी भी जाति, लिपि व भाषा के

विरोधी भावों से अनुप्राणित नहीं है। आर्यसमाज समस्त भाषाओं लिपियों और जातियों के प्रति आदर का भाव रखता है और किसी की क्रउति में बाधक नहीं बनेगा। पंजाबी और गुरुमुखी के सम्बन्ध में भी यही बात है। गुरुओं और उनके अनुयायियों ने भारतीय इतिहास के अत्यन्त नाजुक समय में हिन्दू धर्म की रक्षा के लिये बहुत बड़ा त्याग और बलिदान किया है अतः उनके प्रति हमारी निष्ठा के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं हो सकता और हमारा आर्य समाज का वर्तमान आन्दोलन वस्तुतः किसी भी प्रकार से सिखों के विरुद्ध नहीं है।

आर्य समाज को इस आन्दोलन से किसी राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि भी नहीं करनी है। आर्य समाज ने अपने लिये कभी भी राजनीतिक अधिकारों व सुविधाओं की मांग नहीं की है। आर्य समाज ने निस्स्वार्थ भाव से मानव जाति और देश की सेवा की है। आर्य समाज देश के किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष विपक्ष में नहीं है चाहे वह सत्तारूढ़ अथवा शासन के विरोध में हो। अतः प्रदेशीय राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार को अनावश्यक रूप से तंग करने का कोई भी विचार वा इरादा नहीं है।

आर्य समाज की शिरोमणि सभा होने के नाते सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को प्रसन्नता होगी यदि पंजाब हिन्दी रक्षा समिति की न्यायपूर्ण मांगें स्वीकृत हो जायें और इस प्रकार दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का अन्त हो जाय। सच्चर फार्मूला के सम्बन्ध में भी एक बात कह देनी आवश्यक है। यह कहा जाता है कि इस फार्मूले को हिन्दी भाषा भाषी वर्ग ने स्वीकार कर लिया था किन्तु सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की सूचना है कि यह बात सत्य नहीं है।

एक बात है जिसका कि सार्वदेशिक सभा उल्लेख करना आवश्यक समझती है और वह बात सत्याग्रह की रीति नीति से सम्बन्ध रखती है। कभी कभी यह कह दिया जाता है कि हमारे देश की वर्तमान पार्लियामेंट्री प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में सत्याग्रह के लिये कोई स्थान नहीं। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा इस विचार से सहमत नहीं है। निस्सन्देह यह सत्य है कि विदेशीय गवर्नमेंट के विरुद्ध किये जाने वाले सत्याग्रह के औचित्य का प्रतिपादन करने वाली परिस्थितियों और अवस्थाओं में अपनी ही गवर्नमेंट के विरुद्ध किये जाने वाले सत्याग्रह की परिस्थितियों और अवस्थाओं में अन्तर होता है। परन्तु सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की सम्मति में यह कहना गलत है कि अपनी सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करने का प्रसंग उपस्थित नहीं हो सकता। कभी कभी अपने ही मित्रों और हितैषियों के विरुद्ध और यहां तक कि अपने ही शरीर के विरुद्ध जो आत्म शुद्धि के लिये किये गये अनशनों के रूप में करना पड़ जाता है सत्याग्रह का औचित्य प्रतिपादित होता है। इंग्लैंड पार्लियामेंट्री प्रजातन्त्रीय शासन का बहुत अच्छा उदाहरण है। वहां पर शान्तिवादियों ने इंग्लैंड के इतिहास के अत्यन्त भीषण काल में जब वह अपने शत्रुओं के विरुद्ध भयंकर रणमें संलग्न था, सत्याग्रह किया था।

घनश्यामसिंह गुप्त
प्रधान
सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति
१७-६-५७ श्रद्धानन्द बलिदान भवन, दिल्ली ६

सार्वदेशिक सभा के मंत्री जी की पुलिस के अत्याचारों की निष्पक्ष जांच

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान मन्त्री श्रीयुत लाला रामगोपाल जी सार्वदेशिक आर्य वीर दल के प्रधान सेनापति श्रीयुत ओम्प्रकाश जी पुरुषार्थी के साथ करनाल होते हुये १७ जून को सत्याग्रह शिविर तथा सत्याग्रह संचालन का निरीक्षण करने और सत्याग्रहियों के प्रति किये जाने वाले पुलिस के अत्याचारों की जांच पड़ताल करने के लिये चण्डीगढ़ गये थे। श्री लाला जी ने वहां से लौट कर प्रेस को जो वक्तव्य दिया है उससे पुलिस के अत्याचार नम्न रूप में सामने आ गये हैं।

श्री लाला जी का वक्तव्य इस प्रकार है :—

श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी तथा उनके सत्याग्रहियों के साथ जो निर्दयतापूर्ण क्रूर व्यवहार किया गया है वह सभ्य और लोकप्रिय कही जाने वाली सरकार के लिये बहुत बड़ा कलंक है। साथ ही जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अपमानित करने वाला है। सत्याग्रहियों को निर्दयता से पीटा गया और सफेद पोश गुण्डों द्वारा पिटवाया गया। उन्हें घसीट घसीट कर बोरियों की तरह बन्द लारियों में भरा गया। स्वामी अभयानन्द जी महाराज के हाथ से "ओ३म् ध्वज" जबर्दस्ती छीना गया और पुलिस द्वारा फाड़ा गया। पुलिस ने लारी में बैठे हुए सन्ध्या करते हुये सत्याग्रहियों को उठा उठाकर लारी से बाहर फैंका। सत्याग्रहियों को प्रतिदिन रात्रि के अन्धकार में बीहड़ जंगलों में छोड़ा जाता है जहां रात्रि भर अन्धेरे में सांप बिच्छुओं और हिंसक जन्तुओं का भय रहता है। श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी सरीखे सम्मानित महानुभावों का अपमान जनता का अपमान है जिसे वह न भूल सकती है और न क्षमा कर सकती है।"

श्री लाला जी ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि वह शान्त और अहिंसात्मक सत्याग्रहियों के साथ अमानुषिक व्यवहार करके अपने को कलंकित होने से रोके और जनता की भावनाओं को भड़काने का कारण उपस्थित न होने दे। इस प्रकार का दमन तो राज्य के लिये मंहगा सौदा ही सिद्ध होता है।

श्री लाला जी ने राज्य सरकार से यह मांग की है कि वह पुलिस के अत्याचारों की निष्पक्ष और खुली जांच कराये सम्बद्ध अधिकारियों को दण्ड दे और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को असम्भव बनाये जिससे जनता का असन्तोष और रोष कम हो जो इस समय बहुत उग्र रूप धारण किये हुये है।

श्री लाला जी का मत है कि इस सब काण्ड पर दृष्टि डालते हुये ऐसा प्रतीत होता है कि चण्डीगढ़ के पुलिस अधिकारी भारत के संविधान की उपेक्षा करके देश के सम्मानित नागरिकों के साथ इस प्रकार का क्रूर व्यवहार कर रहे हैं जो चोरों और डाकुओं के साथ भी नहीं किया जाता। आश्चर्य है कि ऐसा सब कुछ कैरों सरकार के सचिवालय के सामने उनकी नाक के नीचे किया जा रहा है। श्री लाला जी ने कैरों सरकार को सचेत किया है कि इस प्रकार की गुण्डागर्दी से किसी आन्दोलन को दबाया नहीं जा सकता।

रामगोपाल

दिनांक २०-६-५७ मन्त्री

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली

Final Draft Proposals on Language Question in East Punjab

(Known as the Sachar Formula).

There are two Spoken languages in the East Punjab, namely Punjabi and Hindi.

Punjabi shall be the regional language in the Punjabi speaking area and Hindi shall be the regional language in the Hindi-speaking area. The Provincial Government will determine such areas after expert advice.

Punjabi shall mean Punjabi in the Gurmukhi script and Hindi in the Devnagri script.

Punjabi shall be the medium of instruction in Punjabi-speaking area in all schools upto the Matriculation stage and Hindi shall be taught as a compulsory language from the last class of the Primary Department and upto the Matriculation stage and in case of girls in the girls schools in the middle classes only.

There will, however, be cases where the parent or guardian of the pupil may wish him to get instruction in Hindi on the ground that Hindi and not the regional language is his mother tongue. In such cases, without questioning the declaration of a parent or a guardian arrangements will be made for instruction in Hindi during primary stage provided *there are not less than forty pupils in whole school* wishing to be instructed in Hindi or *ten such pupils in each class*. Under these arrangements Hindi will be the medium of instruction for the pupils in the primary stage, but the regional language shall be taught as a compulsory language from the fourth class and to girls in girls schools from the sixth class. In the secondary stage also the medium of instruction for these pupils will be Hindi if one third of the total number of pupils in a Government; Municipal or a District Board School request for instruction in Hindi. Government will also require aided schools to arrange for instruction in Hindi, if desired by one-third of the pupils, provided that there are no adequate facilities for instruction in Hindi in the area. If this condition of one-third is not satisfied then, in order to facilitate the switching over to the regional language as medium in the secondary stage,

Hindi speaking pupils will be given the option of answering questions in Hindi for the first two years of the secondary stage. The regional language would, however, be a compulsory subject throughout the secondary stage.

III. Hindi shall be the medium of instruction in Hindi-speaking area in all schools upto the matriculation stage, and Punjabi shall be taught as compulsory language from the last class of the Primary Department and upto the Matriculation stage and in case of girls in the girls schools in the middle classes only.

There will, however, be cases where the parent or guardian of the pupil may wish him to get instruction in Punjabi on the ground that Punjabi and not the regional language is his mother-tongue. In such cases without questioning the declaration of a parent or a guardian arrangements will be made for instruction in Punjabi during the primary stage, provided there are not less than forty pupils in the whole school willing to be instructed in Punjabi or ten such pupils in each class. Under these arrangements, Punjabi will be the medium of instruction for the pupils in the primary stage, but the regional language shall be taught as a compulsory language from the fourth class and to girls in girls schools from the 6th class. In the secondary stage also the medium of instruction for these pupils will be Punjabi if one-third of the total number of pupils in a Government, Municipal or a District Board school request for instruction in Punjabi. Government will also require aided schools to arrange for instruction in Punjabi, if desired by one-thrid of the pupils, provided that there are no adequate facilities for instruction in Punjabi in the area. If this condition of one-thrid is not satisfied then in order to facilitate the switching over to the regional language as medium in the secondary stage. Punjabi-speaking pupils will be given the option of answering questions in Punjabi for the first two years of the secondary stage. The regional language, would, however, be a compulsory subject throughout the secondary stage.

IV. To meet the unforeseen situations arising out of the demand for imparting education in a language other than the regional language, Government may issue further necessary directions,

V. In an unaided recognised school, the medium of instruction. will be determined by the manage-

ment, it will not be obligatory on them to provide facilities for the teaching of Punjabi or Hindi, as the case may be, as a second language.

VI. English and Urdu will, for the present, continue as official court language, these will be replaced progressively by Hindi and Punjabi in the light of the principles laid down in the resolution adopted by the working committee of the Indian National Congress at its meeting held on 5th August, 1949 (Copy enclosed).

VII. These proposals do not apply to those pupils whose mother tongue is neither Punjabi nor Hindi. Suitable arrangements will be made for the education of such pupils in their mother-tongue if there is a sufficient number of such pupils at one place to make these arrangements possible.

Sd/—BHIMSEN SACHAR
Sd/-GOPICHAND BHARGAVA
Sd/-UJJAL SINGH
Sd/-KARTAR SINGH

New Delhi dated 1-10-1949

पूर्वीय पंजाब में भाषा के प्रश्न से सम्बद्ध प्रस्तावों का अन्तिम प्रारूप

(सच्चर फार्मूला)

१—पूर्वीय पंजाब में दो भाषाएं पंजाबी और हिन्दी बोली जाती हैं।

पंजाबी भाषा भाषी क्षेत्र में पंजाबी क्षेत्रीय भाषा होगी और हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र में हिन्दी क्षेत्रीय भाषा होगी। प्रान्तीय शासन विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार क्षेत्रों का निर्धारण करेगा।

पंजाबी का अर्थ गुरुमुखी लिपि में लिखित पंजाबी होगा और हिन्दी का अर्थ देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी होगी।

२—पंजाबी भाषा क्षेत्र के समस्त स्कूलों में मैट्रिक तक शिक्षा का माध्यम पंजाबी होगी और प्राइमरी की अन्तिम क्लास से लेकर मैट्रिक तक हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायगी और कन्या पाठशालाओं में केवल मिडिल की श्रेणियों में।

ऐसी अवस्थाएं भी सामने आयंगी जबकि विद्यार्थी के माता पिता वा अभिभावक उसे हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दिलाने की इच्छा करें। इस आधार पर कि हिन्दी उसकी मातृ भाषा है क्षेत्रीय भाषा नहीं है। ऐसी स्थिति में माता-पिता वा अभिभावक की घोषणा पर आपत्ति किए बिना प्राइमरी की क्लासों में हिन्दी में शिक्षण की व्यवस्था की जायगी परन्तु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या स्कूल में ४० और प्रत्येक क्लास में १० से कम न होनी चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसार प्राइमरी की क्लासों में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा, परन्तु लड़कों के स्कूलों में चौथी क्लास से और लड़कियों के स्कूलों में छठी क्लास से क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायगी। माध्यमिक क्लासों में भी इन विद्यार्थियों की शिक्षा का माध्यम हिन्दी रहेगा यदि गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल वा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों के समस्त विद्यार्थियों का ⅓ भाग हिन्दी के माध्यम की प्रार्थना करें। गवर्नमेन्ट सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों में भी हिन्दी के माध्यम का प्रबन्ध करेगी यदि स्कूल के ⅓ विद्यार्थी ऐसा चाहेंगे और यदि क्षेत्र में हिन्दी शिक्षण की पर्याप्त सुविधायें न होंगी। ⅓ की शर्त की पूर्ति न होने की अवस्था में माध्यमिक क्लासों में क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढ़ना सुगम बनाने के लिए हिन्दी भाषा भाषी विद्यार्थियों को पहले २ वर्षों में प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में लिखने की छूट दे दी जायगी। परन्तु माध्यमिक क्लासों से क्षेत्रीय भाषा

अनिवार्य विषय रहेगा।

३—हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र के समस्त स्कूलों में मैट्रिक तक शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा और प्राइमरी की अन्तिम क्लास से लेकर मैट्रिक तक पंजाबी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायगी, कन्या पाठशालाओं में केवल मिडिल की श्रेणियों में।

ऐसी अवस्थाएं भी सामने आयंगी जब कि विद्यार्थी के माता पिता वा अभिभावक उस को पंजाबी के माध्यम से शिक्षा दिलाने की इच्छा करें इस आधार पर कि पंजाबी उसकी मातृ भाषा है क्षेत्रीय भाषा नहीं है। ऐसी स्थिति में माता-पिता वा अभिभावक की घोषणा पर आपत्ति किए बिना प्राइमरी की क्लासों में पंजाबी भाषा में शिक्षण की व्यवस्था की जायगी परन्तु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या स्कूल में ४० और प्रत्येक क्लास में १० से कम न होनी चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसार प्राइमरी की क्लासों में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम पंजाबी भाषा होगी परन्तु लड़कों के स्कूलों में चौथी क्लास से और लड़कियों के स्कूलों में छठी क्लास से क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायगी। माध्यमिक क्लासों में भी इन विद्यार्थियों की शिक्षा का माध्यम पंजाबी रहेगा यदि गवर्नमेन्ट म्यूनिसिपल वा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल के समस्त विद्यार्थियों का ⅓ भाग पंजाबी के माध्यम की प्रार्थना करें। गवर्नमेन्ट सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों में भी पंजाबी के माध्यम का प्रबन्ध करेगी यदि स्कूल के ⅓ विद्यार्थी ऐसा चाहेंगे और उस क्षेत्र में पंजाबी के शिक्षण की पर्याप्त सुविधा न होगी। ⅓ की शर्त की पूर्ति न होने की अवस्था में माध्यमिक क्लासों में क्षेत्रीय भाषा का पढ़ना सुगम बनाने के लिए पंजाबी भाषा भाषी विद्यार्थियों को पहले २ वर्षों में प्रश्नों के उत्तर पंजाबी में लिखने की छूट दे दी जायगी परन्तु माध्यमिक क्लासों में क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य विषय रहेगा।

४—क्षेत्रीय भाषा से भिन्न भाषा में शिक्षण की मांग से उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित स्थितियों के सुधार के लिए गवर्नमेन्ट अन्य आवश्यक निर्देश प्रचारित कर सकती है।

५—सरकार द्वारा स्वीकृत परन्तु सहायता प्राप्त न करने वाले स्कूल में शिक्षा के माध्यम को उसकी प्रबन्ध समिति निश्चित करेगी। किसी दूसरी भाषा में शिक्षा के माध्यम की व्यवस्था करना उनके लिए अनिवार्य न होगा परन्तु अवस्थानुसार दूसरी भाषा के रूप में पंजाबी या हिन्दी की शिक्षा का प्रबन्ध करना अनिवार्य होगा।

६—वर्तमान में अंग्रेजी और उर्दू शासन और न्यायालय की भाषाओं के रूप में व्यवहृत होती रहेगी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की ५-८-१९४९ की बैठक में पारित प्रस्ताव में निहित सिद्धान्तों के प्रकाश में क्रमशः इन भाषाओं का स्थान हिन्दी और पंजाबी लेती रहेगी।

(निश्चय की कापी संलग्न है)।

७—ये प्रस्ताव उन विद्यार्थियों पर लागू न होंगे जिनकी मातृ भाषा न तो पंजाबी है और न हिन्दी। इस प्रकार के विद्यार्थियों की मातृ भाषा में शिक्षा के लिए समुचित प्रबन्ध किया जायगा यदि किसी स्थान पर इस प्रकार का प्रबन्ध सम्भव बनाने के लिए उनकी संख्या पर्याप्त हो।

ह० भीमसेन सच्चर
,, गोपी चन्द भार्गव
,, उज्जवल सिंह
,, करतार सिंह
नई दिल्ली १-१०-१९४९

*

Out line of the Scheme for Regional Committees in the Punjab State.

1, There will be one legislature for the whole of the reorganised state of the Punjab, which will be the sole lawmaking body for the entire State, and there will be one Governor of the State, aided and advised by a Council of Ministers responsible to the State Assembly or the entire field of administration.

2. For the more convenient transaction of the business of Government with regard to some specified matters, the State will be divided into two regions, namely, the Punjabi-speaking and the Hindi-speaking regions.

3. For each region there will be a regional committee of the State Assembly consisting of the members of the State Assembly belonging to each region including the Ministers from that region but not including the Chief Minister.

4. Legislation relating to specified matters will be referred to the Regional Committees. In respect of specified matters proposals may also be made by the Regional committees to the State Government for legislation or with regard to questions of general policy not involving any financial committments other than expenditure of a routine and incidental charactor.

5. The advice tendered by the Regional Committee will normally be accepted by the Government and the State Legislature. In case of difference of opinion, reference will be made to the Governor whose decision will be final and binding.

6. The Regional Committees will deal with the following matters:-

(i) Development and economic planning, within the framework of the general development plans and policies formulated by the State legislature;

(ii) Local Self-Government, that is to say, the constitutional powers of municipal corporations, improvement trusts, districts boards and other local authorities for the purpose of local self-government or village administration including panchayats;

(iii) Public Health and sanitation, local hospitals and dispensaries;

(iv) Primary and secondary education;

(v) Agriculture;

(vi) Cottage and small-scale industries;

(vii) Preservation, protection and improvement of stock and of prevention of animal diseases, veterinary training and practice;

(viii) Pounds and prevention of cattle trespass;

(ix) Protection of wild animals and birds;

(x) Fisheries;

(xi) Inns and Inn-Keepers;

(xii) Markets and fairs;

(xiii) Cooperative societies; and

(xiv) Charities and charitable

institutions; charitable and religious endowments and religious institutions.

7. Provision will be made under the appropriate Central statute to empower the president to constitute Regional committees and to make provision in the rules of business of Government and the rules of procedure of the Legislative Assembly in order to give effect to the arrangements outlined in the preceding paragraphs. The provisions made in the rules of business and procedure for the proper functioning of Regional committees will not be altered without the approval of the President.

8. The demarcation of the Hindi and Punjabi regions in the proposed Punjab State will be done in consultation with the State Government and the other interests concerned.

9. The Sachar formula will continue to operate in the area comprised in the existing Punjab State, and in the area now comprised in the Pepsu State, the existing arrangements will continue until they are replaced or altered by agreement later.

10. The official language of each region will, at the district level and below, be the respective regional language.

11. The State will be bi-lingual recognising both Punjabi (in Gurmukhi Script) and Hindi (in Devnagri Script) as the official languages of the State.

12. The Punjab Government will establish two separate departments for developing Punjabi and Hindi languages.

13. The general safeguards proposed for linguistic minorities will be applicable to the Punjab like other States.

14. In accordance with and in furtherance of its policy to promote the growth of all regional languages the Central Government will encourage the development of the Punjabi language.

पंजाब में क्षेत्रीय परिषदों की योजना की रूप रेखा

(सांस्कृतिक भाग का अनुवाद)

८—प्रस्तावित पंजाब राज्य में हिन्दी और पंजाबी क्षेत्रों का निरूपण राज्य सरकार तथा अन्य सम्बद्ध हितों के परामर्श से होगा।

९—वर्तमान पंजाब राज्य के क्षेत्र में सच्चर फार्मूला व्यवहार में आता रहेगा और पेप्सू राज्य के वर्तमान क्षेत्र में वर्तमान व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसके स्थान पर कोई दूसरी व्यवस्था लागू नहीं की जाती अथवा बाद में वह पारस्परिक समझौते से बदल दी नहीं जाती।

१०—प्रत्येक क्षेत्र की जिलास्तर और उससे नीचे की सरकारी भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी।

११—राज्य द्विभाषी होगा जो गुरुमुखी लिपि में पंजाबी को और देवनागरी लिपि में हिन्दी को राज्य की भाषा के रुप में मान्यता देगा।

१२—पंजाब राज्य पंजाबी और हिन्दी भाषाओं की उन्नति के लिए २ पृथक विभागों की स्थापना करेगा।

१३—अल्प संख्यकों के भाषा सम्बन्धी हितों की रक्षार्थ प्रस्तावित सामान्य संरक्षण अन्य राज्यों के समान पंजाब राज्य पर भी लागू होंगे।

१४—केन्द्रीय शासन समस्त क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की अपनी नीति के अनुसार पंजाबी भाषा की उन्नति को प्रोत्साहित करेगा।

Clarification by the Chief Minister of Punjab.

I have carefully gone through the Memorandum submitted to the Governor regarding the language problem of Punjab by the Arya Pratinidhi Sabha, Punjab, and the Arya Pradeshak Pratinidhi Seabha, Punjab.

I shall briefly deal with the points raised in the memorandum one by one:—

(1) "There should be one language formula in the whole State of new Punjab".

If the first point in the memorandum were to be conceded we shall be extending the Sachar Formula to Pepsu. It may be borne in mind that Pepsu has a language formula of its own which has been in operation there for some time. The suggestion that the Sachar formula should be extended to Pepsu has not been viewed with favour by certain sections of public opinion there. In fact, a suggestion emanated from certain quarters in Pepsu that the arrangements in force in Pepsu may be extended to Punjab. It was after taking all these facts into consideration that in the Regional Scheme for Punjab a provision has been made for the existing arrangements being continued until they are altered by agreement. There will be an advantage in having uniform arrangements but for obvious reasons status quo should be disturbed only on the basis of an agreed alternative.

(2) "The medium of instruction in the educational institutions should be left entirely to the choice of parents".

This practice is being followed in Punjab already according to the Sachar formula. I can assure you that proper administrative arrangements will be made to enforce the provisions of the Sachar formula.

(3) There should be no compulsion for the teaching of any of the two languages as a second language at any particular stage".

If that were to be accepted, we will nullify the basic provision of the Sachar formula, The question of compulsion does not arise in the case of Hindi, which has already been accepted as the National language. and we are all under obligation to learn it as quickly as we can, otherwise we will be left behind in the march of time Punjabi is also one of the fourteen regional languages recongnised in the Constitution. That is why our State has been recognised as bi-lingual, which will recognise both Punjabi in Gurmukhi script and Hindi in Devanagari script as the official languages of the State. We must encourage and cultivate Punjabi as our mother

tongue, and Hindi both as the mother tongue of one section of Punjab and as the paramount National language. However, the question of introducing the study of second language at particular stage can be examined later by mutual agreement but till such agreement is arrived at the present practice will have to continue.

(4) "Hindi should replace English at all levels of administration".

The replacement of English by Hindi and other regional languages at various levels of administration has been the recognuised principle of the Government ef India.

The Punjab Government will not lag behind the other Governments in the implementation of this recognised policy. The enforcements of the language policy in the administrative field as prescribed in this regard is inevitable, hence no precipitate action should be useful.

(5) "All Government notifications at the district level or below should be bi-lingual".

I accept this proposition. I would even issue the notifications in Urdu also so that no one may feel handicapped if he, for a while, would not know Hindi and Punjabi.

(6) "Applications be allowed to be submitted in any language and the reply should also be in the same language".

This, too, is acceptable. No extra money will be charged for this.

(7) "Office records upto the district level and below should be in both the scripts".

This problem has to be viewed from the administrative angle. I am inclined to think the proposition is not practical as the keeping of records in two languages at the district level and below entail unnecessary additional expenses. But with a view to save people from hardships it may be possible to provide translations in either of the languages. In order to accommodate people desiring to make statements in a particular language, the Government would like to make suitable arrangements.

I hope that the above clarification will remove your doubts and apprehension I am confident that if we keep in mind constantly the larger interests of our State, and the paramount interest of the nation, we shall have no difficulty in reconciling honest differences. For the present, I sincerely hope that everyone would, in the interest of peace and amity, give the present arrangement a fair trial.

Chandigarh; Partap Singh Kairon
6th October, 1956. Chief Minister,
Punjab.

श्रीयुत प्रतापसिंह कैरों, मुख्य मंत्री पंजाब का उत्तर तथा हिन्दी रक्षा समिति का प्रत्युत्तर

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब और आर्य प्रादेशिक सभा पंजाब की ओर से पंजाब की शिक्षा समस्या के सम्बन्ध में पंजाब के गवर्नर महोदय की सेवा में प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है। मैं आवेदन पत्र में वर्णित बातों को एक २ करके संक्षेप में लूँगा।

१—समस्त नए पंजाब राज्य में एक ही भाषा योजना लागू होनी चाहिए।

यदि इस बात को स्वीकार किया जाय तो सच्चर फार्मूला पेप्सू में भी लागू करना होगा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि पेप्सू में भाषा की अपनी योजना प्रचलित है। वहाँ के कुछ लोगों ने इस बात को पसन्द नहीं किया है कि वहां सच्चर फार्मूला लागू किया जाय। सच तो यह है कि वहाँ के कुछ क्षेत्रों से यह बात उठी थी कि पेप्सू फार्मूला समस्त पंजाब में लागू कर दिया जाय। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही क्षेत्रीय फार्मूले में यह व्यवस्था की गई है कि जब तक पारस्परिक समझौता न हो तब तक भाषा की प्रचलित व्यवस्था को ही जारी रखा जाय। निस्संदेह एक ही भाषा योजना से लाभ होगा परन्तु जब तक सर्वसम्मत योजना न बने तब तक अनेक कारणों से वर्तमान प्रबन्ध ही कायम रखना होगा।

२—शिक्षा संस्थाओं में बच्चों की शिक्षा के माध्यम का चुनाव सर्वथा माता पिता की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए।

पंजाब में सच्चर फार्मूले के अनुसार पहले से ही ऐसा हो रहा है। मैं आप लोगों को यह विश्वास दिला सकता हूँ कि सच्चर फार्मूले की धाराओं को लागू करने के लिए समुचित प्रशासनिक व्यवस्था की जायगी।

३—किसी भी विशेष स्तर पर दोनों भाषाओं में से किसी एक का द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना अनिवार्य न होना चाहिए।

यदि यह स्वीकार किया जायगा तो सच्चर फार्मूले की मौलिक धारा रद्द हो जायगी। हिन्दी की अवस्था में अनिवार्यता का प्रश्न उपस्थित नहीं होता जो पहले से ही राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकृत हो चुकी है, और जिसे शीघ्र से शीघ्र पढ़ लेना हमारा कर्त्तव्य है अन्यथा हम समय के साथ चलने में पीछे रह जायेंगे। संविधान में जो १४ भाषाएँ स्वीकार की गई हैं उन्हीं में से १ पंजाबी भाषा है। इसी कारण हमारा राज्य द्विभाषी माना गया है जो सरकारी भाषाओं के रूप में दोनों भाषाओं को मान्यता देगा। हमें अपनी मातृभाषा के रूप में पंजाबी को प्रोत्साहित और उन्नत करना चाहिए इसी प्रकार हिन्दी को भी जो पंजाब के एक भाग की मातृभाषा है और प्रमुखतम राष्ट्र भाषा है। फिर भी किसी विशेष स्तर पर दूसरी भाषा के अध्ययन की व्यवस्था करने के प्रश्न की बाद में आपसी समझौते से जाँच पड़ताल की जा सकती है। परन्तु जब तक आपसी समझौता न हो तब तक वर्तमान व्यवस्था को जारी रखना होगा।

(४) शासन के प्रत्येक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का स्थान हिन्दी को दिया जाना चाहिए।

शासन के विविध स्तरों पर अंग्रेजी का स्थान हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को दिए जाने का केन्द्रीय सरकार का स्वीकृत सिद्धान्त है।

इस स्वीकृत नीति को मूर्त्त रूप देने में पंजाब गवर्नमेन्ट अन्य गवर्नमेन्टों से पीछे न रहेगी। क्षेत्रीय फार्मूले में निहित भाषा विषयक प्रशासनिक नीति को क्रियान्वित करने में कुछ समय लगना अनिवार्य्य है यतः इस सम्बन्ध में कुछ समय लगना ही है अतः जल्दबाजी उपयोगी न होगी।

(५) जिले के स्तर या उसके नीचे की सब सरकारी सूचनाएं और निर्देश दोनों भाषाओं में होने चाहिएं।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मैं सरकारी आज्ञायें उर्दू में भी प्रकाशित करूंगा जिससे किसी को हिन्दी या पंजाबी न जानने के कारण जरा भी कठिनाई अनुभव न हो।

(६) किसी भी भाषा में ... [illegible]

आज्ञा होनी चाहिए। उनके उत्तर भी उसी भाषा में होने चाहिए।

यह भी स्वीकृत है। इसके लिए अतिरिक्त फीस न ली जायगी।

(७) जिले स्तर तथा उससे नीचे के सरकारी काग़ज़ात दोनों लिपियों में होने चाहिएं।

इस बात को प्रशासनिक दृष्टि से देखना चाहिए। मेरे विचार में यह बात व्यवहार्य्य नहीं है क्योंकि जिले स्तर और उसके नीचे दो भाषाओं में रिकार्ड रखने से अनावश्यक अतिरिक्त व्यय होगा। परन्तु लोगों की कठिनाई को दूर करने के लिए दोनों भाषाओं में से किसी का अनुवाद देना सम्भव होगा। किसी खास भाषा में अपने प्रार्थना पत्र इत्यादि देने की इच्छा रखने वाले लोगों की सुविधा के लिए सरकार उचित व्यवस्था करना चाहेगी।

मुझे आशा है कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण से आपके सन्देहों और भय की निवृत्ति हो जायगी। मुझे विश्वास है कि यदि हम राज्य के विशाल हितों और राष्ट्र के मुख्यतम हित को सदैव दृष्टि में रखेंगे तो ईमानदारी से परिपूर्ण मत भेदों के निवारण में कठिनाई न होगी। मुझे आशा है कि प्रत्येक व्यक्ति शान्ति और सौहार्द की रक्षा के लिए वर्तमान व्यवस्था को उत्तम रीति से व्यवहृत होने देगा।

चंडीगढ़ ह० प्रताप सिंह कैरों
६-१०-५६ मुख्य मन्त्री

हिन्दी रक्षा समिति की ओर से प्रथम सर्वाधिकारी श्रीयुत स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने २० मई को अपना उत्तर मुख्यमन्त्री महोदय को चंडीगढ़ में दिया जिसके उत्तर में उन्होंने पुनः अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जो लगभग ६-१० ५६ के उपर्युक्त स्पष्टीकरण जैसा ही था। इस पर श्री स्वामी जी ने २० मई को चंडीगढ़ में अपना उत्तर लिख कर दिया जो इस प्रकार है:—

हिन्दी रक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत ७ मांगों में से ५ वीं तथा ६ठी मांग सरकार ने स्वीकार करली है। अन्य मांगो के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित सुधारों का निर्देश देते हैं:—

मांग १

(१) हम राज्य के इस आश्वासन पर आस्था रखते हैं कि गवर्नमेंट समस्त राज्य में यथा सम्भव शीघ्र एक भाषा योजना को चरितार्थ करने का प्रयत्न करेगी।

मांग २

(२) हम सरकार के स्पष्टी करण को स्वीकार करते हैं यदि निम्नलिखित आश्वासन दिए जाएँ:-

(अ) हिन्दी को बच्चों के शिक्षण का माध्यम स्वीकार करने के लिए माता पिताओं को पृथक प्रार्थना पत्र न देना होगा। दाखिले के फार्म पर ही उनकी घोषणा पर्याप्त होगी।

(ब) प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में जिसमें शिक्षा का माध्यम पंजाबी होगी सरकार कम से कम एक सुयोग्य अध्यापक की हिन्दी शिक्षण के लिए नियुक्ति की व्यवस्था करेगी।

मांग ३

(३) हमारा यह सुनिश्चित विचार है कि राज्य में दूसरी क्षेत्रीय भाषा के शिक्षण के सम्बन्ध में अनिवार्य्यता न होनी चाहिए।

मांग ४ व ७

(४) चौथी और सातवीं मांग से सम्बद्ध सरकारी स्पष्टीकरण को हम स्वीकार करते हैं यदि निम्नांकित बातें और जोड़ दी जायें:-

(अ) समस्त राज्य कर्मचारी अपने नोट या फैसले या आर्डर जिस भाषा में वे चाहें अंकित करने में स्वतन्त्र होंगे।

(ब) उर्दू और अंग्रेजी का स्थान क्रमशः पंजाबी और हिन्दी के लेने में एक रूपता होगी।

आवश्यक सूचना

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के लिए मनी आर्डर और चैक इस प्रकार आने चाहियें।

मनी आर्डर

१—मन्त्री सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली—६

२—मनी आर्डर सभा मन्त्री के नाम से नहीं आने चाहियें। इससे मनी आर्डर के मिलने में कुछ विलम्ब हो जाने की आशंका रहती है।

३ मनी आर्डरों की कूपन पर भेजने वाले का नाम पता व राशि अनिवार्यतः अंकित होने चाहियें।

चैक व पोस्टल आर्डर

सार्वदेशिक सभा, सार्वदेशिक पत्र तथा वैदिक अनुसन्धान के लिये यदि कोई सभा को चैक या पोस्टल आर्डर भेजें तो वे केवल सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के नाम में लिखे होने चाहियें। कास हों तो अच्छा है

मन्त्री

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली-६

Regd No. D 51.

आर्य समाज का इतिहास

(प्रथम भाग) सचित्र

इस सभा द्वारा श्रीयुत पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति कृत आर्य समाज के इतिहास का प्रथम भाग छप कर बिकने लगा है। इतिहास की भूमिका आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान तथा पंजाब सरकार के भूतपूर्व शिक्षामन्त्री श्रीयुत डा० गोकुलचन्द जी नारंग, एम० ए० पी० एच० डी० ने लिखी है। ग्रन्थ सजिल्द है जिसमें १८×२२/८ [illegible] २४ पृ [illegible] आकार प्रकार कागज व छपाई उत्कृष्ट है। स्थान २ पर ३२ लाइन ब्लाक

महर्षि की जन्म तिथि, आर्य समाज स्थापना तिथि, महर्षि की मृत्यु कैसे हुई इत्यादि विवादास्पद विषयों पर परिशिष्ट रूप में मूल्यवान सामग्री दी गई है।

प्रारम्भ से सन् १९०० ई० तक के इतिहास में आर्य समाज की स्थापना से पहले की धार्मिक तथा सामाजिक स्थिति, महर्षि दयानन्द का आगमन, आर्य समाज की स्थापना, प्रचार युग, अन्य मतों से संघर्ष, संगठन का विस्तार, संस्था युग का आरम्भ आदि विषयों का समावेश है। शैली बड़ी रोचक और चित्ताकर्षक है।

सम्पूर्ण इतिहास ३ भागों में छपेगा। दूसरा भाग प्रेस में दे दिया गया है और तीसरा भाग तैयार किया जा रहा है।

इस ग्रन्थ की सामग्री के एकत्र करने, बढ़िया से बढ़िया रूप में इसकी ५००० प्रतियां छपाने में तथा चित्रादि के देने में सभा का बहुत व्यय हुआ है। इस राशि की शीघ्र से शीघ्र प्राप्ति आवश्यक है जिससे कि वह दूसरे भाग की छपाई में काम आ सके।

सभा ने यह विशाल आयोजन प्रदेशीय सभाओं, आर्य समाजों, आर्य नर नारियों के सहयोग के भरोसे बहुत खटकने वाले अभाव की पूर्त्यर्थ किया है। अतः प्रत्येक आर्य समाज और आर्य नर नारी को इस ग्रन्थ को शीघ्र से शीघ्र अपना कर अपने सहयोग का क्रियात्मक परिचय देना चाहिये।

प्रत्येक आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य समाज तथा आर्य संस्था के पुस्तकालय में अनिवार्य रूप से यह ग्रन्थ रहना चाहिये। यह विषय इच्छा या पसन्द का नहीं है अपितु एक स्थायी रूप से रहने वाले ग्रन्थ के संग्रह करने का है जिससे वर्तमान ही नहीं आने वाली सन्तति को भी लाभ उठाने का अवसर मिल सके।

प्रथमभाग का मूल्य ४) कर दिया गया है। एकप्रतिका डाक [illegible] =)अतिरिक्त होता है। कम से कम ५ प्रतियां एक साथ मंगाने पर २० प्रतिशत कमीशन दिया जायगा। पुस्तकों का आर्डर भेजते समय डाकखाने और निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिये।

कृपया आर्डर भेजने में शीघ्रता करें। प्राप्ति स्थान :—

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा,
श्रद्धानन्द बलिदान भवन, दिल्ली-६

चतुरसेन गुप्त द्वारा सार्वदेशिक प्रेस, पटौदी हाउस, दरियागंज दिल्ली—७ में छपकर रघुनाथ प्रसाद जी पाठक प्रकाशक द्वारा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली से प्रकाशित।